C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXV, Tenth Session, 2012/1934 (Saka)
No. 30, Wednesday, May 16, 2012/Vaisakha 26, 1934 (Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.561 and 562 and 564 and 565	3-19, 21-34
OBSERVATION BY THE SPEAKER	
Postponement of Starred Questions relating to the Ministry of Civil Aviation	20
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.566 to 568, 571 and 573 to 580	35-65
Unstarred Question Nos.6441 to 6670	66-518

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **519-527**

REPORT ON PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION IN 57TH COMMONWEALTH PARLIAMENTARY CONFERENCE **528**

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES **528**
19th to 21st Reports

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION **528**
19th Report

STATEMENT CORRECTING REPLY TO STARRED QUESTION NO. 365 DATED 02.05.2012 REGARDING IMPLEMENTATION OF RTE ACT
Shri Kapil Sibal **529**

STATEMENTS BY MINISTERS
(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 17th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Mines
Shri Dinsha Patel **529**

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 1st , 14th, 19th, 31st and 43rd Reports of Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Shri V. Narayanasamy **530-532**

(iii) (a)Status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology

(iii)(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on Information Technology on 'Modernisation of Post Offices, pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications and Information Technology

Shri Sachin Pilot **533**

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Reported Allegations Of Spot Fixing etc. in IPL Matches **542-545**

MATTERS UNDER RULE 377 **558-570**

(i) Need to facilitate easy registration of Non-Resident Indians as voters and also to set up polling stations in Indian missions abroad

Shri Anto Antony 558-559

(ii) Need to set up a Central Sericulture Research and Training Institute in Hoshiarpur district, Punjab

Shrimati Santosh Chowdhary 559

(iii) Need to ensure procurement of wheat from farmers at remunerative price in Faizabad and Barabanki districts of Uttar Pradesh

Dr. Nirmal Khatri 560

(iv) Need to issue Visa for longer period to the Pakistani citizens visiting India for marriage ceremonies

Shri Harish Choudhary 561

(v) Need to connect prominent places in West Bengal with Helicopter service

Shri Adhir Chowdhury 562

(vi) Need to prevent land erosion caused by river Saryu in Bansgaon Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Kamlesh Paswan 563

(vii) Need to construct N.H. No. 228 from Sabarmati Ashram (Ahmedabad) to Dandi which has been declared as a Heritage Route

Dr. Kirit Premjibhai Solanki 563

(viii) Need to extend the last date fixed to deposit passport by Haj pilgrims

Shri Ravindra Kumar Pandey 564

(ix) Need to expedite approval for the establishment of a Cardiology specialised Hospital in Naroda in Ahmedabad, Gujarat

Shrimati Jayshreeben Patel 564

(x) Need to undertake desiltation work of river Bakulahi causing damage to crops and water logging in the Kaushambi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Shailendra Kumar 565

(xi) Need to construct small dams to prevent flood caused by Ghaghra and Sharda rivers in Sitapur district, Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Rawat 565

(xii) Need to undertake repair and construction of the damaged approach road near Khagaria railway junction, Bihar under East Central Railway

Shri Dinesh Chandra Yadav 566

(xiii) Need to set up a Central Educational Institute in Hooghly district, West Bengal

Dr. Ratna De 566

(xiv) Need to stop extraction of sand in Palar River Basin in Tamil Nadu

Shri Abdul Rahman 567

(xv) Need to set up an office of Employees Provident Fund Organisation in Palakkad, Kerala

Shri M.B. Rajesh 568

(xvi) Need to fix minimum Support Price for Tea and also to set up a Central Wage Board for Tea Plantation Industry

Shri Manohar Tirkey 569

(xvii) Need to make available all free-to-air channels of Doordarshan under the bouquet of DD Direct Plus in Kerala and Tamil Nadu

Shri Jose K. Mani 570

CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN ADMISSION) AMENDMENT BILL, 2012 571-637

Motion to Consider 571-574

Shri Kapil Sibal 571-574, 630-636

Shri Ganesh Singh 575-580

Shri Pradeep Tamta 581-584

Shri Shailendra Kumar 585-589

Dr. Bali Ram 590-592

Shri Mahabali Singh 593-595

Dr. Ratna De 596-598

Shri R. Thamaraiselvan 599-601

Shri Sakti Mohan Malik	602-604
Shri Mohan Jena	605-607
Shri Ganeshrao Nagorao Dudhgaonkar	608-609
Shri S. Semmalai	610-612
Shrimati Rama Devi	613-615
Shri Bibhu Prasad Tarai	616-617
Shri Hamdullah Sayeed	618-621
Shri Mahendrasinh P. Chauhan	622-623
Shri Anto Antony	624-625
Shri Virendra Kashyap	626-628
Shri Baju Ban Riyan	629
Clauses 2 to 6 and 1	637
Motion to Pass	637
MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2012	638-666
Motion to Consider	638
Dr. C.P. Joshi	639-640
Shri Arjun Ram Meghwal	641-645
Shri Adhir Chowdhury	646-650
Shri Shailendra Kumar	651-653
Shri Vijay Bahadur Singh	654-660
Shri Vishwa Mohan Kumar	661-663
Dr. Ratna De	664-666

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 681
Member-wise Index to Unstarred Questions 682-686

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 687
Ministry-wise Index to Unstarred Questions 688

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER
Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER
Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN
Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL
Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, May 16, 2012/Vaisakha 26, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल। प्रश्न सं. 561, श्री एस.आर. जेयदुरई।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमानों के हज का कोटा कम कर दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसे नहीं करते हैं। प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप यहां क्यों आ गए हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अगर आपका नोटिस आया है तो आपको जीरो आवर में मौका देंगे। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप ऐसे ही बोल रहे हैं। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।...

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

(Q. 561)

MADAM SPEAKER : Q.No. 561, Shri S. R.Jeyadurai.

SHRI S. R. JEYADURAI : Respected Madam, today, the demand for power is rising. Our needs are rising and without power, we cannot meet these requirements. Without power, we cannot increase our industrial and agricultural production. The modern life has changed. We need power for everything. We have coal-based power plants, hydro-based power plants, and of course, gas-based power plants in the country. Our country has taken up large scale production of nuclear power to meet the growing need of power in the country. But there are inherent dangers of nuclear power. We have seen many accidents at prominent nuclear power plants in Russia and Japan. These countries used to claim their nuclear power plants are safe. People around nuclear power plants are the most sufferers. I would like to know from the Government as to how many people have been displaced till date when the previous atomic power plants were set up and as to how many people will be displaced by proposed atomic power plants in the country, particularly Kudankulam Nuclear Power Plant in Tamil Nadu? Have the people who were displaced been relocated successfully or enhanced compensation given to them?

SHRI V. NARAYANASAMY: Hon. Member has asked several questions about the safety part, and thereafter, he came to the compensation part. Madam, I would like to submit that after the Fukushima episode, the hon. Prime Minister had a review meeting with the officials of the Atomic Energy and ordered especially the Nuclear Power Corporation India Limited (NPCIL) to have a review of the safety measures that have been adopted in our nuclear power plants in the country. Twenty nuclear reactors are functioning the country. All of them are very safe.

Not even one incident had happened. Nineteen are in operation and one is under maintenance.

Six Committees have been constituted by the NPCIL; one is relating to the power plants which are getting uranium from abroad; and power plants which are using indigenous uranium; power plants which are under construction. This Committee went into the whole aspect and came out with the minimum standards to be adopted which have been followed. The recommendations given by them, of which 90 per cent have been implemented. The Atomic Energy Regulatory Board also has constituted a Committee, which also submitted a Report, which is under implementation.

In our country, I would like to submit to this august House that the power plants which are in operation in our country, right from Maharashtra, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu, U.P. and other places, are very safe.

It has been certified by the Atomic Energy Regulatory Board, by the Nuclear Power Corporation of India Limited and also by the Review Committee that has been constituted by the Nuclear Power Corporation of India Limited. Therefore, I would like to submit that our nuclear plants are very safe and secure.

I will now come to the compensation part. The hon. Member has specifically asked as to how many people have been displaced in the Kudankulam Project area. For the Kudankulam Nuclear Power Plant Units I and II, the number of people who lost their land is 4,514 and compensation has been given to all of them. Their lands have been acquired prior to 2003. We have got a package for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected people. According to the guidelines, we are providing compensation for the land acquired from them, we are giving employment for one person from the project affected families and if there are any destitute persons or old age persons, we give them life time pension so that they can survive on their own. Apart from that, if any contract is to be given, we are taking care of that also. We have got a package and the people are being provided with all the facilities by the Nuclear Power Corporation of India

Limited. Then, two per cent of the profit is being used for fulfilling corporate social responsibility in and around the plant area and that has also been taken care of.

SHRI S. R. JEYADURAI : Madam Speaker, my next question is about the health of the people living around these power plants as well as inside the Sterilized Zone. This is the most important aspect of my question. No atomic power plant should be set up sacrificing the lives of people. I would like the Government to assure the people of this country on this in order to clear some of their fears regarding nuclear power plants in the country.

Then, the countries which have atomic power plants in large numbers have conducted studies regarding the impact of nuclear power plants on the health of the people living around these plants and working in these plants. It is reported that the deaths of employees of these power plants and their dependents and the people living around these power plants were caused by multiple myeloma or Hodgkin's disease. I would like to know whether any such study has been conducted India. What are the results of these studies and what are the preventive measures taken by the Government?

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, as far as the health check up of the people who are living in and around the nuclear power plants is concerned, we have the Exclusion Zone where the nuclear power plant is situated. Five kilometre radius around the nuclear power plant is called the Sterilized Zone. Then, there is the Green Belt area. The Nuclear Power Corporation of India Limited maintains that area. They develop the forest in the area and the Exclusion Zone where normal life activity can go on. Except hazardous industries, all other activities are allowed and normal growth of population is allowed there. Then, from the point of view of environment, we maintain the other area. We have got sensors and through them we monitor the area and regular medical check up is done to the people in that area to find out whether there is any radiation effect or not and 1,000 millisieverts is the allowed limit. But in some of the plant areas, we found that it does not even go

beyond 10 millisieverts. The people around the nuclear power plant area are being educated through pamphlets and booklets, information is given through radio and television advertisements are also shown. So far, from the medical check up that we have done, 99.9 per cent, radiation is not there in and around the nuclear power plant areas in this country.

SHRI P. VISWANATHAN : Thank you, Madam Speaker. The Department of Atomic Energy, Kalpakkam has acquired land for construction of IGCAR, MAPS, BHAVINI, etc. at Kalpakkam in Kancheepuram, my parliamentary constituency, from the nearby villages.

The Administration Department of Atomic Energy has assured the land owners, apart from money compensation for the land acquired, that they will be given job opportunities to the villagers who have given their land for a noble cause. The number of the individual land owners who had provided their lands for the construction of Nuclear Power Plant, Kalpakkam, is 1,218. Out of the total 1,218 land pieces acquired, the Department of Atomic Energy Administration has given jobs to only 230 local land owner villagers.

Approximately, 90 per cent of the employees, in the total of DAE Establishment, are from other States. Madam, I am not against giving jobs to people of other States. We are all living in a united country. But as far as recruitment is concerned, sometimes, the people from Northern parts of the country are recruited and the sons of the soil cannot be recruited. These people are recruited without considering the local people, although they are eligible.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government would intervene in this matter immediately and take necessary action to employ land owners also from the people living in nearby villages.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, the hon. Member is referring to the nearby villages of the power plants. According to the guidelines and also the system that is followed by the Nuclear Power Corporation of India for rehabilitation and resettlement, we have, for the project affected persons, given

compensation for the land, rehabilitation grant, the minimum life time pension for vulnerable persons, that I mentioned earlier, like deserted women, shelter less people, the destitute persons, civic amenities in and around area, and employment opportunity for one member in the family of the project affected area.

The hon. Member is referring to the entire radius of about 30 kms. of the plant. As I told you earlier, the exclusion zone is where the plant is situated and five kilometres of that is the sterilized zone. We are considering the people for employment who are affected within the exclusion zone. I quite agree with the hon. Member that the local population has to be given employment.

Madam, as far as Clause 'C' is concerned, the local people will be employed as far as possible. We have got a programme to start the ITI training programme for the people who are living in and around the area and after they are qualified they will be appointed there through an examination.

The number of families affected, as far as Kalpakkam is concerned and whose houses have been shifted, is 123, but the number of jobs provided is 200. I agree that it is the minimum. When I visited Kalpakkam, the hon. Member of Parliament raised that question. I talked to our officers. There was an agreement signed between the NPCIL and Bhavini, the other plant which is under construction. Now, we will definitely consider the hon. Member's concern to provide job opportunities to the people there.

अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार। अपनी सीट पर जाइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, लोक सभा की कमेटी गई थी, हम लोग भोपाल गए थे। वहां के तमाम पीड़ित परिवार के लोग और तमाम एनजीओ के लोग हमें मिले थे। आज भी भोपाल गैस त्रासदी के लोग वहां परेशान हैं। न तो उन्हें अभी तक आवास की सुविधा मिल पायी है। अगर एक परिवार में दो-चार लोग पीड़ित थे, वे अलग-अलग रहते थे तो उन्हें अलग-अलग आवास न देकर एक परिवार पर केवल एक आवास की सुविधा दी गयी है। दूसरी बात यह है कि जो शुद्ध पेयजल है, उनके यहां वाटर सप्लाई पाइप-लाइन से नहीं की गयी है। आज भी वहां पर पानी में कुछ न कुछ असर है, पानी प्रदूषित है,

जिस कारण से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। उनके स्वास्थ्य का जो दो-चार-छह महीने में परीक्षण होना चाहिए, हॉस्पिटल्स में भी इसके लिए डॉक्टर्स लगाये गये, लेकिन वह ठीक से नहीं हो पा रहा है और वहां पर दवा की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा क्योंकि यह सैटेलाइट और परमाणु विद्युत संयंत्रों से जुड़ा हुआ है, जहां पर जहरीले, चाहे रेडिएशन का मामला हो, चाहे गैस का मामला हो, इस प्रकार से जो पीड़ित परिवार हैं, सरकार की तरफ से जो मापदंड हैं, मानक है, उसके अनुसार उन्हें सुविधा नहीं दी जा रही है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इस प्रकार से ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, जहां पर ऐसे परिवारों को पूरी तरह से मुआवजा नहीं दिया गया और न ही उन्हें पुनर्वासित करने की कोई व्यवस्था की गयी है। न उनके बच्चों के स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहां बैठे हैं, जवाब वी.नारायणसामी जी दे रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे तमाम इलाकों में, जहां पर दुर्घटनायें घटी हैं, उन पीड़ित परिवारों का समुचित पुर्नवास करके उन्हें सुविधायें देने की क्या कोई योजना बना रहे हैं?

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, as far as the Bhopal Gas tragedy victims are concerned, it is not in the context of this Question. Even then, the Home Ministry is coordinating about the compensation and all. About water, which has got the radiation, which was mentioned, I will send a separate letter to hon. Member giving the details what steps have been taken.

As far as the compensation part for the people who were affected in other nuclear power plants, as he mentioned, is concerned, if the hon. Member has any information, he can give it to me. So far, Madam, no accident has happened. Only when they used nuclear fuel, when it came out in the belt, two employees were affected, and treatment was given. They were treated. Therefore, if he gives to me any information which is there in his knowledge, we will attend it.

श्री अनंत गंगाराम गीते : धन्यवाद, महोदया। फुकुसीमा की दुर्घटना के बाद दुनिया भर के कई देशों ने न्यूक्लियर पॉवर प्लांट बंद करने का निर्णय किया है। ऐसा बहुत सारे देशों ने किया है। इसी वजह से हमारे देश में भी न्यूक्लियर पॉवर प्लांट का विरोध होने जा रहा है और हर जगह विरोध हो रहा है। एक न्यूक्लियर पॉवर प्लांट महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जैतापुर में लगने वाला है। जिस पर वहां की जनता का कड़ा विरोध है। वहां पर लगातार आन्दोलन चल रहा है।

महोदया, फुकुसीमा की दुर्घटना होने के बाद एक पत्रकार वार्तालाप में जापान के प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, वह बयान हमारे सारे अखबारों ने पब्लिश किया हुआ है। उनसे जब इस न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के बारे में पूछा गया, यह जापान के प्रधानमंत्री जी का बयान है, तो उन्होंने कहा कि बिजली राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण जनता की सुरक्षा है और इसीलिए जब तक जनता इजाजत नहीं देगी, हम न्यूक्लियर पॉवर प्लांट नहीं लगायेंगे। न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के बारे में जो राय जापान के प्रधानमंत्री की है, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की इस संदर्भ में क्या राय है?

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Madam Speaker, as far as the present policies with regard to nuclear power is concerned, our view is that when it comes to questions of safety, there should be no compromise whatsoever. And we will never do anything which creates doubts about the safety of these plants. As my colleague has already mentioned, we have 19 functioning nuclear reactors and there has never been any incident. And even after Fukushima, I ordered a revisit of all the 19 reactors. Those findings of the NPCIL are on the websites for everybody to see. Our safety measures are an open book. But, at the same time, I would respectfully submit that we must keep the option of having nuclear power as an additional source of power for our country. I think, we are not in a situation in which Japan is. Japan has a much larger proportion of its power coming from nuclear plants. In Germany also, question marks have been raised about nuclear power, but Germany relies on France, for example, France has a large number of nuclear power plants. So, I think, the policy that we have right now is that we must do everything in our power to ensure foolproof safety of the nuclear plant. That we will never compromise with. But, at the same time, I would respectfully submit that it would be harmful for the country's interest to pass an Ordinance of self-denial that we shall give up the option of having nuclear power as an additional source.

(Q. 562)

श्री राकेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने सरकार का जवाब देखा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। सैकड़ों वर्षों से कृषि यहाँ पर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का ज़रिया रही है लेकिन पिछले कुछ समय से जो परिस्थितियाँ बनी हैं, उससे कृषि क्षेत्र पर संकट के बादल मँडरा रहे हैं। डॉ. स्वामिनाथन ने कहा है कि देश की दो-तिहाई आबादी, यानी साठ करोड़ से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए कृषि की हालत में सुधार के बगैर देश की हालत में सुधार नहीं हो सकता।

महोदया, नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइज़ेशन की जो रिपोर्ट अभी आई है, उसके अनुसार देश में 45 प्रतिशत से अधिक किसानों को अगर विकल्प उपलब्ध हो जाए तो वे खेती छोड़कर दूसरे व्यवसाय अपनाना चाहते हैं जो आने वाले समय के लिए एक बड़ा खतरा हैं। डॉ. स्वामिनाथन ने यह भी कहा है कि हमारे देश में औद्योगिक विकास को हम जिस तरह से प्राथमिकता देते हैं, उसमें रोज़गार की संभावनाएँ बहुत कम हैं। जबकि कृषि हमेशा से रोज़गार-प्रमुख माना जाता रहा है और इसलिए हमारे देश में कृषि छोड़ना कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन इस पर सरकार कितनी गंभीर है, स्टैन्डिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, अभी मैं माननीय मंत्री जी का उत्तर भी पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा है कि स्कूल शिक्षा में जो वोकेशनल क्लासेज़ आप कृषि के लिए चला रहे हैं, उसमें कृषि के साथ-साथ बिज़नैस एंड ई-कॉमर्स, इंजीनियरिंग और टैक्नोलॉजी, इन सभी विषयों के लिए मिलाकर वर्ष 2010 और 2011 में मात्र 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार उसमें से केवल 4 करोड़ 98 लाख रुपये ही खर्च किये गये। यह उन स्थितियों के बाद है, जब इस देश में हमारे युवा डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी शिक्षित युवा कृषक नहीं बनना चाहता क्योंकि इसको वह सम्मानजनक पेशा नहीं मानता। इसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि जिस तरह से युवाओं में खेती के प्रति रुझान घटता जा रहा है, उसको देखते हुए मेरा प्रश्न यह है कि युवाओं में कृषि के प्रति रुझान बढ़े, इस हेतु सरकार शिक्षा में क्या कोई परिवर्तन करके इस तरह की पद्धति विकसित करेगी जिससे युवा उसकी ओर आकर्षित हों, और क्या उसके लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान करेगी?

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, Speaker, this is an issue that has exercised our minds as well because I think that we need to look at school curriculum and ensure that the school curriculum is connected with employment opportunities. What has been happening in the past, I can tell you about the CBSE. CBSE has offered 'Agriculture' as an elective course and only 27 odd schools have taken it. As far

as horticulture, dairy farming are concerned, which are vocational courses, again, most of these courses are in the North East. But the Pandit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Education has developed a vocational curriculum that has been adopted by most of the States. The capacity that is created through that curriculum in the various States in this country is about 10 lakh seats. But even there, only 4.8 per cent of the children actually passed out taking those vocational courses in the States. So, the balance actually goes to other courses. And even of the 4.8 per cent, only 28 per cent get employment opportunities. Obviously, therefore, there is a mismatch between what is taught in schools and the opportunities for employment available in the agricultural sector.

So, now we are launching the National Vocational Education Qualification Framework. Madam, in this, I am not talking about the ITIs because the ITIs run several technical programs, which are very good. But what we are now doing is, revamping the whole vocational education framework by launching the National Vocational Education Qualification Framework. In that process, the National Skill Development Corporation will have Sector Skill Councils and the Sector Skill Council in Agriculture will work with the academic community to develop hundreds of courses in relation to agriculture itself and these then will be offered throughout the country. We are going to introduce this, hopefully, in the next academic session. The National Vocational Education Qualification Framework will be launched very soon. That is the Policy of this Government.

I respect the sentiments of the distinguished Member that we need to create those opportunities in the agricultural sector.

श्री राकेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, खेती इस देश में कोई नई बात नहीं है। जब से मानव सभ्यता का विकास प्रारम्भ हुआ, तब से कृषि एक विज्ञान के रूप में इस देश में प्रारम्भ हो गई थी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने प्रत्येक गांव में उसके अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया था। यहां तक कि फसलें, साग-सब्जी और कम पानी में पकने वाली फसलें भी और कई बीमारियों को दूर करने वाली फसलों को भी हमारे पूर्वजों ने विकसित किया था।

महोदया, ब्रिटिश काल में वर्ष 1905 में अंग्रेज सरकार ने अल्बर्ट होवर्ड नाम के कृषि वैज्ञानिक को यहां रसायनिक खेती प्रारम्भ करने के लिए भेजा था। लेकिन जब वह यहां आया और उसने यहां की खेती की पद्धति को देखा तो पूरे 29 साल तक वह इस भारत देश में रहा और भारतीय खेती पद्धति का उसने अध्ययन किया। इंदौर में उन्हीं के द्वारा स्थापित इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री में जैविक खेती के अनेकों प्रयोग उन्होंने वहां किए और जैविक खाद बनाने की विधियां भी विकसित कीं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज उसी भूमि पर इस देश के कृषि महाविद्यालयों के वैज्ञानिक किसानों को अंग्रेजी खेती सिखा रहे हैं।

महोदया, जब देश में राष्ट्रीय सरकार बनी थी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें उद्योग मंत्री थे। आपके बिहार में एक स्थान है सिंदरी, जो कि अब झारखण्ड में चला गया है। वहां कोल आधारित जैविक खाद बनाने का एक कारखाना उन्होंने स्थापित किया था। लेकिन उनके साथ ही वह कारखाना बंद हो गया।

महोदया, यह गलत नीतियों का परिणाम है और रसायनिक खादों को बढ़ावा देने की सोच है। मेरा प्रश्न यह है कि भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान में आधुनिकता के जो मापदंड हैं, क्या वे मोनसैण्टो, सिजेण्टा और वॉलमॉर्ट जैसी विदेशी कम्पनियां तय करेंगी या फिर हम भारत की मिट्टी, किसानों की भाषा, हमारी जलवायु और हमारी आवश्यकता के अनुसार जैविक खेती और व्यवहारिक कृषि को कृषि का आधार बनाएंगे ताकि इस देश के अन्नदाता को हम आत्महत्या की मजबूरी से बाहर निकाल सकें।

SHRI KAPIL SIBAL: This is not strictly related to us. The original question is related to what courses we are offering in educational institutions.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please confine your answer to what is related to the original question.

… (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, as far as we are concerned, we are taking the inputs of all sectors through the Sector Skill Council to ensure that agricultural courses are offered as a vocational course in schools throughout the country so that the benefits can actually accrue to the farming community in this country.

As far as scientists are concerned, they have their technologies, Indian scientists are working on those technologies, and only those technologies will take Indian agriculture forward.

SHRI BHAKTA CHARAN DAS: Thank you, Madam, Speaker.

Since First Five Year Plan to Eleventh Five Year Plan, we have noticed that the resources available in the village have not been properly utilized. The resources are land, water, waste of the village and manpower. If the manpower is well trained, then they can utilize the resources available in the village and the village economy can only be strengthened thereafter. So, I would like to know from the hon. Minister whether from the higher secondary level, the basic education for farming is going to be imparted to the children in future. At the same I would like to know whether to avail the Degree Certificate, at least one month or two months' or three months' physical training in the agriculture fields is given to the degree holders.

SHRI KAPIL SIBAL: As far as we are concerned, the National Vocational Education Qualification Framework is being developed in such a way that children are able to take subjects, including agriculture that they want to take in Class IX. So, in Class IX, there will be a certain course through which they can reach the level I based on occupational output standards that are decided by Sector Skill Councils. Once that is done, then they can move to Class X, level II in agriculture. Then, they can reach level III and level IV in Class XII. From Class X they can move on to Polytechnics. From Class XII they can go on to do a degree course. I have called the Vice Chancellors of the Universities and UGC and said: "Please have Vocational studies as a degree course in Universities." Those conversations are going on, and hopefully, this will start in the next academic year. So, we are really concerned with this issue, and we want to develop the kind of workforce that is necessary to take the country forward.

The Prime Minister has said that we need five hundred million skilled people in this country. So, the National Skill Development Corporation and the Sector Skill Councils are taking this agenda forward.

SHRI M. ANANDAN : Madam, agriculture is the backbone of our economy. This would be the scenario for a long time to come. Under such a scenario, ensuring

the importance of agriculture in school curriculum would be a great service which we would be doing to the nation.

There is an urgent need to have a re-look at our school curriculum to see that agriculture gets the prime place so as to ensure that agriculture remains our main occupation.

Would the hon. Minister state the efforts that are being taken to ensure this theme or concept to make agriculture the prime subject in the school curriculum compulsory at the national level?

SHRI KAPIL SIBAL: We are offering agriculture as an elective course, as I have already mentioned, in Classes XI and XII. Now, students are not taking the elective course. We are offering it as a vocational course. Not many students are taking that. Obviously there is a mismatch between what is being taught and the employment opportunities outside. That is precisely what we are now attending to in order to ensure that it does not happen.

SHRI PRABODH PANDA : Madam Speaker, as per the Report of NSO, around 42 per cent of the farmers' population is searching for an alternate option, and it has already been mentioned that it is a matter of concern. The matter about the younger generation is a matter of more concern. The young children belonging to the families of the farmers, whether qualified or less qualified, are not interested in the agricultural activities. So, if this trend continues, then what would be the fate of agriculture, which is the most potential sector of our Indian economy? In the earlier days, it was said that the Education Department was taking some programme, that is, 'Technology travels to villages'. Under that programme, the qualified or less qualified unemployed youth can be educated, can be oriented so that they can get primary agriculture education and also they can open agriculture clinics mostly for soil testing and to provide health calls to the farmers. It would be a better option for creating interest in the younger people and help the farmers' community at large. So, I would like to know from the hon. Minister whether

your Ministry is thinking on this line, which will be greatly helpful to the farmers' community.

SHRI KAPIL SIBAL: We are thinking on these lines.

11.35 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Postponement of Starred Questions relating to the Ministry of Civil Aviation

MADAM SPEAKER: Hon. Members, due to unavoidable circumstances, the Minister of Civil Aviation will not be able to attend the House today. All questions listed in his name, namely Q.Nos.563, 569, 570 and 572 will stand postponed to the next date in the next Session.

(**Q. 564**)

MADAM SPEAKER: Q. 564 – Shri Radha Mohan Singh

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्षा जी, मेरा सवाल कृषि विभाग के आंकड़ों से सम्बन्धित है। उत्तर में यह बताया गया है कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की विकास दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2.5 प्रतिशत थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर 3.3 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर कृषि में पांच वर्षों में एक प्रतिशत की भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इस आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या स्थिति रहेगी, यह हम जानना चाहते हैं? पिछले पांच वर्षों में एक प्रतिशत की भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई, इसका क्या कारण है?

SHRI ASHWANI KUMAR: Madam Speaker, through you, I would like to inform the hon. Member and this august House that we had targeted a growth rate of four per cent in the 11th Plan in the agricultural sector over the negative growth in the earlier years. We were successful in achieving the growth rate of about 3.3 per cent in the 11th Plan. We hope to achieve a growth rate of four per cent in the 12th Plan. That is our target.

I take the point and we accept the fact that growth in the agricultural sector leads to poverty alleviation in a much faster way. That is why at the core of our inclusive growth agenda in the 12th Plan is the growth of the agriculture and allied sector.

In the Human Development Report of 2008, it has been clearly brought out that one per cent growth in the agricultural sector leads to doubling of growth in the other sectors. We are mindful of the fact that in a country where over 69 per cent of the people depend for livelihood on sustainable agriculture, the growth in the agricultural sector is of the utmost importance. That is why all through UPA-I and UPA-II, on the instructions of the UPA leadership and the hon. Prime Minister, maximum stress has been laid on allocation of resources, new technologies and new researches, which would directly impact the agricultural economy, thereby, reducing inequities in wealth and leading to structural and balanced growth in the entire economy.

I accept the concern of the hon. Member. We need to move faster in developing our agricultural sector. This was the vision of the Father of the Nation to which the entire country remains resolutely committed and more so, the UPA Government.

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्षा जी, निश्चित रूप से देश का विकास तब होगा, जब कृषि का विकास होगा। कृषि के विकास का जो हम लक्ष्य तय करते हैं तो योजना बनाते समय संसाधनों की भी व्यवस्था करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि योजना आयोग के सम्माननीय मंत्री जी और मंत्रालय में उपाध्यक्ष जी, ये सब किसानी से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं तो निश्चित रूप से जब लक्ष्य तय करते होंगे तो संसाधनों की भी व्यवस्था करते होंगे और शायद इसीलिए परिणाम उसका अनुकूल होता होगा।

हमने दूसरा सवाल पूछा था कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इस बार स्टेट प्लान में जो बजट की 9217 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, अब यह 12वीं पंचवर्षीय योजना भी, निश्चित रूप से आप लोग किसान हैं, कृषि के जानकार हैं तो लक्ष्य अच्छा होगा तो संसाधनों की भी बजट में अच्छी व्यवस्था किये होंगे, लेकिन यह देखने के बाद तो लगता नहीं है कि आप इस पंचवर्षीय योजना में फिर अच्छे लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। उदाहरण के लिए गांवों के अन्दर किसान को पम्पिंग सैट मिलता है, उस पर 10 हजार रुपये सब्सिडी दी जाती है। पॉवर टीलर में साठ हजार रूपए सब्सिडी दी जाती है। यह बहुत पहले से दी जा रही है। जब पॉवर टीलर का दाम एक लाख बीस हजार रूपए था, तब आप साठ हजार रूपए सब्सिडी देते थे। आज पता कीजिए, उसका दाम पौने दो लाख रूपए हो गया है, लेकिन सब्सिडी साठ हजार रूपए ही है। पंपिंग सेट का दाम तब बीस हजार रूपए था, तो आप दस हजार रूपए सब्सिडी देते थे। आज उसका दाम डेढ़ गुना, दोगुना हो गया है, लेकिन सब्सिडी वही दे रहे हैं। इस बार की जो योजना आप बनाये हैं या बना रहे हैं, क्या उसमें इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जिस प्रकार से किसानों के कृषि यंत्रों और उपकरणों के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसकी सब्सिडी बढ़ाने की भी क्या कोई योजना है?

श्री अश्विनी कुमार : अध्यक्ष महोदया, जहां तक साधनों का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा साधन हम कृषि क्षेत्र में दे रहे हैं। आपने आंकड़ों की बात कही। मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007-08 में जो हमने प्रारंभ की थी, उसके तहत हमने 25 हजार करोड़ रूपए इसमें उपलब्ध कराये थे। आप जो 9,217 करोड़ रूपए की बात कर रहे हैं, वह 12वीं पंचवर्षीय योजना की पहले साल की राशि है। अगर हम इसको पांच से मल्टीप्लाई करें, तो पांच साल के अंदर कम से कम पचास हजार करोड़ रूपए हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में खर्च करने वाले हैं।

इसके अतिरिक्त मैं सदन को बताना चाहूंगा, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत हमने 4,883 करोड़ रूपए का प्रावधान दिया। …(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : क्या आप सब्सिडी बढ़ा रहे हैं? …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात सुन लीजिए।

श्री अश्विनी कुमार : हमने 4,883 करोड़ रूपए का प्रावधान दिया। इसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट इंश्योरेंस, एग्रीकल्चरल क्रेडिट कार्ड पांच …(व्यवधान) मैं आ रहा हूं। …(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : सब्सिडी के लिए क्या कर रहे हैं? …(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार : आपने कृषि पर क्या साधन खर्च किए जा रहे हैं, उसके बारे में पूछा। …(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : सब्सिडी के बारे में बताइए। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : चेयर को एड्रेस करिए।

…(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार : मैं सब्सिडीज की बात पर भी आऊंगा। …(व्यवधान) मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जितने भी साधन देश में उपलब्ध हैं, सबसे अधिक मात्रा में साधन कृषि के विकास पर लगे हैं। …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) …**

श्री अश्विनी कुमार : मैं यह स्वीकार करता हूं कि हमें आगे बहुत कुछ करना है। यह बहुत बड़ा सफर है, जो तय करना है। हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारी प्राथमिकता कृषि का विकास 'था', 'है' और 'रहेगा'। …(व्यवधान) जहां तक सब्सिडीज का सवाल है, तो कितनी ही तरह की सब्सिडीज हैं, चाहे हम एमएसपी की बात करें, फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें और कई सहूलियतों की बात करें, कहीं न कहीं किसानी को सब्सिडाइज किया जा रहा है। …(व्यवधान) हार्टीकल्चर मिशन …(व्यवधान) अगर मैं अपनी बात कह लूंगा तो शायद जितना मुझे ज्ञान है, मैं आपको पर्सुएड कर सकूं। …(व्यवधान) मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि हर संभव प्रयास जितने राष्ट्र के रिसोर्सेज हैं, हमने करने की कोशिश की है, यह रास्ता लंबा है और भी काम करना है। …(व्यवधान) सब्सिडीज भी दी गयी हैं और बहुत तरह की सब्सिडीज एग्रीकल्चर को दी गयी हैं। …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

---

* Not recorded.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार : मैं यह कह रहा था कि इसके अतिरिक्त किसानों को और अधिक ऋण मिल सकें, क्रेडिट मिल सकें। 5 लाख 75 हजार करोड़ का क्रेडिट किसानों को उपलब्ध कराया गया है। 10.78 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड ईश्यू किए गए हैं ...(व्यवधान) और 2.77 करोड़ फार्मर्स को एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस उपलब्ध करायी गयी है। ...(व्यवधान)

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Madam Speaker, the hon. Member had asked the question if the target for the 12the Five Year Plan is four per cent per annum growth and what are its implications with regard to the resources that are needed to achieve this target?

I wish to assure the House that every effort will be made to ensure that the targets are matched by available resources. The 12th Five Year Plan is under preparation. The House would have an opportunity to discuss the 12th Five Year Plan when it is ready. You have my assurance that every effort will be made to ensure that the targets are matched by resources.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। कृषि क्षेत्र में विकास की बात करें तो मेरे ख्याल में बहुत गंभीर समस्या फर्टिलाइजर्स यानी खाद के उत्पादन के क्षेत्र में बनी हुई है। यह दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दस वर्ष में एक भी नया फर्टिलाइजर पैदा करने का प्लांट हिन्दुस्तान में नहीं लगा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया सवाल पूछने दीजिए। यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : आज एक ओर तो दस साल से हमारे घरेलू फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन है वह बढ़ा नहीं है। दूसरी तरफ, हम न्यूट्रीअंट बेस सबसिडी की तरफ और डिकंट्रोल प्राइसेज की तरफ जा रहे हैं जो डीएपी और एमओपीपी के अंदर हमें एक तजूर्बा पिछले वर्ष हमें देखने को मिला। जब गेहूं की बुआई थी तो साठ प्रतिशत डीएपी हमें बाहर से लानी पड़ी थी। जो बाहर के इंटरनेशनल कार्टल हैं वे इसकी कीमत

---

* Not recorded.

को तय करते हैं और हमारे किसान को जब सीएसीपी ने कॉस्ट कलकुलेट कर एमएसपी डिक्लेयर कर दी थी तो उसका बोझ किसान पर पड़ने का खतरा मंडराने लगा।

मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूं कि एमएसपी बढ़ा कर किसान पर बोझ नहीं आने दिया। ...(व्यवधान) मैं आज यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यूरिया का उत्पादन बढ़ानें के लिए कोई ठोस इन्वेस्ट पॉलिसी, जैसा कि क्रियान्वित करने की रिपोर्ट आ रही है उसको क्रियान्वित करने के लिए सरकार सोचेगी।

अध्यक्ष महोदया, मैं आप से आग्रह करना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर्स का यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चीन जो दस साल पहले हमारे बराबर प्रोडक्शन करता था आज हमसे तीन गुना ज्यादा प्रोडक्शन करता है। वह पूरे दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करने की बात करता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह कैसी ध्वनि है? कैसी ध्वनि है यह?

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : हमारे किसानों के भविष्य को देखते हुए इस विषय पर एक शार्ट ड्युरैशन चर्चा आप इस सदन में कराने की कृपा करेंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मेरा प्रश्न यूरिया को लेकर था। यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या सरकार कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाने का काम करेगी। यूरिया में इन्वेस्ट करने के लिए और यूरिया का नया प्लांट लगाने के लिए, घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? यह मेरा प्रश्न था।

SHRI ASHWANI KUMAR: Urea and fertilizer have no relation whatsoever with this Question.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग यह क्या कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शरद जी आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया जी, ...(व्यवधान) जो बातें रखी गई हैं इस पर प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी का जवाब आ गया है। यह एक बड़ा मुद्दा है। इस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि ऑयल सीड्स और पलसेज इनके मामले में इस देश का बहुत पैसा इम्पोर्ट में जाता है। कृषि मंत्री जी ने हार्टीकल्चर मिशन

शुरू किया है। वह बहुत जरूरी था। वह मिशन शुरू हुआ है, उसका विस्तार कितना है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन अच्छा काम हुआ है। हमारे पल्सेज़ और ऑयल सीड्स के जो इलाके थे, वे आज से बीस वर्ष पहले बहुत बेहतर थे। मेरा अनुभव है कि बरेली के पास बदायूं के इलाके बुंदेलखंड में मूंगफली अब नहीं निकलती। मगर पहले भोपाल और जबलपुर के बीच पल्सेज़ का बहुत ज्यादा उत्पादन था। सारे किसान धान और व्हीट की ओर चले गए। ऑयल सीड्स और पल्सेज़ का मामला इस देश में पहले बहुत कम था और अब काफी बड़े पैमाने पर है। यहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। इन दो मुद्दों पर आपने कुछ रास्ता तय किया है। लेकिन इस देश में क्रॉप डायवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी हो गया है कि हमारा इम्पोर्ट पर जो पैसा खर्च होता है, वह मामूली नहीं है। पल्सेज़ तो बाहर से मिलती भी नहीं हैं, ऐसी दिक्कत है। ऑयल सीड्स का भी यही हाल है। इसलिए हार्टिकल्चर के हिसाब से ऑयल सीड्स और पल्सेज के किसान भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

यहां प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, आप बैठे हैं और कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं। यदि कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकें तो ज्यादा बेहतर होगा।

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): अध्यक्ष महोदया, यह बात सच है कि इस देश में पल्सेज़ का उत्पादन कम है। Till two years back, the total requirement of the pulses in this country was 18 million tonnes and our total production was 14 million tonnes. The Government of India has taken a conscious decision to provide a better price for pulses and also has taken up a major programme for pulses in sixty thousand villages. The outcome of this programme is that last year our production has jumped from 14 million tonnes to 18.5 million tonnes and the farmer of this country has successfully produced the country's requirement. But, still I have to accept one thing that there is more demand. That is why, we have to work more in the area of pulses.

Similarly, in the area of the oil seeds, there is a special scheme which has been introduced and monetary support has also been provided and better price has been provided.

Hon. Member has given one example about the groundnut. यह बात सच है मगर सभी क्षेत्रों में लोग ग्राउंडनट से सोयाबीन पर शिफ्ट हुए हैं। यहां सोयाबीन की खेती में ध्यान देने वाले हमारे जो सदस्य हैं, उन्हें मालूम होगा कि इस साल सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों को

सोयाबीन की जो कीमत मिल रही है, वह आज तक कभी नहीं मिली थी। इससे सोयाबीन का क्षेत्र भी बढ़ रहा है। भारत सरकार ने जो सैकिंड ग्रीन रैवोल्यूशन का कॉन्सैप्ट स्वीकार किया है, उसमें पंजाब, हरियाणा, वैस्टर्न यूपी में हम बार-बार गेहूं और चावल की फसल लेते हैं। उसमें हमें धान की फसल कम करनी है और ईस्टर्न इंडिया में धान की फसल ज्यादा लेनी है। वैस्टर्न यूपी एसैंशियली पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में धान की जगह हम ऑयल सीड्स और पल्सेज़ पर ध्यान देना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान का किसान इसमें सहयोग देगा और उसे उचित कीमत भारत सरकार देगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, यह विषय नहीं था, लेकिन कृषि मंत्री जी ने यह विषय उठाया है और कहा है कि यहां अगर कोई सोयाबीन के उत्पादक लोग बैठे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सोयाबीन की फसल का जो पैसा मिल रहा है, वह सबसे ज्यादा है। मैं कृषि मंत्री जी को सम्बोधित करके कहना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश सोयाबीन की बहुत बड़ी फसल उगाता है और मेरे क्षेत्र में सोयाबीन बहुत उगता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पिछले तीन साल से सोयाबीन की फसल पाले से बर्बाद हो रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी, आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि पिछले तीन बार से सोयाबीन की फसल पाले से बर्बाद हो रही है। उसकी फली पूरी होती है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी दाना नहीं होता। लेकिन पाला चूंकि प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है, तो पैसा मिलना तो दूर, मुआवजे की राशि भी उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि पाला प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है। चूंकि आपने सोयाबीन के किसानों के बारे में कहा कि उन्हें पैसा बहुत मिल रहा है, तो मैं उनका दर्द इस सदन में रखना चाहती हूं। तीन बार से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है और पाले के कारण हो रही है। लेकिन चूंकि पाला प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। वहां का किसान रो रहा है। ...(व्यवधान)

SHRI SHARAD PAWAR: Madam, it is correct that it was the position. Last year, there was a delegation under the leadership of the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, which met me, hon. Prime Minister and hon. Finance Minister. उन्होंने एक सुझाव दिया कि पाला प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है, इसलिए उसे प्राकृतिक आपदा में स्वीकार करने की आवश्यकता है। उनके सुझाव को भारत सरकार ने

स्वीकार किया और इस साल से जिन लोगों को पाले से नुकसान होगा, उनको भी मुआवजा देने का काम भारत सरकार करेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैं मुख्यमंत्री जी और अपनी तरफ से कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

अध्यक्ष महोदया : मैं कहना चाहती हूं कि यह बहुत अच्छा कदम उठाया गया है।

(Q. 565)

अध्यक्ष महोदया : भीष्म शंकर जी, समय कम है। अगर आप संक्षेप में पूछेंगे, तो उत्तर आ जायेगा।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : महोदया, आज सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है और सब देश एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। इसके चलते दुनिया के देशों के लोगों के बीच आवाजाही बढ़ती जा रही है। व्यापार, पर्यटन और नौकरी के सिलसिले में हमारे देश के लोग भी भारी तादाद में दूसरे देशों में जाते हैं। ...(व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि समय नहीं है।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : इसमें तमाम विद्यार्थी और आईटी प्रोफेशनल्स, जो दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें वीजा की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ता है। इसमें कोटा केटेगिरी, प्रोफेशनल्स केटेगिरी के लिए वीजा की सीमा प्रिस्क्राइब्ड है, उसका आधा भी नहीं दिया जा रहा है। भारतीयों के वीजा एप्लीकेशन्स का रिजैक्शन रेट बहुत ज्यादा है। मैं इस संदर्भ में सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में कोई प्रगति हुई है, कोई सुधार सरकार करने जा रही है, क्योंकि इससे भारत के आईटी प्रोफेशनल्स और आईटी इंडस्ट्रीज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके साथ-साथ विदेशों से जो धन भारत में आता था, उसमें भी कमी आ रही है। दूसरा प्रश्न मैं इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी जवाब कब देंगी? आप इतने प्रश्न न पूछकर केवल एक प्रश्न पूछिये।

SHRIMATI PRENEET KAUR: Madam Speaker, I would like, through you, to tell the hon. Member that we do facilitate business people on a reciprocal basis. A trade dialogue for bilateral promotion has been taken up. The Commerce Ministry is also dealing with it.

We understand that there has been a lot of problem with the IT industry because of the outsourcing that they get and now certain countries want that to be done internally. There is also a problem with the visas for business people going out. We are taking up these matters with the Consulars that the visas have multi-entry permits for business people and that they are allowed to take on company to company basis their own people from India to work there on short-term basis.

As regards the students, we have had problems. Many countries have now revised their requirements. In Australia, where a lot of our people went, especially, from the State of Punjab, they have cut the list short. They have removed certain items for which the students were allowed. So, there was a dramatic downfall in the students that went there. However, it is going up again, and they are now trying to facilitate it. We have also issued advisories as to what the students can go for.

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): On behalf of Shri Ajit Singh, I beg to lay on the Table –

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Air India Limited and its subsidiaries, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Air India Limited and its subsidiaries, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6857/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table:–

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 3 of the All India Services Act, 1951:-

(i) The Indian Administrative Service (Regulation of Seniority) Amendment Rules, 2012 (published in Notification No. G.S.R. 300(E) in Gazette of India dated 18th April, 2012.

(ii) The Indian Police Service (Regulation of Seniority) Amendment Rules, 2012 (published in Notification No. G.S.R. 301(E) in Gazette of India dated 18th April, 2012.

(iii) The Indian Forest Service (Regulation of Seniority) Amendment Rules, 2012 (published in Notification No. G.S.R. 302(E) in Gazette of India dated 18th April, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 6858/15/12)

(2) A copy of the Central Information Commission (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 76 in Gazette of India dated 21st April, 2012 under sub-section (1) of Section 29 of the Right to Information Act, 2005.

(Placed in Library, See No. LT 6859/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI E. AHAMED): On behalf of Shrimati D. Purandeswari, I beg to lay on the Table :–

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Goa Sarva Shiksha Abhiyan, Panaji, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Goa Sarva Shiksha Abhiyan, Panaji, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6860/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himachal Pradesh Primary Education Society (Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority), Shimla, for the year 2008-

2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Himachal Pradesh Primary Education Society (Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority), Shimla, for the year 2008-2009.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 6861/15/12)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the UEE Mission (Sarva Shiksha Abhiyan), Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the UEE Mission (Sarva Shiksha Abhiyan), Delhi, for the year 2010-2011.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 6862/15/12)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mizoram Sarva Shiksha Abhiyan Mission, Aizawl, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mizoram Sarva Shiksha Abhiyan Mission, Aizawl, for the year 2010-2011.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 6863/15/12)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Shimla, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Shimla, for the year 2009-2010.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(Placed in Library, See No. LT 6864/15/12)

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Axom Sarba Siksha Abhiyan Mission, Guwahati, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Axom Sarba Siksha Abhiyan Mission, Guwahati, for the year 2010-2011.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(Placed in Library, See No. LT 6865/15/12)

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan UT Mission Authority Andaman and Nicobar Islands, Port Blair, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan UT Mission Authority Andaman and Nicobar Islands, Port Blair, for the year 2010-2011.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(Placed in Library, See No. LT 6866/15/12)

(15) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Bhubaneswar, Bhubaneswar, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

(Placed in Library, See No. LT 6867/15/12)

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Project Office Model School Scheme Chhattisgarh, Raipur, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Project Office Model School Scheme Chhattisgarh, Raipur, for the year 2009-2010.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

(Placed in Library, See No. LT 6868/15/12)

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the West Bengal Society for Rashtriya Madhyamik Shiksha Mission, Kolkata, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the West Bengal Society for

Rashtriya Madhyamik Shiksha Mission, Kolkata, for the year 2009-2010.

(20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

(Placed in Library, See No. LT 6869/15/12)

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Tripura Rajya Mission, Agartala, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Tripura Rajya Mission, Agartala, for the year 2009-2010.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

(Placed in Library, See No. LT 6870/15/12)

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2010-2011.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

(Placed in Library, See No. LT 6871/15/12)

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gujarat Council of Elementary Education (Sarva Shiksha

Abhiyan), Gandhinagar, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gujarat Council of Elementary Education (Sarva Shiksha Abhiyan), Gandhinagar, for the year 2010-2011.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

(Placed in Library, See No. LT 6872/15/12)

(27) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Gandhinagar, Gandhinagar, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

(Placed in Library, See No. LT 6873/15/12)

(29) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(30) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

(Placed in Library, See No. LT 6874/15/12)

(31) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Ropar, Rupnagar, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(32) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

(Placed in Library, See No. LT 6875/15/12)

(33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the State Project Office Rajiv Gandhi Shiksha Mission Chhattisgarh (Sarva Shiksha Abhiyan), Raipur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Project Office Rajiv Gandhi Shiksha Mission Chhattisgarh (Sarva Shiksha Abhiyan), Raipur, for the year 2010-2011.

(34) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

(Placed in Library, See No. LT 6876/15/12)

(35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Bhubaneswar, Bhubaneswar, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Bhubaneswar, Bhubaneswar, for the year 2010-2011.

(36) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (35) above.

(Placed in Library, See No. LT 6877/15/12)

(37) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Andhra Pradesh,

Hyderabad, for the year 2009-2010, alongwith Audited Acounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Andhra Pradesh, Hyderabad, for the year 2009-2010.

(38) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (37) above.

(Placed in Library, See No. LT 6878/15/12)

(39) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Teacher Education, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Council for Teacher Education, New Delhi, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 6879/15/12)

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Teacher Education, New Delhi, for the year 2010-2011.

(40) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (39) above.

(41) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (1) of Section 30 of the National Council for Teacher Education Act, 1993:-

(1) S.O. 29(E) published in Gazette of India dated 4th January, 2012 extending the period of supersession of the Council for a period of six months with effect from the 7th January, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 6880/15/12)

(2) Notification No. F. No. 47-8/2011/NCTE/CDN(Vol. II) published in Gazette of India dated 29th December, 2011 regarding nomination of Shri Sudhir Verma, Former Secretary, Department of Higher and Technical Education, Government of Rajasthan as Chairperson of Northern Regional Committee, Jaipur.

(Placed in Library, See No. LT 6881/15/12)

(3) Notification No. F. No. 61-1/2011/NCTE(N&S) published in Gazette of India dated 2nd August, 2011 regarding minimum qualification for a person to be eligible for appointment as teacher.

(Placed in Library, See No. LT 6882/15/12)

-

(42) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iii) of (41) above.

(43) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions under Section 33 of the National Council for Teacher Education Act, 1993:-

(i) The National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure Fourth Amendment) Regulation, 2011 published in Notification No. 49-3/2011/NCTE/N&S Gazette of India dated 8th July, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 6883/15/12)

(ii) The National Council for Teacher Education (Third Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 675(E) Gazette of India dated 13th September, 2011.

(44) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (ii) of (43) above.

(Placed in Library, See No. LT 6884/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI PRATIK PATIL): I beg to lay on the Table:–

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coal Mines Provident Fund Organisation, Dhanbad, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coal Mines Provident Fund Organisation, Dhanbad, for the year 2007-2008.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6885/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI MILIND DEORA): I beg to lay on the Table a copy of the Telecom Consumers Protection (Third Amendment) Regulations, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 308-5/2011-QoS in Gazette of India dated 9th March, 2012 under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

(Placed in Library, See No. LT 6886/15/12)

12.01 hrs

REPORT ON PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION IN 57TH COMMONWEALTH PARLIAMENTARY CONFERENCE

SECRETARY-GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table (Hindi and English versions) of the Report on Participation of Indian Parliamentary Delegation in the 57TH Commonwealth Parliamentary Conference held at London, United Kingdom from 21-28 July, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 6886 A/15/12)

12.01 ½ hrs.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES 19th to 21st Reports

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY (ASANSOL): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions):-

(1) Nineteenth and Twentieth Reports on requests for dropping of assurances.

(2) Twenty-first Report on review of pending assurances pertaining to Ministry of Water Resources.

12.02 hrs.

STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION
19th Report

SHRI JAYWANT GANGARAM AWALE (LATUR): Madam, I beg to present the Nineteenth Report (Hindi and English versions) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Ninth Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2009-10) on the subject, "Bureau of Indian Standards (BIS) – Hallmarking of Jewellery", pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

12.02 ½ hrs.

STATEMENT CORRECTING REPLY TO STARRED QUESTION NO. 365 DATED 02.05.2012 REGARDING IMPLEMENTATION OF RTE ACT

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, in Reply to part (a) and (b) of the Starred Question No. 365 dated 02.05.2012 asked by Shri Neeraj Shekhar and Shri Asaduddin Owaisi regarding "Implementation of RTE Act", the date of the Supreme Court Judgement may be read as 12th April 2012 instead of 13th April, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 6887/15/12)

12.03 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 17th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Mines*

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): महोदया, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देशों के अनुसार यह वक्तव्य, खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 17वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के क्रिर्यान्वयन पर सभापटल पर रख रहा हूं।

कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 17वीं रिपोर्ट 29ण्08ण्2011 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई जो वर्ष 2011-12 के लिए खान मंत्रालय की अनुदान की मांगों के लिए थी। इस पर की गई कार्रवाई 23.11.2011 को समिति कार्यालय को भेज दी गई है। समिति की 17वीं रिपोर्ट में 10 सिफारिशें की गई थीं जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई अपेक्षित थी।

क्रियान्वयन की स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखे मेरे वक्तव्य के अनुबंध-1 में दर्शाया गया है। इस अनुबंध को पढ़ने के लिए मैं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पठित समझा जाए।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6888/15/12.

12.03 ½ hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 1st, 14th, 19th, 31st and 43rd Reports of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, the Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice had made 25 recommendations in its First Report on the Demands for Grants (2004-05) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. This hon. House has already been informed on 08.09.2011 that out of the above 25 recommendations, 23 recommendations had already been implemented and no further action remains to be taken on them. In regard to the remaining 2 recommendations, Sir, with your permission, I lay one statement on the Table of the House which indicates the status as on 31,03.2012 on these recommendations. Statement No. I indicates the position regarding these 2 recommendations which are at various stages of implementation. The progress of the implementation of the recommendations of the Committee is being closely monitored by my Ministry.

Sir, with your kind permission I further state that the Committee had made 48 recommendations in its 14th Report on the Demands for Grants (2006-07) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. This hon. House has been informed on 08.09.2012 that out of these, 46 recommendations had already been implemented or no further action remained to be taken on them. Out of the remaining 2 recommendations, action on 1 recommendation has been completed as indicated in Statement-ll. One recommendation is at various stages of

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6889/15/12.

implementation as indicated in Statement-Ill. The progress of the implementation of the recommendation of the Committee is being closely monitored by my Ministry.

Sir, with your kind permission, I further state that the Committee had made 74 recommendations in its 19th Report on the Demands for Grants (2007-08) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. The hon. House has been informed on 08.09.2011 that out of these, 69 recommendations had already been implemented or no further action remained to be taken on them. As regards the remaining 5 recommendations, Sir, with your permission I lay two Statements on the Table of the House which indicate the status as on 31.03.2012. Statement-IV indicates the position regarding 2 recommendations which have since been implemented. Statement-V lists the status of the remaining 3 recommendations which are still at various stages of implementation. The progress of the implementation of the remaining recommendations of the Committee is being closely monitored by my Ministry.

Sir, with your kind permission, I further state that the Committee had made 48 recommendations in its 31st Report in Chapters III, IV & V on the Action Taken Replies of the Government on the recommendations contained in the 25th Report on Demands for Grants (2008-09) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Chapter-Ill of the 31st Report contains 11 recommendations. This hon. House has already been informed on 08.09.2012 that all the 11 recommendations contained in the Chapter-Ill of the 31st Report had been implemented before 31.08.2011. Chapter-IV of the 31st Report contains 36 recommendations. This hon. House has already been informed on 08.09.2011 that out of 36 recommendations, 33 recommendations had already been implemented and no further action remains to be taken on them. As regards the remaining 3 recommendations, Sir with your permission, I lay Statement-VI which indicates 1 recommendation which has been implemented. Statement-VII indicates the status

of the remaining 2 recommendations as on 31.03.2012 which are at various stages of implementation.

Sir, with your kind permission I further state that the Committee had made 18 recommendations in chapters III and IV of 43rd Report on the Action Taken Replies of this Ministry on the recommendations / observations contained in the 38th Report on Demands for Grants (2010-11) on the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. This hon. House has already been informed on 08.09.2011 that out of 18 recommendations, 8 recommendations have already been implemented before 31.08.2011 and no further action remains to be taken on them. Statement-VIII lists the status of the remaining 10 recommendations which are at various stages of implementation. The progress of the implementation of these recommendations of the Committee is being closely monitored by my Ministry .

12.04 hrs.

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2011-12),pertaining to the Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): महोदय, मै माननीय सभापति, राज्य सभा द्वारा राज्य परिषद में नियम, प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 266 के अंतर्गत जारी किए गए निदेश के अनुसरण में तथा जिसे दिनांक 28 सितम्बर, 2004 के राज्य सभा संसद बुलेटिन भाग-II के जरिए जारी किया गया है, मैं इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2009-10) की 23वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभापटल पर रख रहा हूं:

1. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 2011-12 की अनुदान की मांगों की जांच की है और रिपोर्ट को लोक सभा में 4 अगस्त, 2011 को प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट में 27 सिफारिशें/टिप्पणियां हैं।
2. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट (परिशिष्ट) के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की सभी 27 सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन के लिए यथासंभव कदम उठाए हैं।
3. मैं सदन का बहुमूल्य समय लिए बिना विस्तृत अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना चाहूंगा।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6890/15/12 .

(iii) (b)Status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on InformationTechnology on 'Modernisation of Post Offices, pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications and Information Technology *

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा निदेश 73क के अनुसरण में, सदन का बहुमूल्य समय न लेते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट सं015 में उल्लिखित डाक विभाग से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी विस्तृत रिपोर्ट विलंब विवरण सहित सभापटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library See No. L.T.6891/15/12.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय को सदन के सम्मुख रखने का अवसर दिया। पिछले कुछ दिनों से यूएस डालर और अन्य विदेशी मुद्राओं के अनुपात में रुपए की कीमत में निरंतर गिरावट आ रही है। पिछले दिनों, मार्च-अप्रैल में करीब आठ प्रतिशत रुपए के मूल्य में गिरावट आई है। आज एक यूएस डालर की कीमत 54 रुपए के करीब हो गई है। सवाल यह है कि रुपए की कीमत निरंतर क्यों गिर रही है और इसके गिरने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? हमें आयात में रुपया अधिक से अधिक देना पड़ रहा है। वित्त मंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं कि हमारा क्रूड ऑयल के आयात का जो बिल है, वह बहुत बढ़ा है। अगर यही रफ्तार रही, रुपया ऐसे ही गिरता रहा तो हमें कच्चे तेल के आयात के बिल में बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। उसके स्वाभाविक दुष्परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहे हैं। इसका नतीया यह हुआ है कि मुद्रा विस्तार बढ़ा है, महंगाई बढ़ गई है। खाद्यान्न सामग्री यानि महंगाई की दर दस प्रतिशत के करीब आ गई है। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि यह खतरनाक बात है। एक-एक महीने में जो मुद्रा विस्तार की जो दर बढ़ रही है, खाद्यान्नों की और खासकर सब्जियों की, वह आम आदमी की जेब पर भारी बोझ है।

सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा बाज़ार निरंतर क्यों गिर रहा है? आरबीआई और वित्त मंत्रालय रुपए को गिरने से रोकने के बारे में क्या योजना बना रहे हैं? क्या इसका सीधा असर हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर नहीं पड़ेगा? अगर आपको रुपए का मूल्य बढ़ाना होगा, तो आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसे घटाना होगा। इसके क्या परिणाम होंगे, आपका फिसकल डेफिसिट कहां जाएगा? जो आपने बजट में और अपने भाषणों में सदन को आश्वस्त किया था, वह कहां जाएगा, उसकी रफ्तार क्या है? सवाल यह है कि आप बार-बार यह कहते आ रहे हैं कि हमने अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ सुधार किए हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। मेरा सदन से और आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इन प्रश्नों पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिए।

आज सारा यूरोप परेशान हो गया है। पहले अमेरिका में मेल्टडाउन हुआ, अब यूरोप में मेल्टडाउन हो रहा है। आप बार-बार कहते हैं कि हम दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो आप इस मेल्टडाउन को कब यहां बुलाएंगे, अगर नहीं आने देना चाहते तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, कौन से सुधार आप लाना चाहते हैं? आपके आर्थिक सलाहकार ने कहा था कि हम सुधार 2014 से पहले नहीं ला सकते। अभी तक यूपीए वन और टू ने सुधार किए हैं, उसका नतीजा तो यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था का सारा संकट निरंतर बढ़ रहा है और शायद 1991 की तरफ हम जा रहे हैं।

वित्त मंत्री जी ने मुझे पत्र लिखा था कि हमारे फेंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। वे कौन से फेंडामेंटल्स हैं जो मजबूत हैं, क्योंकि वे सारे फेंडामेंटल्स कमज़ोर साबित हो गए हैं। क्या आप भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बजाए पश्चिमी अर्थव्यवस्था को मानक मानकर कोई भारतीय मॉडल का निर्माण करेंगे, क्या इस तरफ ध्यान देंगे या बराबर उन्हीं सुधारों को लागू करने की कोशिश करेंगे, जिनसे हमारी तबाही हुई है? हम यह उनसे जानना चाहेंगे? वह बार कह रहे हैं कि खतरा है, खतरा है, लेकिन खतरे को टालने के लिए क्या कर रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या कर रहे हैं? महंगाई को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं? रुपए की कीमत गिरने का मतलब है कि भारत के श्रमिकों के मूल्य का अवमूल्यन किया जा रहा है। यह बहुत खतरनाक बात है।

इस समय न तो हमारे अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, वह चले गए हैं और न ही वित्त मंत्री जी उपस्थित हैं। यह सारा सदन इस बात से सहमत है, हम इतना महत्वपूर्ण प्रश्न उनके सामने रखना चाहते हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा सुनिश्चित करें और वित्त मंत्री जी सदन में बताएं कि वह इस बारे में क्या करना चाहते हैं तथा देश में महंगाई को रोकने के लिए और सुधारों के बारे में उनका क्या कथन है, वह हमारे सामने यहां रखें।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Virendra Kumar, Shri Rajendra Agrawal and Shri P.L. Punia are permitted to associate themselves with what Dr. Murli Manohar Joshi has said. Sk. Saidul Haque:

… (*Interruptions*)

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): Please allow me to speak. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please do not interrupt the hon. Member.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Thank you Chairman Sir. In spite of Central Government stance not to cut short import of oil from Iran, there has been a substantial reduction on import of oil from Iran. The Minister of State for Petroleum told in the upper House yesterday that the target fixed for import of crude oil from Iran for 2012-13 is approximately 15.5 millions tonnes. India imported 18.3 million tonnes crude oil from Iran in 2010-11 and 17.44 million tonnes in 2011-12. The target for this year is fixed at 15.5 million tonnes.

This means India will import 11 per cent less oil from Iran. It also shows that there is gradual reduction of import of oil from Iran. This declaration has been made by the hon. Minister when US Secretary of State arrived in New Delhi in a bid to wean Indian Government away from Iran's oil.

Prior to that, the US Secretary of State in her recent visit to India demanded that India should stop importing oil from Iran and curtail trade and economic ties with Iran. She also acknowledged before the Congressional Committee that India has been responding to USA demand. Already this present UPA-II Government has succumbed to the US pressure on the Iran-Pakistan-India gas pipeline and on the Iran nuclear issue. We know that the concern of USA is not for the cause of nuclear programme. The hidden concern of USA is for occupying Iran like that of Iraq and to take control of Central Asia. The present Central Government must not surrender to USA pressure. We have good relation with Iran for a long time. In the past, hon. Finance Minister has assured that it will not cut short oil import from Iran but in reality, what is happening is something different. India needs oil and gas from Iran. India meets a large portion of the demand from Iran. So, the present UPA must resist American pressure and act on the basis of vital interests of the country by not reducing import of oil from Iran. Considering the national importance, I demand that the hon. Prime Minister should make a Statement in the House.

MR. CHAIRMAN : Shri M.B. Rajesh and Dr. Tarun Mandal are allowed to associate with the matter raised by Sk. Saidul Haque.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति जी, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में वे हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश से 35 हजार के लगभग हज यात्री सऊदी अरब यात्रा पर गये थे, लेकिन लगातार केन्द्र सरकार हज यात्रियों की संख्या घटाती जा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 35 हजार 532 हज यात्री उत्तर प्रदेश से हज करने गये थे। वह संख्या घटाकर 25 हजार के लगभग कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश से हज पर जाने के लिए आवेदन बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रहे हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यात्रा पर जाने वाले

तीन-तीन, चार-चार वर्ष तक वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। उन्हें हज पर जाने में तीन-चार वर्ष लग जाते हैं। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश का कोटा हर वर्ष कम करती जा रही है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों की उपेक्षा हो रही है।

भारत वर्ष के विभिन्न प्रांतों से 1 लाख 32 हजार के लगभग हज यात्री यात्रा पर जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो कोटा है वह लगातार घटाया जा रहा है। आप सब्सिडी घटा रहे हैं उस पर कोई एतराज नहीं है, मुस्लिम भाई भी चाहते हैं, हमारे मौलाना भी चाहते हैं, लेकिन कोटा क्यों घट रहा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बनारस है, चन्दौली है, मऊ है, गाजीपुर है और पूर्वांचल के ऐसे बहुत जिले हैं जहां पर मुस्लिम भाई बहुतायत में रहते हैं।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोटा हज यात्रियों का बढ़ाया जाए।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Kaisar Jahan and Shri P.L.Punia are allowed to associate with the matter raised by Shri Ramkishan.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let him speak. The hon. Member from your Party has spoken. Please allow other parties also. I will call you later.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You have already said it. Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Mr. Chairman, Sir, I rise to raise a very emotive issue. My concern is for only one semi-skilled labourer from Odisha. It concerns an Indian. The issue is, there are placement agencies which are operating in our country. They recruit semi-skilled labourers or skilled labourers to go abroad and work outside. They give allurement; they give inducement. That is how, the unskilled or semi-skilled people travel abroad. But the moment they arrive at those places, their passports are impounded and they are put to a lot of difficulties.

An old lady of my constituency, before I came last week, approached me with two photographs. Those two photographs demonstrate the pitiable condition

[*] Not recorded.

in which her son is now languishing in Angola, Africa. One photograph shows that he is hand-cuffed. I would like to draw the attention of this House and also of the Government to the plight of a poor labourer and a semi-skilled worker Shri Ramachandra Rana of Village Gopinathpur, Post Office Singhanath Pitha of Badamba in the district of Cuttack. He is now detained in Angola. He was taken to Africa by one Binod Roy Himatlal Kapacy, a man from Gujarat having his business company based in Luanda, Angola. He was recruited by Mahavir Placement Services, Padmavati Complex, Ghee Kanta, Old N. Cinema, Ahmedabad, Gujarat.

I heard the other day our esteemed colleague Shri Harin Pathak was also raising that issue. But here, I am giving the details. The placement agency is from Ahmedabad, Gujarat. They are recruiting semi-skilled and unskilled people to go abroad. Here the company which has taken this man is from Gujarat. He is doing some construction activity in Angola. The pitiable condition is that he has sent a photograph of Shri Ramachandra Rana, who is hand-cuffed, to the old woman. She was asking about her son as he is unable to send any money to her. That is the pitiable condition. This person who is stationed in Ahmedabad has sent a hand-cuffed photograph. Here, I would request the Government one thing. The company had assured him a salary of only Rs.15,000 per month.

MR. CHAIRMAN: You please tell as to what you want.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Today, Shri Ramachandra Rana is being held in captivity in Angola. The family members are being threatened by Mahavir Placement Services when they are approached. The State Government has also written to the Government of Gujarat. I would like to request that the Central Government also has to intervene and the Embassy stationed in Angola also should be intimated about the pitiable condition. My request would be to hear the anguish of the old mother so that Shri Ramachandra Rana comes back to his mother at home alive. This is my request.

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदय, आप और सारा सदन जानता है कि पूरे देश में कोयला उत्पादन का काम कोल इंडिया कम्पनी के माध्यम से किया जाता है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में सैन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटिड एक सब्सिडरी कम्पनी है, जिसके माध्यम से कोयला उत्पादन और खनन का काम होता है। आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर कोयले की खानों को चलाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। कोल इंडिया की नीति रही है कि जिसकी जमीन जाती है उसे तुरंत नौकरी नहीं देते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को उस समय नौकरी दी जाती है जब सचमुच उसकी जमीन पर खनन का काम शुरु हो जाता है। वह जमीन से वंचित हो जाता है लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत राहत देने के लिए सीसीएल ने एक तरीका अपनाया कि जिस क्षेत्र में कोयला खनन का काम होगा, वहां वह लोकल सेल करेगा। लोकल सेल का मतलब है कि वहां कोयले का डम्प होगा, रांची मुख्यालय सीसीएल से डीओ, डिलीवरी ऑर्डर इश्यू होता है, लोग डम्प पर आते हैं और कोयला उठाते हैं। इस तरह से थोड़ी बहुत राहत विस्थापितों को मिलती है।

अभी हाल में मेरे यहां घटना घटी कि एक खास इलाके के बहुत सारे विस्थापितों ने, जिन्हें कोई राहत नहीं मिली, न नौकरी मिली और न ही लोकल सेल में भागीदारी मिली, एजिटेशन किया। मैं भी एजिटेशन में शामिल हुआ। हमारे खिलाफ कोल इंडिया, सीसीएल प्रबंधन ने एफआईआर कर दी। उन्होंने थाने में जाकर सरकारी काम में रुकावट पैदा करने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं दूसरे दिन मैं उन सब अभियुक्तों को, जो एफआईआर में नामजद थे, लेकर थाने पहुंचा और कहा कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है, धारा लगाई गई है, मुझे गिरफ्तार कर लो और जहां भेजना है भेज दो नहीं तो इस मामले को यहीं खत्म करो।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जब चुनाव आता है तो पता नहीं कब का केस लगा होता है, बेल हुआ या नहीं हुआ, आपको कोई सूचना नहीं होती है लेकिन जब नामिनेशन दाखिल करने जाते हैं तो पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है कि आपके ऊपर केस है। मैं चाहता था कि इस तरह की परिस्थिति पैदा न हो इसलिए मैंने थाने के पदाधिकारियों से कहा कि हमें पकड़ लो, जेल भेज दो, अगर केस गलत है तो तत्काल इन्वेस्टिगेशन करके इसे समाप्त करो। मुझे यह कहते हुए संतोष होता है कि एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी स्पॉट पर थे, उन्होंने तहकीकात की, दो-तीन घंटे तक मैं थाने में बैठा रहा, वे आए और कहने लगे आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, हम केस समाप्त करते हैं।

मुख्य मुद्दा यह है कि लोकल सेल के बारे में मुझे पहली बार कुछ पता चला। मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न सिन्हा जी ने काला पत्थर फिल्म में बहुत बढ़िया अदाकारी की थी। मैंने वह फिल्म देखी है। मैं कोयले की

राजनीति नहीं करता हूं। मैं पहली बार इसमें इन्वाल्व हुआ तब मुझे बताया गया कि लोकल सेल में डम्प्स चलते हैं, इसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। लोकल माफिया के लोग इसके इंचार्ज बन जाते हैं। मजदूरों के समूह को दंगल कहते हैं। एक दंगल में बीस मजदूर काम करते हैं लेकिन अधिकांश दंगल फर्जी होते हैं। दंगल के नाम पर कोयला उठता है और सारा कुछ माफिया के हाथ में जाता है। लाखों रुपए का लेन देन प्रति दिन होता है। जैसा कि मैंने कहा भयंकर भ्रष्टाचार है, इसमें कोल इंडिया, सीसीएल के पदाधिकारी भी सीधे तौर पर लिप्त हैं। मुझे पता चला है कि रोज शाम को जीएम कार्यालय में बैठकर बंटवारा होता है कि किसके हिस्से में कितना पैसा आया है। इसमें लोकल पुलिस भी शामिल है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें इतना भ्रष्टाचार है। इसके साथ और भी मुद्दे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि लोकल सेल और डम्प्स का जो मामला है, उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो और जितने दोषी हैं, सबको दंडित किया जाए, सबके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, यह मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Shri Ravindra Kumar Pandey, Shri Rajendra Agrawal and Shri P.L. Punia are allowed to associate with this issue.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति जी, इससे पहले कि आप अगले वक्ता को बुलायें, मैं एक ऑब्जर्वेशन करना चाहती हूं कि शून्य काल यानी जीरो ऑवर इस सदन का सबसे महत्ववपूर्ण काल होता है। जिस समय अपने क्षेत्र के विषय, देश के विषय, उस दिन की हुई घटनाएं यहां उठाते हैं और अब तो प्रश्न काल स्थगन का नोटिस भी दो तो अध्यक्ष महोदया कहती हैं कि मैं शून्यकाल में उठाने दूंगी। आप एक बार जरा उस तरफ देखिये। शून्य काल में दूसरी बैंच पर एक मंत्री बैठे हैं, पूरी सत्ताधारी बैंचें खाली हैं...(व्यवधान) अगर पूरी की पूरी ट्रेजरी बैंचेज का...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Two other hon. Ministers are present.

… (*Interruptions*)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : हम दोनों मौजूद हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर ट्रेजरी बैंचेज का और सरकार का,...(व्यवधान) अगर सरकार शून्यकाल के प्रति इतनी उदासीन है, जीरो ऑवर के प्रति सरकार इतनी उदासीन है, यह सामने नजर आ रहा है। संसदीय कार्य मंत्री स्वयं नहीं हैं और कोई मंत्री उपस्थित नहीं हैं, पूरी बैंचेज पर केवल एक कैबिनेट मंत्री बैठे हैं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Two other hon. Ministers are present.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सत्ताधारी बैंचेज पर कुल पांच आदमी बैठे हैं...(व्यवधान) आप निर्देशित कीजिए। यह इनडिफरैन्स, यह उदासीनता सदन में जो लक्षित हो रही है, क्या करेंगे...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Okay, you have made your observation. Please take your seats.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह हालत क्या है?...(व्यवधान) हालत क्या है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. Please allow the House to function.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : यहां मामले अध्यक्ष महोदया की अनुमति से उठाते हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Okay, you have made your observation. Shri Shailendra Kumar.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You may tell what you want to tell.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैं रूल ही की बात कर रहा हूं।...(व्यवधान) मैं अपोजीशन लीडर की बातों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। ...(व्यवधान) मैं उनकी बातों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं अभी तक यहां था, कोई माननीय सदस्य मुझसे बात करना चाहते थे, मैं इसलिए बाहर गया था।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : कई बार ऐसा हो जाता है ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप अपने पीछे देखिये...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

श्री पवन कुमार बंसल : कई बार ऐसा हो जाता है...(व्यवधान) वरना पूरे मिनिस्टर्स यहां होते हैं। इसमें क्या बात है। सभी मंत्रियों को और काम भी करने होते हैं। कभी ऐसा हो जाता है, यह कोई आदत नहीं है। आप भी सरकार में रहे हैं। हर वक्त पूरा का पूरा मंत्रिमंडल यहीं बैठना पड़ेगा...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): सुषमा जी, आपने कहा कि एक भी व्यक्ति नहीं है और मैं यहां बैठा हुआ हूं। ऐसा लगता है कि मुझे आपने देखा नहीं ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने आपका नाम लेकर कहा, आप अकेले बैठे हैं, मैंने यह नहीं कहा, मैंने आपका नाम लेकर कहा...(व्यवधान) मैंने कहा कि आप अकेले बैठे हैं।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप अपने पीछे की खाली बैंचेज को देखिये। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not have cross-talks.

… (*Interruptions*)

12.05 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Reported Allegations of Spot Fixing etc. in IPL Matches

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज चूंकि मैंने इसी पर एडजर्नमैन्ट मोशन का नोटिस भी दिया है आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कल मैंने और हमारे माननीय सदस्य कीर्ति आजाद जी ने आईपीएल के बारे में इसी सदन में मुद्दा उठाया था। आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा कि पांच खिलाड़ियों को केवल सस्पैंड किया गया है। उसकी जांच उसी एजेंसी

* Not recorded.

और उसी बोर्ड से कराई जा रही है। कल मैंने इसी सदन में मांग की थी कि देश का जो काला धन और भ्रष्टाचार का धन था ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You have already raised this matter. The Government will reply to it.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : वह धन आईपीएल में लगा कर बहु बड़े पैमाने पर घोटालेबाज़ी की जा रही है। ...(व्यवधान) मैं आपसे मांग करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी जांच पुलिस से करवाएं। ...(व्यवधान) पुलिस एजेंसी को इसकी जांच दें। उच्चस्तरीय जांच करा कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। ...(व्यवधान) मैंने यह मांग की थी। ...(व्यवधान) कीर्ति आज़ाद जी ने भी इसका सपोर्ट किया था। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You had already raised it yesterday. I have now called your Party Member to speak.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया गया है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have not given the notice.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसकी जांच करा के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। ...(व्यवधान) यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): I need your protection, Sir.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: What is it?

SHRI KIRTI AZAD : Sir, I thank you for giving me the permission to speak. I had spoken in Hindi. इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। Yesterday, I raised a very important issue regarding IPL. I do not want to go into it. I simply would like to request the Government, for all those things that I had spoken स्पेशल ऑडिट बैठना

* Not recorded.

चाहिए। जो गड़बड़ी हो रही है उसको देखना चाहिए। पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है ...(व्यवधान) सरकार की तरफ से मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No assurance is given during 'Zero Hour'. The Government will reply to you in writing.

… (*Interruptions*)

SHRI KIRTI AZAD : If my voice is not going to be heard and they are going to do what the administration does then why should I believe these people?… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The Government will reply to you.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Only Shri Shukla's statement will go on record.

(Interruptions) … *

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I am on my legs. Please take your seat. You have raised the issue yesterday. The Government will respond to it in due course of time. It is not necessary that the Government should respond immediately to the matters being raised during 'Zero Hour'. If there is any urgency the Government can respond immediately otherwise, according to its convenience the Government will reply to the concerned Member.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: When I am on my legs why are you standing?

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Both of you have raised the issue yesterday. The Government will respond to it afterwards. You cannot expect the Government to immediately respond to all the matters raised during 'Zero Hour'. It may then be a debate and not 'Zero Hour' then. Members are only allowed to raise important urgent matters during 'Zero Hour'.

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं इस विषय पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस पर हम भी उतने ही चिंतित हैं, जितने आप हैं। सभी चिंतित हैं, अगर ऐसी बातें बाहर हो रही हैं। जैसे मैच फिक्सिंग की हो रही है। लेकिन कीर्ति आज़ाद जी मुझ से ज्यादा जानते हैं कि यह मसला बीसीसीआई को ज्यादा देखना है। ...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : क्या वे कानून से ऊपर हैं? ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : अब मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him finish.

… (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल: मैं तभी बोल पाऊंगा अगर आप बैठेंगे और आप चाहते हैं कि मैं बोलूं, लेकिन साथ-साथ आप भी बोलना चाहते हैं, दोनों बातें तो नहीं होंगी। ...(व्यवधान) यहां तक कि अगर इसमें किसी भी कानून के उल्लंघन की कोई भी बात होगी the law will take its own course and action will be taken.… (*Interruptions*) You cannot dictate like this. You may go to BCCI.… (*Interruptions*)

MR.CHAIRMAN: Nothing, except what Shri Shukla says, will go on record.

*(Interruptions) …**

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ ...(व्यवधान) मैं आज एक ऐसे संवेदनशील विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं। ...(व्यवधान)

MR.CHAIRMAN: Please maintain order in the House. Do not comment like this otherwise there will be reaction from the other side and I will not be able to run the House. Please cooperate.

… (*Interruptions*)

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला : अपने देश का एक अति संवेदनशील एवं अति अविकसित राज्य ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I will call you. You will have to wait. The hon. Member has already been called to speak. I will call you after him. I would request the

* Not recorded.

Members to be brief because we have to finish with all the 'Zero Hour' matters by one o' clock.

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला : सर, मेरा पहला नंबर था मैं क्या बोलूं।

MR. CHAIRMAN: That is why I have called your name.

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला : सर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। यह विषय मुझे रखना पड़ेगा। भारत का एक अति संवेदनशील राज्य सिक्कम है जो तीन देशों की सरहद से जुड़ा हुआ है - नेपाल, चीन और भूटान। हालत यह है कि, जैसे आज सुबह महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ जो फोटो सेशन हुआ, उसका भी कोई चित्र वहां दिखाई देने वाला नहीं है क्योंकि वहां कोई दूरदर्शन केंद्र नहीं है। आठ-दस सालों से वहां दूरदर्शन केंद्र तैयार है। आज तक उनकी भाषा में दूरदर्शन केंद्र शुरू नहीं है। कल की तारीख में जब मैंने माननीय मंत्री जी से इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा था तो उन्होंने प्रसार भारती का हवाला देते हुए यह कहा कि प्रसार भारती ने सूचित किया है कि गैंगटोक का दूरदर्शन केंद्र शुरू है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2003-04 से यह केंद्र बना पड़ा है। वहां 36 का टैक्निकल स्टॉफ है, वहां हर चीज तैयार है, फिर भी वहां जो टीवी चलता है, सप्ताह में एक बार असम से, नॉर्थ-ईस्ट चैनल से उसी के लिए 10-15 मिनट का कार्यक्रम आता है। सिक्किम की जनता अपनी भाषा में दूरदर्शन देखना चाहती है। वह चाहती है कि भुजिया, लेपचा, नेपाली और लिम्बू में दूरदर्शन के कार्यक्रम दिये जायें। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द वह दूरदर्शन केंद्र शुरू किया जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Thank you, Mr. Chairman. I would like to bring your kind attention with regard to the Mysore Airport.

The Mysore Airport was developed under MoU between Airports Authority of India and Government of Karnataka and it was inaugurated for commercial operations on 1st October, 2011. At present, the airport is capable of handling ATR-72 type of aircrafts with three parking bays including all the navigation facilities.

Since, 10th November, 2011, Kingfisher Airlines has withdrawn operations from Mysore Airport, which resulted in no commercial operations till today.

Mysore is a hub for tourism, national and international conferences, Government offices as well as there are companies like Infosys, TVS, Wipro, Jubilant, L & T, United Breweries, ITC, BEML, CFTRI, DFRL and RBI. The survey also says that there is a huge potential of approximately 250 - 300 passengers per day.

Incidentally, Mysore holds Dussehra celebrations, ISRO conferences and other workshops at international levels. There is a dire need to decongest the Bangalore Airport, by diverting the traffic to Mysore Airport in future.

The House may be aware that due to the recent Kingfisher Airline's crisis, the private airlines are not keen to commence operations soon from Mysore Airport.

Hence, I would like to request the hon. Minister for Civil Aviation – through the Chair – to operate flights by Air India from Mysore to various destinations to unleash the potential of Mysore Airport immediately.

MR. CHAIRMAN : Shri P.L. Punia may be allowed to associate himself with the matter raised by Shri R. Dhruvanarayana

श्री मधुसूदन यादव (राजनंदगाँव): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष से अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के तकनीकी शिक्षा अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति का पुनर्निर्धारण नहीं हुआ है। तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में इन 15-20 वर्षों में शुल्क बढ़कर तीन गुणा हो गया है, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं बढ़ी है। इस वर्ग के लोगों के लिए इतनी राशि एफोर्ड कर पाना संभव नहीं होता है और बहुत से छात्र कर्ज लेकर शिक्षा पूरी करते हैं या फिर बीच में ही वे अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं। इस कारण से वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस अवधारणा के साथ छात्रवृत्ति दी गयी थी, उस अवधारणा को पूरा करने के लिए सरकार आज के शुल्क के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करे। सरकार छात्रवृत्ति का पुनर्निर्धारण करे और आज के अनुसार छात्रवृत्ति दे ताकि वे बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। गत् कई दिनों से चर्चा में एक विषय आ रहा है, एक्शन उस पर शुरू हो गया है, यह भी जानकारी मिली, लेकिन उसको लेकर मेरे मन में कुछ प्रश्न आए हैं, वे मैं आपके सामने रखना चाहूंगी।

कई दिनों से म्यांमार से करीब पच्चीस सौ से भी ज्यादा, ढ़ाई-तीन हजार लोग दिल्ली में आकर बस गए हैं। दिल्ली में बसने के बाद वहां से वसंत विहार से उनको वसंत कुंज में शिफ्ट किया गया, वहां एक ऐसा ही प्रोटैक्टेड मॉन्यूमैन्ट है, वहां पर वे बस गए। फिर दो तीन दिन बाद उनको वहाँ से भी निकालने की कार्रवाई शुरू हो गई। यह सब जो प्रक्रिया हो गई, उसमें करीब ढाई-तीन हज़ार किलोमीटर दूर से एक काफ़िला चलता है, हिन्दुस्तान में आता है और किसी को कुछ नहीं मालूम कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बसेंगे - बेरोक-टोक वहाँ से ढाई-तीन हज़ार लोग निकल पड़ते हैं और दिल्ली तक आ जाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में आकर यहाँ के प्रोटैक्टेड मॉन्यूमैन्ट में बस जाते हैं।

इसमें यह सवाल उठता है कि एक तो इतने लोग यहाँ पर आकर रहेंगे, न उनके खाने-पीने का इंतज़ाम, न सैनिटेशन की कोई व्यवस्था और ढाई-तीन हज़ार लोगों के कारण आस-पास के लोगों की सुरक्षा और दिल्ली की सुरक्षा का भी प्रश्न खड़ा होता है। आज हमारी स्थिति यह है कि हम अपने हिन्दुस्तान के लोगों को ही कहीं न कहीं रोटी, कपड़ा और मकान देने की स्थिति में नहीं हैं, भुखमरी के कारण आत्महत्याएँ हो रही हैं, हम पीने का शुद्ध पानी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में इतने लोग एक तो यहाँ आकर बस गए, उसके बाद जो बात होती है, वह और थोड़ी चिन्ता करने वाली बात है कि हम पहले ही कई सारे घुसपैठियों से परेशान हैं, वह एक अलग मुद्दा बनता है, मगर यहाँ आने के बाद दिल्ली की मुख्य मंत्री ने अगर सही में कहा है तो वह भी एक चिन्ता का विषय बनता है। उन्होंने यह कहा कि हमें लगा था कि जिस ज़मीन पर वे बसे हैं, वह वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन है, हमने ध्यान नहीं दिया। अब मालूम हुआ कि वह डीडीए की ज़मीन है तो हम ध्यान देंगे। तो क्या हिन्दुस्तान में वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर कोई भी बाहर से आकर बस सकता है और उस पर कोई ध्यान नहीं देगा? यह किस प्रकार की शासन व्यवस्था है?

एक और बात जो मन में आती है कि अलग-अलग प्रकार से इस पर बातचीत हो रही है। एक और बात यह हो रही है कि वे कह रहे हैं कि हमें रिफ्यूजी कार्ड लेने के लिए यूनाइटेड नेशन्स हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी से मदद मिलेगी। वहाँ के एक अधिकारी का स्टेटमैंट इस प्रकार का आता है। पहले तो वे कह रहे हैं, उनको जाने के लिए कहा इंडिया में, जहाँ जहाँ उनके नगर हैं, घर हैं, वहाँ वे जाएँ। वे जम्मू के हैं या सहारनपुर के हैं, वे कहाँ के हैं, यह किसी को मालूम नहीं। यह कहा जाता है कि वे म्याँमार

से आए हैं। फिर इस प्रकार की बात कही जाती है। फिर हाई कमीशन वाले यह भी कहते हैं कि इनको हम रिफ्यूजी कार्ड देंगे, लेकिन इनको लाँग टर्म वीज़ा इंडिया गवर्नमैंट ने देना है, इंडिया गवर्नमैंट देगी। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि इंडिया में किसी प्रकार का कानून नहीं है। यह किस प्रकार की स्थिति है और इन प्रश्नों के जवाब कौन देगा? क्या हिन्दुस्तान में कहीं से भी लोग आएँगे, यहाँ पर रहेंगे, हमारे पास कोई कानून नहीं, हम कुछ नहीं देखेंगे, और फिर इन् प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? न हमारी सरकार इस बारे में कुछ बोल रही है। पहले ही मिज़ोरम और दूसरे प्रदेशों में लोग आकर हज़ारों की संख्या में बसते हैं जो चिन्ता का विषय है। अब दिल्ली तक वे आ गए हैं, हमारी नाक के नीचे आ गए हैं। मैं चाहूँगी कि सरकार गंभीरता से इन बातों पर देखे और सरकार की तरफ से कोई न कोई स्टेटमैंट इस पर आना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The following hon. Members are allowed to associate themselves with the matter raised by Shrimati Sumitra Mahajan:

1. Shri Ramen Deka
2. Shri Kabindra Purkayastha
3. Yogi Aditya Nath
4. Shri Syed Shahnawaz Hussain
5. Shrimati Rama Devi
6. Shri Haribhao Jawale
7. Shri Hansraj G. Ahir
8. Shri Rajendra Agarwal
9. Shri Vinrendra Kumar
10. Shrimati Jayshreeben Patel
11. Shri Poonam Veljibhai Jat
12. Shri P.L. Punia

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): चेयरमैन साहब, मैं आपकी परमीशन से एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की रावी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो इंडस वॉटर ट्रीटी में फॉल नहीं करती है। उसका जो पानी है, वह हमेशा फिज़ूल में नीचे बहता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। हमने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से रिक्वैस्ट की है क्योंकि वह जम्मू कश्मीर का पहला प्रोजैक्ट होगा जिसे मल्टी परपज़ प्रोजैक्ट कहा जा सकता है। हमने रिक्वैस्ट करके यहाँ से एक डीपीआर बनाने के लिए कहा

और डीपीआर के लिए 17 करोड़ रुपये सीडब्लूसी को दिया गया। सीडब्लूसी के जो डायरैक्टर वहाँ बैठे हैं, उन्होंने डेढ़ साल का समय दिया था, वह टाइम बाउंड था। डेढ़ साल की बजाय आज चार साल हो गए हैं। This is very unfortunate कि अभी तक उसकी डीपीआर नहीं बन पायी है। इस प्रोजैक्ट से दो सौ मेगावाट बिजली तैयार होनी है। इससे 80 हजार एकड़ जमीन को पानी मिलना है। इससे पीने के पानी की जो कमी है, वह पूरी होनी है और हजारों बेरोज़गार लोगों को काम मिलना है। मेरा निवेदन है कि सरकार ने जो टाइम तय किया है डीपीआर बनाने के लिए, वह डीपीआर बनाएं। एक अकेला आदमी, डायरैक्टर सीडब्ल्यूसी और कुछ लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उसको कौन चैक करेगा? मंत्री साहब यहां बैठे हैं, वे कृपा करें, क्योंकि डेढ़ साल का जो समय दिया गया था, वह खत्म हो गया है और चार साल हो गए हैं। वह कब तक बन जाएगा और कब तक जम्मू-कश्मीर के लोगों को इसका फायदा मिलेगा?

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): मैं अपने आपको माननीय श्री चौधरी लाल सिंह के द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश में अधिकांश सड़कों की दशा बहुत खराब है। जिसमें प्रमुख मार्ग दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग पर सहारनपुर जनपद बार्डर से बेहट, विकास नगर, उत्तराखण्ड बार्डर पर सहारनपुर के आगे मुजफ्फरनगर मार्ग पर, सहारनपुर-देहरादून मार्ग पर, सहारनपुर-जबरेहड़ा मार्ग, उत्तराखण्ड बॉर्डर, फतेहपुर-कल्सिया-ननौता-देवन मार्ग आदि जनपद के दर्जनों ऐसे प्रमुख मार्ग हैं जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है। जनपद के अंदर सड़कों की अत्यन्त खराब दशा होने के कारण सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, पता नहीं चल पा रहा है। इसके कारण प्रमुख मार्गों का यातायात के अधिक आगमान चलते प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। अतः मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद सहारनपुर के केन्द्रीय मार्ग निधि, सीआरएफ की योजना के अंतर्गत सहारनपुर-बडगांव रोड़ व सहारनपुर-हथिनीकुण्ड बैराज रोड़ लगभग एक साल से निर्माणाधीन है। जिसमें देरी की जानकारी मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को देना चाहूंगा और साथ ही साथ देरी के कारणों की जानकारी भी लेना चाहूंगा।

इसके अतिरिक्त मेरे संसदीय क्षेत्र के विधान सभा बेहट में पीने के पानी की अत्यन्त समस्या है। उक्त विधान सभा का अधिकांश हिस्सा पर्वतीय अक्षेप होने के कारण यहां इण्डिया मार्क-2 हेण्डपम्प लगभग तीन लाख रुपए से अधिक की लागत पर लगता है। घाढ़ में अत्यन्त गरीब जनजाति के लोग निवास करते हैं। विधान सभा बेहट में गर्मी के मौसम में पीने के पानी की बहुत अधिक समस्या का सामना करना

पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त सड़क के निर्माण एवं मेरे संसदीय क्षेत्र बेहट विधान सभा में अविलम्ब तत्काल प्रभाव से आर्थिक सहयोग देकर प्राथमिकता के आधार पर जनहित में उपरोक्त कार्य कराएं।...(व्यवधान)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, गंगा एक्शन प्लान पर मैं आपके माध्यम से बंसल जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से बंसल जी से मांग करता हूं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. Nothing, except the speech of Shri Premdas Katharia, will go on record.

(Interruptions) ...[*]

श्री प्रेमदास (इटावा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) देश की आबादी बहुत बढ़ गई है। लोगों के पास समय का अभाव है।...(व्यवधान) आजादी को 64 वर्ष हो गए हैं फिर भी अभी तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जब रेल का आविष्कार हुआ, तब देश की आबादी 25 करोड़ थी। आज देश की आबादी 120 करोड़ के आस-पास है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, now `Zero Hour' is going on. I am going by the list. You can raise this after this. Moreover, today a discussion under Rule 193 on this issue is listed to be taken up. Let the `Zero Hour' be over. Let this list be over and after that you can raise it.

… (*Interruptions*)

श्री प्रेमदास : रेल लाइन शहर के किनारे से निकाली गयी थी, अब स्टेशनों के आस-पास बहुत आबादी हो गयी है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Only what Shri Premdas Katheria says will go on record.

… (*Interruptions*)

---

[*] Not recorded.

.

MR. CHAIRMAN: I have told you that I will allow you once the Zero Hour is over. I will allow you to raise this issue.

… (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने गंगा की बात उठायी थी। इस पर बार-बार चर्चा अधूरी रह जाती है। गंगा एक पवित्र नदी है। इससे नदी का अपमान हो रहा है। लोग वहां अनशन पर बैठे हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I am on my legs. You are a senior Member. Please take your seat. Already Zero Hour is going on. When the Zero Hour is over, you may raise whatever issue you want to. They are here.

… (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, गंगा नदी का मुद्दा किसी से भी कम नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : महोदय, गंगा नदी के बारे में चर्चा तो पूरी होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री प्रेमदास : रेल लाइन को पार करने में रेल एक्ट का उल्लंघन होता है। हमारी लोक सभा क्षेत्र इटावा, उत्तर प्रदेश में इटावा स्टेशन पड़ता है। रेल लाइन को पार करने के लिए ओवरब्रिज बनाने की अति आवश्यकता है जबकि मैंने कई बार इस मुद्दे को लोक सभा में उठाया है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

श्री प्रेमदास : विभाग से लिखकर आता है कि पर्याप्त जगह नहीं है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सैयद बाबा के स्थान से पचावली चौराहे तक पर्याप्त जगह है। इसको बनाना जनहित में अति आवश्यक है। ...(व्यवधान)

मेरी मांग है कि रेल विभाग के अधिकारी इस मामले को मौके पर जाकर देखें। कानपुर और टूण्डला के बीच में इटावा स्टेशन पड़ता है। ...(व्यवधान)

यहां से रेल विभाग को सबसे ज्यादा आमदनी है। फिर भी जनता को उचित सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं?

मैं सरकार से कहूंगा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जनहित में ओवरब्रिज बनाने की कार्रवाई की जाए।

---

[*] Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Shri P. L. Punia, and Shri Kamal Kishor 'Commando' are allowed to associate with the matter raised by Shri Premdas.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I will call the names of every Member. There is a list of Members with me. When already balloted Members are waiting for their chance, how can I call you immediately to speak? I will call him at the end. I have said, "I will call him".

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: What can I do? There is a list of priority with me. I have told 'no' to him. I will call him. Till then, let him wait. I will call him at the end.

*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPALLI): Tiruchirapalli the fourth biggest city in Tamil Nadu with a population of 10,27,000 people comes under my Lok Sabha constituency. Thanjavur, Pudukkottai, Karur, Perambalur, Ariyalur, Nagapattinam, Thiruvarur are the districts surrounding Tiruchirapalli. All the people from these areas are depending on Tiruchirapalli Airport to go to other states and other countries.

Tiruchirapalli Airport is one of the oldest Customs Airports from 1936. This Airport was offered flight service to Singapore, Gulf countries, Malaysia and Sri Lanka. In 2011 alone 11 lakhs of people made use of this International Airport. Tiruchirapalli Airport ranks first among the customs airports in India.

From September, 2011 Container Cargo export-import operations have commenced in this Airport. Citing shortage of flights and personnel in 2008, Chennai-Tiruchirapalli-Calicut-Quattar flight service was cancelled. In 2009, Chennai- Tiruchirapalli-Thiruvananthapuram-Sharjah flight service was cancelled. In 2012 Tiruchirapalli-Dubai, Chennai-Tiruchirapalli-Abu Dhabi flight service and Tiruchirapalli-Singapore, Chennai- Tiruchirapalli- Kuala Lumpur and Tiruchirapalli-Singapore and Tiruchirapalli-Mumbai services were cancelled.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

Except Chennai no other Airport in Tamil Nadu is having international airport. Tiruchirapalli is situated in central Tamil Nadu. Tiruchirapalli Airport needs to be upgraded as an International Civil Airport and Union Government must come forward to augment the flight services. Tiruchirapalli-Chennai direct flight service may commence from Tiruchirapalli Airport by Air India now. Civil sector flight operations from Tiruchirapalli are not handled by Air India. I urge upon the Civil Aviation Ministry not to neglect Tiruchirapalli Airport. As this Airport is situated in the central Tamil Nadu, the already cancelled flight operations must be resumed. I demand the Centre to take necessary action immediately.

MR. CHAIRMAN: Shri Abdul Rahman, Shri K. Sugumar, Shri S. S. Ramasubbu, and Shri O.S. Manian are allowed to associate with the matter raised by Shri P. Kumar.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान और इस देश के लोगों का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मिथिलांचल का नाम सीता और राम के साथ जुड़ा हुआ है और रामायण काल से बहुत ही प्राचीन स्थल वहां हैं। रामायण काल से जुड़े हुए महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम है, माता अहिल्या का आश्रम है, जहां राम-सीता का मिलन हुआ था, वह फुलहर स्थान है, विश्वामित्र राम-लखन के साथ जहां रुके थे, वह विश्वामित्र आश्रम है और राजा जनक के इष्टदेव कलानेश्वर महादेव का मंदिर भी वहां एक साथ जुड़े हुए हैं। जनकपुर की 20 कोस की परिक्रमा 15 दिन तक चलती है, जो हिन्दुस्तान और नेपाल में चारों तरफ घूमती है।

मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि संस्कृति मंत्रालय और सरकार के द्वारा एक विशेष रूप से सर्वेक्षण टीम वहां भेजी जाये, जो पूरे रामायण काल से जुड़े हुए उन सभी स्थलों की कड़ी बनाये और परिक्रमा के जो स्थल हैं, वहां परिक्रमा के लिए सड़क बनावें, पीने के पानी का इन्तजाम हो, शौचालय का इन्तजाम हो और उस इलाके में मिथिलांचल में उसके साथ-साथ राजा जनक के नवरत्न महर्षि याज्ञवल्कय का आश्रम है, जहां मैत्रियी और गार्गी के साथ वे शास्त्रार्थ करते थे और अध्यात्म चिन्तन करते थे, वह बरदायिनी आश्रम भी है। विद्यापति का भी आश्रम है और विद्यापति के यहां नौकरी करने वाले उगना महादेव का स्थान है, ऐसे जुड़े हुए कई स्थान वहां हैं। वहां एकादश रुद्र का स्थान है, जो कहीं नहीं मिलेगा। मधुबनी में चारों तरफ मिथिलांचल के ये जुड़े हुए स्थल हैं। उच्चैठ और डोकहर स्थान भी है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि रामायण काल से लेकर और अभी तक जिसको सीता-राम सर्किट कहा जाता है, रामायण के उन स्थलों के परिक्रमा चक्र का निर्माण होना चाहिए और उस पर विशेष तौर से संस्कृति मंत्रालय के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा विशेष पैकेज का इन्तजाम हो। वहां कुछ पैसे दिये गये हैं और कुछ-कुछ खर्च हुए हैं, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा, पूरा काम होगा, तब सीता-राम और रामायण काल से जुड़े स्थलों के साथ उसका पूरा विकास होगा।

MR. CHAIRMAN : Yogi Adityanath, Shri Syed Shahnawaz Hussain, Shri Radha Mohan Singh, and Shri P.L. Punia are allowed to associate with the matter raised by Shri Hukmadeo Narayan Yadav.

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश में मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत आता है। 2012-13 के रेलवे बजट में लामता-परसवाड़ा-बैहर-मलाजखण्ड, सिवनी-बरघाट-कटंगी तथा सिवनी-छपारा-लखनादौन नई रेलवे लाइन के सर्वेक्षण का कार्य स्वीकृत किया गया है, परन्तु सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से जनता में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार 2011-12 के सर्वेक्षण बजट में आमगांव-लांजी-किरनापुर नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य शामिल किया गया है, परन्तु अभी तक इस नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया गया है। इस लाइन के सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण जनता में तीव्र आक्रोश है। इसी प्रकार कटंगी-तिरोड़ी नई ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण कार्य वर्ष 2010-11 के रेल बजट में शामिल किया गया है, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने से जनता में रोष उत्पन्न हो गया है। गोंदिया से जबलपुर ब्रॉडगेज परिवर्तन का कार्य रेल बजट में वर्ष 1997 में स्वीकृत किया गया है। गोंदिया से बालाघाट तक ब्रॉडगेज लाइन प्रारम्भ हो चुकी है। बालाघाट से जबलपुर के बीच पादरीगंज नैनपुर के बीच वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्माण पर आपत्ति के कारण कार्य रुका पड़ा है, जिससे बालाघाट जिले के लोगों का ब्रॉडगेज का सपना अधूरा ही रह गया है।

कृपया बालाघाट से जबलपुर तक ब्रॉडगेज निर्माण कार्य में आई बाधा को दूर किया जाये। इसी प्रकार छिंदवाड़ा-सिवनी-नैनपुर-मंडलाफोर नैरोगेज से ब्रॉडगेज का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। इस लाइन के निर्माण कार्य को गति प्रदान की जाये। अतएव आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी मांग करता हूं कि सर्वेक्षण तथा गेज परिवर्तन के कार्य को तीव्र गति प्रदान की जाये।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह अजीब संयोग है कि श्रीमान् कपिल सिब्बल जी, जो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, यहां उपस्थित हैं। कपिल सिब्बल साहब से मैं आग्रह करना चाहता हूं, यह अजीब संयोग है कि आप उस आसन पर हैं, इस देश के गतिशील इमेजिनेटिव शिक्षा मंत्री यहां उपस्थित हैं।

13.00 hrs.

इस देश के गतिशील, इमेजिनेटिव शिक्षा मंत्री यहां उपस्थित हैं। मेरी आपसे यही इल्तजा है कि बिहार के नवादा जिले में 2003 ईसवी में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, उस समय भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री पासवान जी थे। वहां विद्यालय चले, लेकिन उनके मंत्री नहीं रहने के बाद विद्यालय भी मर गया। क्या मंत्री नहीं रहेगा तो विद्यालय मर जायेगा, विद्यालय नहीं रहेगा? कपिल सिब्बल साहब, वहां के लोगों ने 8 एकड़ जमीन केन्द्रीय विद्यालय के नाम से लिखी और तमाम तरह की प्रक्रियाएं पूरी हुईं। हमारा यह कहना है कि नये विद्यालय की स्थापना की बात नहीं है, जो पुराना विद्यालय चल रहा था और मंत्री के नहीं रहने के कारण जो स्थगित हो गया, समाप्त हो गया, मर गया। मेरा आपसे आग्रह है कि आपमें जीवंतता है, आप उसे पुनर्जीवित कर दीजिये। यह मेरा आपके माध्यम से आग्रह है और यही मैं आज इसके माध्यम से आपकी निद्रा को तोड़ना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आप इस दिशा में निश्चित रूप से हमारी पीड़ा को संवेदना देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय कपिल सिब्बल साहब का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

MR. CHAIRMAN : Shri Bishnu Pada Ray, You can raise only one matter and not two matters, whichever you want to raise.

… (*Interruptions*)

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): Sir, my matter is very, very serious. … (*Interruptions*) The entire Government of India is harassing me. … (*Interruptions*) The entire staff of the Ministry is harassing me. … (*Interruptions*) So, please give me two minutes. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not get agitated. You say whatever you want to say.

… (*Interruptions*)

श्री विष्णु पद राय : सभापति महोदय, 9 तारीख को हमारे साथ में ज्वाइंट सेक्रेटरी होम ने बद्तमीजी की, धक्का मारा। उसके पश्चात् 10 तारीख को मुझे बोलने का मौका दिया गया। स्पीकर मैडम ने आदेश दिया

कि कार्रवाई करेंगे। हमारे कांग्रेस के मित्र कमांडो साहब बैठे हैं, उनसे सेम ज्वाइंट सेक्रेटरी होम ने बद्तमीजी की। हम दोनों, कमांडो साहब और मैं दोनों पवन बंसल जी के रूम में, उनकी पार्टी के सदस्य कमांडो साहब ने खुद कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी होम ने उनसे बद्तमीजी की। उसके पश्चात वह हमारे पास अंडमान में गए और बोलते हैं कि माफ कर दो। हम बोले कि यह अधिकार मुझे नहीं है, हमारी पार्टी की नेत्री सुषमा जी के पास यह अधिकार है, भारत की सरकार और पार्लियामेंट की स्पीकर को यह अधिकार है। हमने कहा कि हमारे पास फुस-फुस करने मत आओ। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे मामले का क्या हुआ, हमारा अपमान क्यों करेंगे, सरकार इस पर चुप क्यों रहेगी? ...(व्यवधान) हमारे मन में डाउट है, हमें संदेह है, पवन बंसल जी, गृह मंत्री जी इस पर ध्यान दें। हमें अधिकार क्या मिलेगा? मुझे अपमान का बदला क्या मिलेगा? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have already raised this matter. The hon. Speaker has already called for the facts to consider the matter. It is a privilege matter. It will be considered by the hon. Speaker.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

<u>14.03 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

<u>14.03 ½ hrs.</u>

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 will be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may lay them personally and send slips to the Table of the House within 20 minutes. Only those matters will be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time, rest will be treated as lapsed.

(i)Need to facilitate easy registration of Non-Resident Indians as voters and also to set up polling stations in Indian missions abroad

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): I invite the kind attention of the Government to the practical problems faced by the Non-Resident Indians (NRIs) with regard to their voting rights. According to the present rules of verification for getting enrolled in to the voters' list, an overseas elector or NRI should produce original passport before the Electoral Registration Officer (ERO) of the concerned area. Since the passports are withheld by the employers under job contract, NRIs cannot produce it for verification. Therefore, I request the Government to allow NRIs to register on the electoral roll by producing other valid documents they have and through our missions abroad. As per the rule, overseas elector or NRI has to be physically present in the polling station during the time of voting. Since most of the NRIs are subsistence wage earners, they

* Treated as laid on the Table.

cannot visit India for exercising votes. Therefore, I also request the Government to set up polling stations in our missions abroad and allow NRIs to cast their votes through them.

(ii) Need to set up a Central Sericulture Research and Training Institute in Hoshiarpur district, Punjab

श्रीमती संतोष चौधरी (होशियारपुर): मेरा निर्वाचन क्षेत्र होशियारपुर पंजाब का एक पिछड़ा क्षेत्र है जिस का अधिकतर क्षेत्र कंडी क्षेत्र कहलाता है जहां न तो कोई कारखाने हैं, न व्यवसाय है यदि है तो जंगल ही जंगल एवं जंगल में जंगली जानवर । जिस के कारण किसान फसल भी नहीं लगा पाता और परिणाम उनकी गरीबी तथा बेरोजगारी है । यदि इस क्षेत्र में भारत सरकार अनुसंधान प्रसार केंद्र (रेशम बोर्ड का) खोल दिया जाए तो छोट-छोटे किसान रेशन कीट पालन कार्य अपना कर, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, बेरोजगार बच्चों को व्यवसाय मिल सकता है । इस अनुसंधान केंद्र के खुलने से किसानों को नवीनतम तकनीकी विधियों की जानकारी प्राप्त हो सकती है । इस केंद्र के खुलने से शहतूत का अधिक उत्पादन तथ नवीनतम प्रजातियों को उपलब्ध करवाया जा सकता है । यहां की जमीन शहतूत वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है ।

अतः मैं संबंधित मंत्री जी को अनुरोध करना चाहती हूं कि जिला होशियारपुर के तलवाड़ा क्षेत्र में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र खुलवाने की कृपा करें जिससे कंडी क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले तथ उन का जीवन सफल हो सके । दसूहा तलवाड़ा, मुकेरिया की जलवायु रेशम का कीड़ा पालने के लिए अनुकूल है । मुझे आशा है कि आप शीघ्र से शीघ्र मेरी मांग मान कर अनुग्रहित करेंगे ।

(iii) Need to ensure procurement of wheat from farmers at remunerative price in Faizabad and Barabanki districts of Uttar Pradesh

डॉ. निर्मल खत्री (फ़ैज़ाबाद): मैं भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य विभिन्न संबंधित एजेंसीयो का ध्यान किसानों की गेहूं की फसल की उचित ढंग से खरीद न हो पाने की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं ।

गेहूं क्रय केन्द्रों पर मेरे लोक सभा क्षेत्र के जनपद फैजाबाद व बाराबंकी (उ.प्र.) में किसानों की उपज (गेहूं) की खरीद नहीं हो पा रही है जबकि बाजार में कम दाम पर वह अपनी उपज बेचने पर मजबूर हो रहा है । यदि किसी भी सामान जैसे बोरे आदि की कमी हो तो उसे तत्काल पूरा किया जाए । केन्द्र सरकार द्वारा किसानों का उनकी उपज का अच्छा समर्थन मूल्य घोषित किए जाने से ही आज उपज पैदावार काफी बढ़ी है । अब यह देखना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि गरीब किसान को उसकी उपज की कीमत मिल सके ।

भविष्य के लिए अनाज भंडारण की भी समस्या को दूर करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि अनाज खुले पर पड़ा रहकर बर्बाद न होने पाए ।

(iv) Need to issue Visa for longer period to the Pakistani citizens visiting India for marriage ceremonies

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): भारत-पाक सीमा पर स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के निवासियों के रिश्तेदार दोनों देशों के विभाजन के समय पाकिस्तान में चले गए थे । ये लोग भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते हैं । यहां वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं लेकिन इन कार्यों हेतु इन्हें भारत में रहने के प्रावधानों में सहूलियत नहीं है ।

भारत-पाक वीजा समझौता 1974 के प्रावधानों में समय-समय पर बदलाव किए गए हें । इसके तहत जून, 2009 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत भारत में पाकिस्तान के थार पारकर जिले (पाकिस्तान) से आने वाले सोढ़ा राजपूत जाति के पाक नागरिकों को बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों में शादी के प्रयोजनार्थ छः माह हेतु वीजा अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया ।

मेरा अनुरोध है कि भारत-पाकिस्तान के नागरिकों में विवाह संबंध सभी जातियों में हो रहे है, ऐसे में सोढ़ा राजपूतों की भांति सभी जाति के नागरिकों के लिए विवाह प्रयोजन से वीजा अवधि बढ़ाने का प्रावधान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए ।

(v)Need to connect prominent places in West Bengal with Helicopter service

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Aviation sector has been witnessing phenomenal growth which is reflected on the economy of our country. However, non-metro areas are suffering from inadequate infrastructure which put a stumbling block in the growth of distant areas in so far as aviation is concerned. In this regard, I would propose heli-services in various parts of West Bengal given it's tourism potentialities. But till date no helicopter service has been developed in West Bengal.

Large parts of West Bengal is left unfamiliar to Civil Aviation sector. May I therefore, urge upon the Government to connect the prominent places in West Bengal with aviation sector especially by helicopter services.

(vi)Need to prevent land erosion caused by river Saryu in Bansgaon Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री कमलेश पासवान (बांसगांव): हमारे संसदीय क्षेत्र बांसगांव में जनपद देवरिया के बरहज विधान सभा क्षेत्र में सरयू नदी के कटान से कुर्रहपरसिया, गौरा जयनगर, रामपुर कोटवा का विन्दवलिया टोला सहित दर्जनों गांव का अस्तित्व खतरे में बना हुआ है । पूर्व में सरयू नदी के कटान से कई गांवों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है । बरसात के समय नदी द्वारा कटाव की वजह से उक्त गांवों के लोग भयभीत रहते हैं । पूर्व में कटाव को रोकने हेतु केन्द्र व राज्य सरकारें कई प्रयास कर चुके हैं, जो असफल रहा है ।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उक्त गांवों को बचाने हेतु अविलम्ब आर्थिक सहयोग देकर ठोकरों तथा बन्धों का निर्माण करायें जिससे जनहित में उक्त गांवों के अस्तित्व को बचाया जा सके ।

(vii)Need to construct N.H. No. 228 from Sabarmati Ashram (Ahmedabad) to Dandi which has been declared as a Heritage Route

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महात्मा गांधी जी ने भारत की आजादी की प्रतिज्ञा लेकर साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) से दांडी की यात्रा की थी, उस रूट को केन्द्र सरकार ने 'हेरिटेज रूट' घोषित किया था और रू. 2013 करोड़ उसके लिए आवंटित किया था । इसके बाद राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री व केन्द्र सरकार से उसे पूर्ण करने की मांग की है । राज्य सरकार की बार-बार मांग होते हुए भी ये अभी तक संपन्न नहीं हुआ है ।

मेरी सरकार से मांग है कि अहमदाबाद-दांडी मार्ग (एन.एच.-228) को 'हेरिटेज रूट' बनाकर जल्द-से-जल्द उसका निर्माण करना चाहिए ।

(viii)Need to extend the last date fixed to deposit passport by Haj pilgrims

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): हाल ही में हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा हज यात्रियों को 25 अप्रैल, 2012 तक अपने पासपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं एवं 25 अप्रैल के बाद पासपोर्ट जमा करने वाले हज यात्रियों को हज यात्रा पर नहीं जाने देने का प्रावधान बनाया है, जबकि वीजा प्राप्त करने के लिए जुलाई में आवश्यकता है । इस कारण से लगभग झारखण्ड एवं अन्य राज्यों के केवल 55 प्रतिशत हज यात्री ही यात्रा कर सकेंगे और 45 प्रतिशत हज यात्री इससे वंचित हो जाएंगे । इस कारण से केवल झारखण्ड प्रदेश से लगभग 13500 हज यात्री हज यात्रा से वंचित हो रहे हैं । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में कितने हज यात्री वंचित होंगे ।

इस संदर्भ में मेरी भारत सरकार से मांग है कि हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित तिथि 25.04.12 को बढ़ाकर 20.05.2012 तक किया जाए जिससे अधिक-से-अधिक हज यात्री हज यात्रा में भाग ले सकें ।

(ix)Need to expedite approval for the establishment of a Cardiology specialised Hospital in Naroda in Ahmedabad, Gujarat

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): गुजरात राज्य में आरोग्य सेवाओं की गुणवत्ता, प्रतिव्यक्ति आरोग्य खर्च, मानव विकास सूचक अंक में वृद्धि, बाल मृत्युदर के नियंत्रण लक्षांक की पूर्ति हेतु उचित मात्रा में जरूरी निष्णांत चिकित्सकों, सुपर स्पेश्यालिस्टों की मांग को पूरी करने एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना का गुजरात एक आदर्श केस है । गुजरात सरकार ने छाती के रोगों की नई हॉस्पीटल, नरोडा (अहमदाबाद) में के.आर.वी.वाई. हास्पिटल स्थापना हेतु निवेदन किया है । जरूरी दस्तावेज/प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि उपरोक्त मामलों के मद्देनजर रखकर ढाई वर्ष से लंबित पड़ी इस योजना के अनुमोदन एवं क्रियान्वयन हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जाए ।

(x)Need to undertake desiltation work of river Bakulahi causing damage to crops and water logging in the Kaushambi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी के व्यापक विकराल बहार से कृषकों की खेती योग्य जमीन जलमग्न हो जाती है जिससे खेती चौपट हो रही है। हमेशा पानी रहने से आने जाने की दिककतें हैं । कई गांव पुरवे टापू जैसे हो जाते हैं । नदी के गहरी खुदाइ एवं सफाई होना अनिवार्य है । सैकड़ों गांव परवों के निकासी आवागमन हेतु पुल रास्तों के निर्माण की आवश्यकता है । केंद्रीय दल भेजकर सर्वे कराया जाए । सफाई एवं गहरी खुदाइ आवश्यक है ।

(xi)Need to construct small dams to prevent flood caused by Ghaghra and Sharda rivers in Sitapur district, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद लखीमपुर में बनबसा में बांध बना हुआ है। नेपाल से आने वाली विभिन्न नदियों का पानी बाढ़ से बचाव हेतु इस बांध में एकत्र किया जाता है । लेकिन जब यह बांध पूरी तरह से भर जाता है, तब इसके पानी को एक साथ छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सीतापुर जनपद में घाघरा नदी व शारदा केनाल पूरी तरह तबाही मचा देती है । जनपद सीतापुर के कृषकों की फसल बनबसा बांध से छोड़े गए पानी से पूरी तरह बेकार हो जाती है तथा घाघरा नदी व शारदा केनाल का पानी खेतों में भर जाता है और आसपास में पानी से सीपेज भी आ जाती है ।

जनपद सीतापुर के कृषक अत्यधिक निर्धन है और उनका जीवन-निर्वाह खेती पर ही निर्भर है । बाढ़ के दिनों में बनबसा बांध से एक साथ भारी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण उनकी फसल डूब जाने से उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो जाती है और उनकी जीविका का एक मात्र सहारा समाप्त हो जाता है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह जनपद सीतापुर के कृषकों को बाढ़ से बचाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए आवश्यकतानुसार छोट-छोटे बांध के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे किसानों को होने वाली क्षति को रोका जा सके ।

(xii)Need to undertake repair and construction of the damaged approach road near Khagaria railway junction, Bihar under East Central Railway

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): बिहार राज्य अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के सोनपुर डिवीजन में खगड़िया जेक्शन से सटे पश्चिम बखरी रेलवे ढाला का एप्रोच सड़क पूर्णरूपेण ध्वस्त हो गया है । यह खगड़िया रेलवे यार्ड में ही है । खगड़िया जंक्शन आने-जाने वाले रेल यात्री एवं खगड़िया माल गोदाम से सामान लेकर शहर में जाने वाले ट्रक/ट्रैक्टर भी इसी ढाला से गुजरते हैं । सड़क ध्वस्त रहने से यहाँ कई दुर्घटना भी हो गयी है । बरसात के दिनों में इस पथ पर आवागमन बंद होने से व्यापारियों एवं रेल यात्रियों को भारी परेशानी होती है ।

जिला पदाधिकारी, खगड़िया ने रेल प्रशासन को उक्त पथ की मरम्मत कराने का दर्जनों बार अनुरोध ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने डी.आर.एम. सोनपुर को पत्र लिखकर आग्रह किया कि रेलवे के संसाधन से उक्त एप्रोच पथ की मरम्मत करायी जाय या जिला प्रशासन को उसकी मरम्मत कराने का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाय । लेकिन छः माह से डी.आर.एम. सोनपुर द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं ।

अतः सरकार उक्त एप्रोच पथ की मरम्मत शीघ्र कराये या जिला प्रशासन खगड़िया को उसकी मरम्मत कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे, जिससे ध्वस्त सड़क की मरम्मत हो सके ।

(xiii) Need to set up a Central Educational Institute in Hooghly district, West Bengal

DR. RATNA DE (HOOGHLY): There is not a single Central Institution in Hooghly district of West Bengal till now. According to 2001 Census the total Population of the district is 50,80,976.

There are many Centre and State Government offices at Chinsurah in Hooghly district. There are also many tribal SC, OBC, areas and blocks.

I would request the Hon’ble Minister to take initiative so that we can have a Central Education Institution in our Hooghly district of West Bengal.

(xiv)Need to stop extraction of sand in Palar River Basin in Tamil Nadu

SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): Palar River originates in Nandi Hills in Karnataka and flows through Andhra Pradesh before entering Tamil Nadu. In Tamil Nadu it runs across a distance of about 220 kms. The beneficiary districts are Vellore, Kancheepuram, Thiruvellur and Chennai. Environmentalists and other activists have been raising concerns repeatedly over the ecological impact of the over extraction of sand from Palar river basin, which threatens the very livelihoods of local population. There is exponential rise in demand for river sand due to large scale construction activities in and around Chennai.

Indiscriminate sand mining of Palar river-bed in my constituency Vellore has reached an alarming proportions and if uncontrolled can cause dangerous impact on the ecology and socio-economic life in these districts. Sand is vital for sustenance of rivers. Mining of sand in the river should be such that extraction does not exceed natural replenishment. After the ban on the use of excavators and transportation by lorries, the Public Works Department permits mining by manual methods and transportation by bullock carts only. Though there has been reduced intensity in quarrying, damage had already been done to the river system in many ways.

The river sand is a non-renewable natural resource. Since it is a scarce resource, there should be proper governance. All the existing laws, need to be reviewed and amended suitably. Government is required to formulate appropriate policy for extracting and distribution and should also initiate steps for research in finding a suitable alternative building material to substitute the river sand. Therefore, I urge upon the Government to intervene and stop this continuous extraction of sand in Palar River Basin.

(xv)Need to set up an office of Employees Provident Fund Organisation in Palakkad, Kerala

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Opening of a sub-regional office of EPF at Palakkad has been a long pending demand. Currently, provident fund and Pensions of thousands of employees have been managed by SRO Kozhikode which is about 180 km from Palakkad. To redress their grievances Pensioners and employees of Palakkad need to spend a whole day and incur huge expenses by travelling all the way to Kozhikode. Geographically Palakkad is the largest distrit in Kerala and also the second largest industrial area in the State. The undergoing expansion of defence PSU, BEML ad the proposed Coach factory will make Palakkad the most important industrial area in the State. In connection with the Rail Coach factory number of ancillary units comprising of thousands of employees will also come up in the near future. Thus, thousands of employees, pensioners and family pensioners will be benefitted by an office of EPFO at the industrial town of Palakkad. I urge upon the Government to take necessary steps to set up a sub regional office of EPFO at Palakkad.

(xvi)Need to fix minimum Support Price for Tea and also to set up a Central Wage Board for Tea Plantation Industry

SHRI MANOHAR TIRKEY (ALIPURDUAR): The Union Government is contemplating to declare Tea as National Drink of our Country. I congratulate the Government for this step but I want to bring to the notice of the Government the hardships being faced by the workers who are engaged in this Industry. More than half a century have passed since the formation of last Central Wage Board for Tea Plantation Industry and till date a lot of changes have taken place in Tea Plantation Industry. More than 1.2 million workmen are engaged in this very important growing sector of the economy. As you know that in the absence of any consistent, uniform and resolute approach and intervention on the part of Government, the structures as well as rates of wages of the workmen of this industry have failed to evolve to a fair standard in all counts keeping pace with the developing economy of the country. As a result presently the wages of the workmen are lowest in tea industry in comparison to any other organized sectors, that too varies to a great extent in regions and within region even. The stand & intentions on the part of employers could succeed to frustrate and negate the declared motto of the last Central wage Board from evolving a structure of fair wages. Having no proper & dynamic link with the rising consumer price index or no link at all, the real wages of the workmen of this industry have significantly been eroded over last 50 years leading towards growing distress, malnutrition, backwardness, migration and unrest. Besides there is no Minimum Support Price or Minimum Retail Price of Tea and the prices of Tea is always decided by auction and in the absence of any effective policy the Tea Garden Owners gave the excuse of huge loss in the name of auction and other unrelated things. Sir, through this August House, I would request the Hon'ble Minister to intervene in the matter as deemed appropriate and to fix MSP or Minimum Retail Price for Tea and also to form a Central Wage Board for Tea Plantation Industry at the earliest.

(xvii)Need to make available all free-to-air channels of Doordarshan under the bouquet of DD Direct Plus in Kerala and Tamil Nadu

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): The pioneering move of Doordarshan to mass entertainment electronic media easily accessible to the masses through its DD Direct Plus service was widely welcomed and acclaimed by all households. The DD Direct Plus had diversified channels like sports, entertainment, educational programmes, health, apart from 24-hour news channel in vernacular languages. Beyond the channels of Doordarshan, the DD Direct Plus ensured transmission of popular free to air channels. Together the DD Direct Plus direct to home (DTH) service commanded the largest viewership of audience covering almost every home owning a television. Doordarshan's success spawned business rivalry with cable TV operators. Private DTH operators offering free to air channels hitherto broadcast free by DD Direct Plus, clandestinely hiked the subscription rates. Presently the private DTH operators are reaping the harvest of mass electronic media revolution starving Doordarshan of its legitimate share being the pioneering mass channel venture.

This situation apart from denying free viewership to the masses has caused Doordarshan dearly in terms of advertising revenue, the backbone of sustenance in view of the diminishing audience. Kerala and Tamil Nadu have more DD Direct Plus DTH connections with a mass audience who stand deprived now of the free to air channel facility earlier enjoyed by them because of Doordarshan's changed policy in denying the free to air channel facility it had pioneered earlier.

I would, therefore, urge the Centre to restore the credibility of Doordarshan as the mass entertainment channel by making available again, all free to air channels under its bouquet of DD Direct Plus to subscribers in Kerala and Tamil Nadu.

14.04 hrs.

CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN ADMISSION) AMENDMENT BILL, 2012

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, with your permission, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

Sir, the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006 was enacted by Parliament to provide reservation in admission of students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes to certain Central educational institutions established maintained or aided by the Central Government.

Sir, you might remember that when the original Act was passed, under Section 6 of the said Act, the Central Educational Institutions were required to give effect to the provisions of that Act from the academic session 2007-08. But there were some proceedings in the Supreme Court of India where the Supreme Court stipulated that the implementation of the provisions of that Act for the purposes of reservation of OBCs and also expanding their capacity will start from the academic session 2008-09 and not from 2007-08. So, accordingly we need to amend the provisions of this Act so that the commencement, for the purposes of implementation, starts from the year 2008-09.

Sir, as you know, in any legislation, when it is enacted and implemented, certain problems arise in the course of implementation and these were brought to the notice of the Central Government. The reasons for this are historical because the distinguished hon. Members of this House know that in some parts in the North East, there are no Scheduled Castes, there are only Scheduled Tribes. In some States, the reservation is for the Scheduled Tribes historically and the States

have been following that policy over a period of several years. In some States, there are no Other Backward Classes. So, when we realised that in many States historically reservation has been implemented with respect to the population of that State, we felt that we need to protect that reservation. This is one of the difficulties that arose. In the Act, as you know, reservation for the Scheduled Castes is 15 per cent and for the Scheduled Tribes it is 7 ½ per cent. But in several of the States, the reservations are beyond that limit and those need to be protected.

Then, another major issue arose with respect to Section 4 of the said Act, because Section 4 stipulated that the tribal areas referred to in the Sixth Schedule of the Constitution was no longer to be governed by the reservation policy for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This also created an anomaly because if they were no longer to be governed by this, then how would reservation be put in place and implemented? This, certainly, was not the intent of Parliament that the reservation already in place in those areas should be done away with because of Section 4. That was not the intent. So, this also had to be dealt with.

Sir, as you know, in the North East, we have NITs in almost all the States and there, there is the All India quota and the State seats. The All India quota is filled through a process of examination on the basis of All India merit, but the State seats are set aside for the State students. Many times, the reservation is beyond 50 per cent and there is no scope for OBCs. So, we wanted to make sure that that reservation is kept intact. That is another issue that came up.

Then, with reference to Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University in Uttar Pradesh, it was established, as you know, much prior to the coming into force of this Act and there, the reservation for the Scheduled Castes and scheduled Tribes itself is 50 per cent. So, then it was not possible for us to give any reservation to the OBCs there. So, because of historical reasons, those anomalies had to be corrected. So, the essence of this amendment is to correct those anomalies to preserve the reservation in States where reservations have been given much beyond the stipulated percentage in terms of the Constitution; for

institutions that have been set up prior to the coming into force of this Act where reservations are granted to a particular category, that reservation must be preserved. This, of course, applies to very few institutions. In rest of the institutions all the policies required under the Act have been implemented.

The other issue that came up for consideration was the following: that in some institutions medical colleges had to be expanded; and because medical colleges had to be expanded that could not be done in the course of three years. You know, when you give admissions to students in medical colleges, you need hospital facility. So, in some of these Central universities where medical facilities had to be given and colleges had to be expanded and hospitals had to be provided for, obviously the three-year period was not enough.

In particular, as far as Delhi University is concerned, you have several regulatory authorities in Delhi University. You have the MCD, you have the DDA and you have other authorities and approvals had to be taken for these authorities not only for the purposes of expansion, but also for the purposes of building infrastructure. So, that also took a bit of time. So, the other amendment that was required to be done was to extend the implementation of this period, from the period of three years to six years.

So, these broadly are the amendments that we are seeking. The other House has cleared these amendments and the matter has come up before the distinguished Members of this House. I commend the provisions of this Bill to the Members of this House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012 प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दरअसल केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 जो पारित किया गया था, उसे लागू करने में जो कठिनाइयां आ रही थीं। उनके संशोधन के संबंध में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित किया है और आज लोक सभा में इस पर बहस शुरू हुई है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रावधान है -- एक, छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण में संशोधन और दूसरा, अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए समय सीमा का विस्तार। विधेयक के प्रमुख रूप से जो उद्देश्य हैं -- केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012 का, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, साढ़े 7 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है, इसी का यह संशोधन है। दरअसल छठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर राज्यों, जैसे अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और असम के जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित जो केन्द्रीय शिक्षण संस्थान हैं, उनमें एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी के लिए साढ़े 7.5 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए इसमें व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से 50 प्रतिशत की सीमा जो निर्धारित की है और वहां 50 प्रतिशत आरक्षण पहले ही दिया गया है। फिर नए सिरे से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने में मुझे लगता है कि बहुत सी व्यवाहारिक कठिनाइयां आएंगी। इसके लिए विधेयक में क्या प्रावधान है? सीटें बढ़ाएंगे या कुछ और करेंगे? कई राज्यों में जहां राज्य कोटे की बात आई है, उसमें भी स्थिति यह है कि राज्यों में आरक्षण अलग-अलग है, कहीं पर 15 प्रतिशत है, कहीं 14 प्रतिशत है, अभी दिल्ली सरकार ने 21 प्रतिशत किया था। इस तरह से कई राज्यों में अलग-अलग परसेंटेज है। मुझे लगता है कि प्रावधान में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि आखिरकार जब ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण हम सुनिश्चित कर रहे हैं, तो वहां पर उन संस्थाओं में पूरी तरह से लागू करने की व्यवस्था का उल्लेख करना जरूरी है। अभी अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ की बात हुई, सही बात है कि वहां पर पहले से 50 प्रतिशत आरक्षण है और वहां पर अब ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण करना है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके आधार पर फिर वही स्थिति खड़ी होगी। राज्य कोटे की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इस बात का पूरी तरह से खुलासा करें कि कैसे ओबीसी के विद्यार्थियों को उसमें प्रवेश दे पाएंगे। स्थायी समिति के सामने भी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आई थीं और स्थायी समिति ने भी उस

पर चिंता प्रकट की है। समिति के समक्ष उच्चतर संस्थाओं के सचिव आए थे, उन्होंने वहां यही बात, जो आज मैं कह रहा हूं कही थीं। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी और इसी तरह से अन्य जो अल्पसंख्यकों के लिए विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी ऐसी कठिनाइयों का जिक्र किया है, लेकिन यह बात सही है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए जो प्रयास इस विधेयक में किया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, उसके पहले ही तमिलनाडु सरकार ने 69 प्रतिशत आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में प्रारंभ किया था, यह व्यवस्था वहां आज भी चल रही है। अगर एक राज्य में इस तरह की व्यवस्था है, तो बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? यह विषय विचार करने योग्य है। राज्य कोटे की जो बात आई है, उसके बारे में कमेटी का एक सुझाव है कि छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थित किसी केंद्रीय शिक्षण संस्थान में राज्य द्वारा निर्धारित कोटे के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए, लेकिन इसमें भी दिक्कतें आएंगी। मैं निवेदन करूंगा कि आज देश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 111 है और निजी मानद् विश्वविद्यालयों की संख्या 90 है। इन विश्वविद्यालयों में अभी तक आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। देश में बहुत बड़ी संख्या में छात्र इन विश्वविद्यातयों में पढ़ते हैं। केन्द्र सरकार के नियंत्रण में जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी संख्या लगभग 46 है। इससे बड़ी संख्या निजी विश्वविद्यालयों की है और उन विश्वविद्यालयों में वे ही छात्र पढ़ने जाते हैं, जिनका सरकारी कालेजों में एडमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन वहां पर उनको बहुत बडी फीस की राशि चुकानी पड़ती है, लम्बी फीस देनी पड़ती है और यहां तक कि उनमें एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ये विश्वविद्यालय भी भारत सरकार के नियंत्रण में हैं। उनमें क्या ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता है? मैं मांग करना चाहता हूं कि उन विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आज उन विश्वविद्यालयों की स्थिति यह है कि कई विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए प्रधानमंत्री जी की सिफारिश की जरूरत होती है, मंत्री जी की सिफारिश की जरूरत होती है, मुख्यमंत्री की सिफारिश की जरूरत होती है, तब जाकर प्रवेश मिलता है। पहले हमारे देश में शिक्षा के कार्य को लोग धार्मिक मान्यता देते थे कि शिक्षा देना हमारे लिए एक धार्मिक कार्य है । लेकिन आज शिक्षा पूरी तरह से व्यापार में तब्दील हो गयी है। आज बैंक उनको फाइनेंस करने लगे हैं। पहले कभी भी बैंक शैक्षिक संस्थाओं को फाइनेंस नहीं करते थे। जिस तरह से बड़े-बड़े पूंजीपति लोग देश में नए-नए विश्वविद्यालय बना रहे हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री लगा रहे हों, अब वे विश्वविद्यालय इंडस्ट्री की तरह हो गए हैं। जगह-जगह पर बड़े महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। उनकी जिस तरह से मनमानी चल रही है, लगता है कि उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लगता नहीं कि कभी यूजीसी ने उनके बारे में अध्ययन किया होगा या निरीक्षण किया होगा। इसलिए कोई नियंत्रण नहीं

होने से उनकी अनियमितताओं पर रोक लगाना मुश्किल कार्य है। इस विधेयक में उन सभी विश्वविद्यालयों में आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जो संस्था इसका पालन नहीं करेगी, उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी व्यवस्थो होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। उसने एक टिप्पणी के चलते कहा था -

"कि केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान में ओबीसी कोटे की सीट्स से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों की आरक्षित सीट्स सामान्य वर्ग के छात्रों को नहीं दी जा सकतीं।"

मंत्री जी ने भी अपने बयान में ऐसा ही कुछ कहा था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी की 7059 सीट्स थीं, उनमें से मात्र 3158 सीट्स भरी गईं, शेष सीट्स खाली रहीं। इसी तरह से भगत सिंह कालेज में बी.कॉम ऑनर्स में ओबीसी की 59 जगह थीं, जिनमें से मात्र 14 ही भरी गईं। दौलत राम कालेज में 290 में से केवल 74 ही भरी गईं। आनंद कालेज में 160 में से कुल 42 भरी गईं। वेंकेटेश्वर कालेज में 269 में से 149 सीट्स ही भरी गईं। हिन्दू कालेज में 203 में से 170 ही भरी गईं। एआरएसडी कालेज में 300 में से सिर्फ 181 ही भरी गईं।

आईआईटी, जेईई का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, उसमें 2545 ओबीसी छात्र पास हुए। यह एक नई कठिनाई सामने आई है, जिस पर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो बच्चे जनरल केटेगरी को क्रास कर रहे हैं, जो उनके मार्क्स हैं, उसके बावजूद भी उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अवसर नहीं मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि आईआईटी और जेईई 2545 ओबीसी के छात्र पास हुए। लेकिन उनमें से मात्र 1540 सामान्य मैरिट में हुए, बाकी 1450 ओबीसी छात्रों को प्रवेश में अनुमति नहीं मिली। यह कौन सा कानून है! जो जनरल केटेगरी है, वह सबके लिए है। जनरल केटेगरी के मार्क्स अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो फिर उसे आरक्षित श्रेणी में रखने का क्या औचित्य है, यह 2011 में हुआ है।

'राष्ट्रीय सहारा' अखबार ने दिए गए अनुदान से सम्बन्धित एक बात लिखी थी। उसमें बताया गया था कि जिन विश्वविद्यालयों को भारत सरकार ने सीट्स बढ़ाने के लिए पैसा दिया था, समय सीमा के अंदर वे पैसा खर्च नहीं कर सके, क्या उनकी मानिटरिंग करने की कोई व्यवस्था की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे कब तक उसे पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि जानबूझ कर उनके द्वारा डिले किया जा रहा है, ताकि नई आरक्षण नीति को उन्हें लागू न करना पड़े। इसे भी आप देखें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री आर.वी. रविन्द्र और ए.के. पटनायक की खंडपीठ ने एक निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने कट ऑफ मार्क्स के बारे में कहा था। जो कट ऑफ मार्क्स हैं, वे निश्चित तौर से कहीं न कहीं ओबीसी का कोटा है, मुझे लगता है कि उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। पिछली बार कट ऑफ मार्क्स दस प्रतिशत

हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद। लेकिन आपने भी वाकई इस बात को माना है और कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के हक के लिए खुद केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दरअसल मौजूदा नियम के मुताबिक ओबीसी के छात्रों को केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम कट ऑफ से दस फीसदी कम प्रवेश दिया जाता है, यह पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि कट ऑफ पाइंट तो वही होना चाहिए कि जहां 100 में से अगर 80 की मैरिट लिस्ट बनती है, तो 80 तक नम्बर प्राप्त करने वाले तो ठीक है ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर ओबीसी की मैरिट सूची, उसके बाद से फिर शुरू होना चाहिए। और तब तक कटआफ नही होना चाहिए जब तक निर्धारित सीट न भर दी जाए । मैं समझता हूं कि तब ही उस वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। दरअसल सरकार और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि समाज के जो लोग पिछड़ गए हैं पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में, उन्हें विशेष अवसर देकर कैसे बराबरी पर लाने का काम करें, यह व्यवस्था का उद्देश्य था। हमारे देश की पहले जो शिक्षा पद्धति थी, जब गुरुकुल में पढ़ाई कराई जाती थी। गुरूकुलों में पढ़ाई करने वाले जो छात्र थे वे मानते थे कि हम शिक्षा अर्जन करके देश में बड़ा काम करेंगे। वहां पर जो गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि आचार्यों द्वारा पढ़ाया जाता था,उसी के कारण उन विद्यार्थियों ने पृथ्वी की गति माप ली, प्रकाश की गति मापी, रसायन शास्त्र की खोज की, कभी जंग न लगने वाला लोहा बनाया, दशमलव प्रणाली स्थापित की, शून्य दिया और अंकगणित की खोज की थी। उस समय हमारे गुरूकुलों में जो आचार्य लोग शिक्षा देते थे, जो पद्धति हमारे देश में थी, उसी के कारण हमारा देश विश्व-गुरू बना था।

दूसरी तरफ हमारे देश में पहले कहावत थी कि " पढ़े-लिखे कुछ न होय, हर जोते कुठिला पर होय,।" जिससे उस समय लाखों बच्चे इसी सूक्ति के कारण स्कूल नहीं गये। वह वर्ग कहीं न कहीं पिछड़ता चला गया। बहुत लम्बे समय तक वह बात रही, हालांकि अब उसमें सुधार हुआ है और अब तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा आरम्भ हो गयी है, मौलिक अधिकार भी बन गये हैं। लेकिन पहले जो स्थिति थी, उसी क्रम में मैं देखूं तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ता चला गया। आज इस बात की व्यवस्था हुई है लेकिन मैं आपसे निवेदन करुंगा कि जो शिक्षा का स्तर है वह बहुत असमानता भरा हुआ है। कहीं शिक्षक हैं कहीं नहीं हैं। अब तो भवन बनने लगे हैं जो खुशी की बात है लेकिन अभी भी शिक्षा के स्तर में भारी असमानता है। हमारे पास ऐसे भी स्कूल हैं जहां आठ से दस लाख रुपये सालाना फीस है। दूसरे ऐसे भी स्कूल है जहां बच्चे मध्यान्ह का भोजन खाकर अपने घर चले आते हैं।

आप कल्पना कीजिए कि मैरिट आज 100 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। अब उस मैरिट के मुकाबले में गांव का विद्यार्थी कैसे मुकाबला कर पाएगा। जो दून स्कूल में पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर वही सफल हो पाएंगे।

आज जितने बड़े-बड़े स्कूल-कालेज हैं उनमें अमीर परिवार के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं, गरीब का बच्चा तो उसमें पढ़ ही नहीं सकता है। जबकि हमें बराबरी की दिशा में उन्हें लेकर जाना है और जब हम समानता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें एक समान स्कूल, एक समान शिक्षा, एक जैसी यूनिफॉर्म और एक तरह का स्लेबर्स चाहिए। ऐसी व्यवस्था देश में बनानी पड़ेगी।

मैं मानता हूं कि कुछ बच्चों को यह तकलीफ हो रही है कि जिनके मार्क्स कम हैं उन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था इसलिए बनाई गयी कि जो वर्ग पिछड़ गया है उसे कैसे बराबरी पर लाएं? हम भी चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो, लेकिन यह तभी समाप्त होगा जब हम उन वर्गों को बराबरी पर खड़ा करने के प्रयास करेंगे। आज अमीर के लिए अलग स्कूल, गरीब के लिए अलग स्कूल है, यह कब बंद होगा?

हम बहुत तरक्की और खोजें कर चुके हैं, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जिस बुनियादी परिवर्तन की जरूरत थी, मैं समझता हूं कि वह परिवर्तन अभी तक नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो प्रयास आपने किया है, वह ठीक है, लेकिन उसमें कैसे गति आये? राज्य सरकारों के साथ जो कोआर्डिनेशन होना चाहिए, वह आज नजर नहीं आता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब राज्य और केन्द्र दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तब जाकर हमारी शिक्षा अच्छी बनेगी।

आज न जाने क्या कारण है कि लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं जबकि विदेश के लोग विश्वविद्यालय बनाने के लिए हमारे यहां पूंजी निवेश करना चाहते हैं। क्या कारण है? हमारी जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है वह कहीं न कहीं बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। मैकाले की शिक्षा-पद्धति में आज आमूलचूल परिवर्तन की जरुरत है। हमें ऐसे संस्थान बनाने होंगे जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हों और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आज के लिए उपयोगी हो। मैं समझता हूं कि उस ओर हमारी सोच नहीं है।

तकनीकी शिक्षा की आज बहुत जरुरत है। उस क्षेत्र में आज हम बहुत पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टेलेंट की कमी नहीं है लेकिन अच्छे संस्थान की कमी के कारण वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छे कालेजों में वे दाखिला नहीं ले पा रहे हैं और अच्छी संस्थाओं में प्रवेश न लेने के कारण वे पिछड़ जाते हैं। आज देश में 10 से 15 प्रतिशत परिवार ही उच्च शिक्षा ले पा रहे हैं बाकी 80 से 85 फीसदी ऐसे परिवार हैं, जो निर्धनता के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं सरकार से

चाहता हूं कि ऐसी सामान नीति बनाए, ऐसी व्यवस्था देश के भीतर हो जिससे शिक्षा में किसी प्रकार की असमानता न हो और एक प्रकार की शिक्षा सभी को प्राप्त हो, जिससे कि सभी को साथ ले कर देश के विकास में आगे बढ़ने का काम किया जा सके। मंत्री जी ने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, कब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।

श्री कपिल सिब्बल: मैं सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूं।

श्री गणेश सिंह : सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, यह बहुत अच्छी बात है। आप सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखिए, देश का पक्ष रखिए और कहिए कि देश की व्यवस्था में न्यायालय हमें पूरा सहयोग करें। आज जरूरी है कि हर वर्ग को साथ में ले कर चलना है, तो आरक्षण देना ही पड़ेगा। खासतौर पर शैक्षणिक क्षेत्र के लिए मैं विशेष रूप से जोर देता हूं कि शैक्षणिक क्षेत्र में जो निजी विश्वविद्यालय आए हैं, उनमें भी एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों को एडमिशन में आरक्षण मिले, ऐसा प्रावधान इस विधेयक में किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने की अनुमति दी।

महोदय, माननीय मानव संसाधन मंत्री जी द्वारा केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। यह सभी को मालूम है और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्ष 2006 में जब बिल लाया गया था तो उसमें देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया था। उस कानून को लागू करने में कुछ दिक्कतें आयीं। हमने उस समय यह प्रावधान रखा था कि यह नार्थ-ईस्ट में एप्लाई नहीं करेगा। हमारा इरादा यह था कि नार्थ-ईस्ट राज्यों में ट्राइबल पोपूलेन को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसको प्रोटैक्ट किया जाए। लेकिन लागू करते समय केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं के दायरे से ही इसे अलग कर दिया गया। इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी। सैक्शन-3 में 15 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति, साढ़े सात प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए और 27 प्रतिशत हम पिछड़े वर्ग के लिए कर रहे थे, उसमें माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि नार्थ-ईस्ट में केन्द्रीय संस्थाओं और लखनऊ में भीमराव अम्बेडकर संस्थान में पहले से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा था। हमने जब वर्ष 2006 का आरक्षण नियम लागू किया तो यह बात की थी कि हम सामान्य वर्ग की सीटों में आरक्षण लागू करने के समय में किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे । इसलिए हमने मैंडेटरी प्रावधान किया कि उनकी सीटें बढ़ायी जाएंगी। इसके लिए केन्द्र सरकार सहायता देगी और तीन साल में इस बिल को लागू किया जाएगा। लेकिन कुछ व्यावहारिक दिक्कतें थीं, जिसकी वजह से तीन साल की सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध लोगों तथा शिक्षण संस्थाओं ने किया। उस पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने विचार किया।

मेरा कहना यह है कि यह बहुत ही ऐतिहासिक बिल है। वर्ष 2006 का जो बिल आया है, यह देश में आरक्षण से वंचित वर्ग के लिए था और एक बहुत प्रगतिशील और ऐतिहासिक बिल था। इस देश में आरक्षण की परम्परा बहुत पुरानी है। इस परम्परा को पुराना इसलिए कहूंगा कि एक समय था जब प्रिविलेज क्लास ने अपने लिए आरक्षण लागू किया था और वंचित वर्ग को शिक्षा और ज्ञान से दूर रखा था, लेकिन आधुनिक भारत में जब आजादी का आंदोलन चला। गांधी जी, बाबा अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले जी के मन में यह बात आई कि वंचित वर्गों के लोगों को शासन/प्रशासन में भागीदारी मिले, देश का संविधान बना और सोशल जस्टिस की कल्पना की गई। पहला संविधान संशोधन इस देश में प्रधानमंत्री नेहरु जी के नेतृत्व में हुआ। जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का, शिक्षण संस्थाओं में अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए इस कानून के बनने से पहले ही आरक्षण था।

देश का पहला संविधान संशोधन आर्टिकल 15(4) था। आर्टिकल 46 में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया था कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक हितों को लागू करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। उस समय तत्कालीन कानून को कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था तो भारत सरकार ने 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा धारा 4, अनुच्छेद 15 में जोड़ा था। यह ऐतिहासिक कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि आज तक जो भी आरक्षण था, केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में एक Executive आर्डर के द्वारा था।

महोदय, पहली बार यूपीए सरकार ने अधिनियम बनाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया। आप सब इसकी बैकग्राउंड जानते हैं कि वंचित वर्ग को विशेषकर ओबीसी को सरकारी क्षेत्र में आरक्षण मिला था शिक्षण संस्थाओं में नहीं । पहला बैकवर्ड कमीशन हुआ, दूसरा हुआ, तो एक सवाल उठा था कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण है लेकिन अगर शिक्षण संस्थाओं में लाभ नहीं मिलेगा तो इसका पूरा लाभ नहीं पहुंचेगा। यूपीए-1 में एक त्वरित केंद्रीयकृत कानून बना कि ओबीसी के लोगों को केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए। इसके लिए 1993 में संविधान संशोधन किया गया। पहली बार आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया जिसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए तमाम शिक्षण संस्थाओं में, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, आरक्षण का प्रावधान किया गया जो कि आज भी है। अनुच्छेद 15(5) कहता है कि इस देश में जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकारी, सहायता प्राप्त/बिना सहायता प्राप्त अनएडिड सभी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए और जो कि पहले से ही कानून है। इस कानून को राज्य और केंद्र सरकार दोनों लागू कर सकती हैं।

महोदय, अभी कहा गया कि हर राज्य को अपने राज्य के आरक्षण कानून के तहत अपनी जनसंख्या के हिसाब से शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण कानून लागू करने का अधिकार है इसमें केंद्रीय कानून कोई दखल नहीं दे रहा है। जैसे कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक अपने राज्य की शिक्षण संस्थाओं के लिए आरक्षण कानून बना सकता है। यह हर राज्य की अपनी बात है। केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू करने के लिए ही यह पहली बार कानून बनाया गया। यह अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार की शिक्षण संस्थाओं और सहायता प्राप्त संस्थाओं पर लागू हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रथम बार 2006 में बिल को पास करने के लिए संसद में बहस चल रही थी उस समय भी सदन में मांग उठी थी कि निजी तथा बिना सहायता प्राप्त संस्थाओं पर भी आरक्षण लागू किया जाए। आज के संदर्भ में इसलिए भी मांग तेज हो रही है कि विदेशी शिक्षण संस्थाओं को इस देश में खोलने की अनुमति दी जा

रही हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि इस देश के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाना पड़े, इस देश में विदेशी उच्च शिक्षा का लाभ मिले। मंत्री जी ने भी बार-बार कहा है कि उन विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारतीय कानून के दायरे में लाया जाएगा। मेरा अनुरोध है विदेशी शिक्षण संस्था भारत में आएंगी तो भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर लागू होने वाले कानून उन पर भी लागू होंगे जबकि अभी तक कोई कानून नहीं है जो प्राइवेट कॉलेजों में आरक्षण का प्रावधान करता हो। तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री ने वादा किया था कि केंद्रीय और एडिड शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए कानून ला रहे हैं और प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं जो एडिड हैं, उनके लिए अलग कानून बना रहे हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं, जो गैर सहायता प्राप्त हैं, उन पर भी आरक्षण लागू किया जा सके, इसके लिए जल्दी ही नया कानून लाया जाए। यह बात अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के वर्गों में भी एचआरडी की स्टैंडिंग कमेटी में भी उठी थी, हमारे पास भी बहुत से लोग आये थे, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोग हैं, उनका कहना था कि जो विदेशी विश्वविद्यालय आ रहे हैं, उनमें क्या होगा। उस समय भी सरकार के द्वारा पक्ष रखा गया था कि हम प्राइवेट संस्थाओं के लिए बिल ला रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस संदर्भ में शीघ्र कानून लाया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण कानून है। उसमें विशेषकर एक नार्थ-ईस्ट की एक बड़ी समस्या आ गई थी। जो एक्सैप्शन आपने कहा था कि इस कानून में तीन-चार सैक्शन में संशोधन हो रहा है। सैक्शन दो में संशोधन हो रहा है, सैक्शन तीन में संशोधन हो रहा है और सैक्शन चार में संशोधन हो रहा है। दो के द्वारा आप नार्थ-ईस्ट की परिभाषा डिफाइन करने जा रहे हैं,उसी में स्टेट की हमारी बहुत सी शिक्षण संस्थाए हैं, विशेषकर एनआईटी है। एनआईटी एक ऐसी संस्था है, जहां पर केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में स्टेट सीट की व्यवस्था की गई है कि वह स्टेट सीट उस राज्य में उस राज्य के आरक्षण कानून का पालन करेगी और आप जो संशोधन ला रहे हैं, इसके द्वारा हमारी सरकार जिसके लिए कृतसंकल्प थी कि एनआईटी के अंदर स्टेट सीटों पर आरक्षण को प्रोटैक्शन दिया जाए, वह प्रोटैक्शन भी पूरा हो रहा है। मैनडेटरी क्लाज में भी संशोधन किया जा रहा है, आप उसे तीन वर्ष और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मैनडेटरी प्रोविजन में बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं, इसमें फाइनेंशियल दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में और लागू करने में दिक्कत है। इसलिए इसमें मानीटरिंग की भी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि वर्ष 2014 में हमें फिर से संशोधन की जरूरत पड़े। जो केन्द्रीय शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें 2014 तक मानीटरिंग की व्यवस्था एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा या यूजीसी के द्वारा होनी चाहिए कि वर्ष 2014 लास्ट होगा, जिससे कि ओबीसी के छात्रों को जो आरक्षण यूपीए सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसे बहुत अच्छे ढंग से लागू किया जाए।

मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि 2006 में आपने जो एक्सैप्शन क्लाज बनाये थे, उनमें से एक को आप हटा रहे हैं, वह बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारा इरादा था कि उससे नार्थ ईस्ट में उनके आरक्षण को प्रोटैक्ट किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार वहां जो आरक्षण दे रही थी, उसे ही प्रोटैक्ट कर रही थीं, उसे भी लागू करें। लेकिन कानूनी दृष्टि से ऐसा लगा कि वहां लागू ही नहीं होगा, यह आपको देखना है। लेकिन उसमें कई क्लाज है, जिसमें व्यवस्था है कि 2006 का कानून कहां-कहां लागू नहीं होगा। नार्थ ईस्ट का संशोधन स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ जगह हैं जहां यह अपवाद है, उसमें मैं चाहूंगा कि थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है।

इसके अलावा जो हमारा शेड्यूल है, उस शेड्यूल है कि एक्सिलेंस नेशनल इम्पार्टेन्स की संस्थाओं में यह लागू नहीं होगा। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो अच्छी संस्थाएं हैं, नेशनल इम्पार्टेन्स की संस्थाएं हैं, वे भी शिक्षण संस्थाएं हैं, शोध की संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं में भी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवा का मौका मिलना चाहिए। वहां भी उनका प्रतिनिधित्व होगा, यदि उन्हें वहां आरक्षण मिलेगा तो वे देश के उच्च पदों तक जाने में सक्षम बनेंगे। एक अपवाद आपने आज हटा दिया है और आने वाले समय में इस क्लाज को भी जिसमें आप तमाम नेशनल एक्सिलेंस की संस्थाओं या नेशनल इम्पार्टेन्स की संस्थाओं को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह उचित नहीं है। इस अपवाद को भी हटाने की जरूरत है। मैं माननीय एचआरडी मिनिस्टर का बहतु-बहुत स्वागत करता हूं। उनके नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई गति आई है। चाहे शिक्षा अधिकार का कानून हो या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा जो बहुत से प्रयोग किये जा रहे हैं। देश के अंदर हर जिले में उच्च शिक्षा के संदर्भ में आपने एक पैमाना बनाया है कि बहुत से जिलों को शैक्षिक रूप से बैकवर्ड घोषित करके वहां हर जगह माडल स्कूल स्थापित करने की जो आपकी नीति है वह बहुत सही नीति है, उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभारी हूं। अगर देखा जाए तो यह संशोधन केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाला विधेयक है। केवल केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में तीन साल के लिए कोटा लागू करने का इसमें वादा है। उपाध्यक्ष जी, यह बात भी सत्य है कि आप 27 फीसदी पिछड़ों को पूरी तरह से आरक्षण देने में असफल रहे हैं। अभी राज्य सभा में यह बिल पास हो कर हम लोगों के पास आया है। बल्कि सन् 2006 में बना यह कानून तीन वर्ष में लागू होना था। लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के कारण एक साल इसमें आप लेट हुए हैं। इसकी भी भरपाई करने के लिए हमें आगे देखना पड़ेगा। इस लेट के कारण मेडिकल की पढ़ाई में भी इसका बहुत जबरदस्त असर देखा गया है। जहां तक देखा गया है कि दिल्ली में इसे लागू करने में देरी हुई जिसकी वजह दूसरी हो सकती है। ऐसे में तीन वर्ष का समय जो बढ़ाना जरूरी हुआ है वह ठीक है, लेकिन तीन वर्ष के बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसे शिक्षा दे पाएंगे।

माननीय मंत्री जी, आपने भरोसा भी दिलाया कि तीन वर्ष में आरक्षण को लागू करेंगे, यह लागू हो जाएगा। लेकिन जहां तक देखा गया है कि देश के स्कूलों में, अभी हमारे भाई गणेश सिंह कह रहे थे कि देश के स्कूलों में समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। इस पर समय-समय पर हमेशा इस सदन में भी डिस्कशन हुआ है और बराबर यह मांग हुई है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आबादी के अनुसार, हम सन् 2001 की जनगणना को मानकर चल रहे हैं, लेकिन आज सन् 2011 की जनगणना को लें तो मेरे ख्याल से एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वर्गों की जनसंख्या बढ़ी है। समस्याएं बहुत हैं। मैं तो कहूंगा कि आबादी के अनुसार कम से कम एससी और एसटी को 30 पर्सेंट कर दें। यह हमारी मांग है।

दूसरी बात यह है कि सेंट्रल स्कूल के बारे में हमेशा यहां बराबर बातें उठती हैं। जितने भी माननीय सदस्य यहां हैं, कहीं किसी की कांस्टीट्यूएंसी 21 लाख है, 22 लाख है, 20 लाख है और 19 लाख का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बड़ा प्रेशर है। मंत्री जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप अभी यह कहेंगे कि यह सब्जेक्ट से बाहर है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: शैलेन्द्र जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। उस दिन भी यह बात आपने मेरे सामने रखी थी। कुछ अर्सा पहले मैंने एक प्रस्ताव कानून मंत्रालय में भेजा था, जिसमें मैंने कहा कि यह जो दो-दो की अलॉटमेंट है, इसे पांच कर दिया जाए। ...(व्यवधान)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): मंत्री जी, कहीं तो दो भी नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: पहले आप मेरी बात तो सुनिए। मैं यह जो बात कह रहा हूँ यह बात आपने उस दिन संसद में उठाई तब उससे पहले मैं भेज चुका था। विधि मंत्रालय से राय आई। उन्होंने कहा कि यह गैर-कानूनी होगा। यह उनकी राय है। अब मैं बैठक कर के कुछ ऐसी याचिका हम कोर्ट में डालेंगे, जहां हम कहेंगे कि यह दिक्कत हमारे सामने आ रही है, आपने जो कानून बनाया है, जो जजमेंट दिया है, इसे आप बदलिए और हमारे मैंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कम से कम छह बच्चों की अलॉटमेंट की अनुमति मिलनी चाहिए। हम इसमें आपके साथ हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : सभी को मिलनी चाहिए।

श्री कपिल सिब्बल: हम आपके साथ हैं लेकिन हम कानून से बंधे हुए हैं। अगर मैं अपने स्तर पर कोई ऐसी बात कर दूं और वहां कंटैम्ट नोटिस इश्यू हो जाए कि यह हमारा कानून था और आपने कैसे दिया तो फिर उसमें सरकार को दिक्कत आ जाएगी। मैं अपने मंत्रालय को कहूंगा कि अगर हो सके वहां याचिका डालें और उनको कहें कि सब चीज़ें सामने रखते हुए दो का छह होना चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे बहस का मुद्दा मत बनाइए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : मंत्री जी, जिनके क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की सुविधा नहीं है, उन्हें भी तो यह अधिकार मिलना चाहिए।

श्री कपिल सिब्बल: मैं यही बात कह रहा हूँ। हाई कोर्ट का फैसला है कि जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं है वहां दो लोगों की अलॉटमेंट नहीं हो सकती है। यह फैसला मैंने नहीं किया है। वहां भी हम जायेंगे, हम कोर्ट के सामने जा सकते हैं।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): मंत्री जी, जब आप 2 के बदले 6 के लिए याचिका दायर करने को तैयार हैं, तो जिस कांस्टीच्युएंसी में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, उनके लिए भी तो आप गंभीर होइये।...(व्यवधान) उनके लिए भी आप याचिका दायर कीजिये।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैंने कहा कि मैं करूंगा, मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा । मैं वह याचिका भी डालूंगा कि जहां नहीं हैं, उन्हें भी मिलना चाहिए। जहां 2 हैं, वहां 6 होना चाहिए। आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपके साथ हैं। मैंने अपना कोटा तो खत्म कर दिया, लेकिन आप चाहते हैं

कि 2 से 6 हों, हालांकि मैंने वहां पच्चीस प्रतिशत हर स्कूल में किया है। हर केंद्रीय विद्यालय में पच्चीस प्रतिशत डिसएडवांटेज कम्युनिटी के बच्चे जाएंगे। यह अपने आप में बड़ी भारी बात है। मतलब कि अगर सौ बच्चे हैं, पच्चीस वे होंगे, यह बिना एलोकेशन के है। जो गरीब बच्चे हैं, उनको तो एक अवसर मिलेगा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का पच्चीस प्रतिशत। आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। जहां तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मांग हो रही है कि 2 से ज्यादा होने चाहिए, वह हम याचिका डालेंगे और जो अदालत फैसला करेगी...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे बहस का मुद्दा मत बनाइए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, एम.पी. का सवाल नहीं है। हम 15 लाख लोगों से चुनकर आए हैं तो हम किसे नाराज करेंगे?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बाद में जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : जो आप लोगों की चिंता है, मैं पूरी बात कहना चाहूंगा। क्योंकि यह सब्जेक्ट से जुड़ा भी है और नहीं भी जुड़ा है। मैंने कहा कि हम लोग इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अभी जैसा पाण्डेय जी ने कहा कि जिनकी कांस्टीच्युएंसी में सेंट्रल स्कूल है, वे तो दो एडमीशन करा सकते हैं, लेकिन जिनकी कांस्टीच्युएंसी में सेंट्रल स्कूल नहीं है, वे नहीं करा सकते हैं। यह भी एक अन्याय है। यह हो तो सबके लिए हो, नहीं हो तो कम से कम नजदीक के जो जिले हैं, जो सटे हुए जिले हैं, वह वहां एडमीशन करा सकता है, यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी।...(व्यवधान)

दूसरी बात, हमारे इलाहाबाद में, लगता है कि आपके यहां प्रधानाचार्य की बहुत कमी है। हमारे यहां इलाहाबाद में दो सेंट्रल स्कूल हैं, एक मनौरी है और एक बंगरौली है। एक ही प्रिंसिपल दोनों स्कूल्स को देख रहे हैं, मनौरी वाले प्रिंसिपल ही बहमरौली को भी देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जहां कमी है, वहां इमीडिएट प्रिंसिपल की नियुक्ति आप करायें। यह मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी का आरक्षण नहीं है, जबकि नवोदय विद्यालयों में आपने ओबीसी का आरक्षण लागू किया है। क्या आप इसे लागू करेंगे, इसे आप अपने जवाब में बताइएगा?

आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी होंगे, कैबिनेट की बैठक में भी जाते होंगे, इसी से संबंधित मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो शिक्षा से भी जुड़ा है, रिजर्वेशन से भी जुड़ा हुआ है, कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा। आप सरकार से कहिए, हम लोग अभी करीब 30-35 सांसद एससी, एसटी के प्रधानमंत्री जी से मिले थे। हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों के आरक्षण पर हमेशा न्यायिक हस्तक्षेप होता रहता है। इससे हम लोग दुखी हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि संविधान में संशोधन करके आरक्षण एक्ट बनाकर उसे संविधान की नौवीं सूची में शामिल कर दें तो हम लोग महफूज हो जायेंगे। यह नहीं कि अगर, चलिये हम तो क्रीमी लेयर में हैं, हमने तो कोई फायदा लिया नहीं है, केवल यहां संसद में चुनकर आये हैं, बाकी पढ़ाई से लेकर हम लोगों ने कोई फायदा नहीं लिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो बेचारे गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं, जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर पिछड़े हैं, दूर हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा से आपको जोड़ना पड़ेगा। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके समान व अनिवार्य शिक्षा कानून आप लागू करें। अभी इसी सदन में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर चर्चा हुई, इसके बारे में गणेश सिंह जी भी कह रहे थे। आप राष्ट्रीयकरण करें और कोशिश करें कि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। अब हम मतलब की बात कर रहे हैं तो घंटी बज गयी।

उपाध्यक्ष महोदय : समय को भी देखना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हम लोगों की मांग है कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हमें आरक्षण को लागू करना पड़ेगा। आपको दोनों जगह निर्देश देने पड़ेंगे। मैंने कहा कि शोषित, वंचित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक तौर पर बहुत पिछड़े हैं, इनके विकास हेतु अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा में आप देने जा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे समय के अनुसार दीजिये। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सच्चर साहब ने कहा कि देश में मुस्लिम वर्ग के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आपको रोल मॉडल तैयार करना पड़ेगा और जो टैक्निकल एजुकेशन है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। युवाओं और मुस्लिम महिलाओं पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज मुस्लिम वर्ग में आप देखें तो छोटा सा बच्चा भी जब परिवार से निकलता है तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में या मोटर पार्ट्स के क्षेत्र में जाता है। तकनीकी शिक्षा की तरफ उसका ज्यादा ध्यान रहता है। हमें हर वर्ग के लिए संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उपाध्यक्ष जी ने घंटी बजा दी है, समय सीमा के भी हम पाबंद हैं। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि जो भी सुझाव हमने दिये हैं, मंत्री जी इन्हें ज़रूर लागू करवाएँ। यह कहते हुए मैं बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को आधे मिनट में एक सुझाव देना चाहता हूँ कि रिज़र्वेशन में बड़ी मारा-मारी है। यह तो पॉलिसी मैटर है, इसमें कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है? दो से पाँच कर दें या छः कर दें, यह तो पॉलिसी मैटर है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कह दिया है, मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री विजय बहादुर सिंह : पॉलिसी मैटर में अदालत इंटरफियर नहीं करती। ये खुद ही बढ़ा सकते हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सुझाव दे दिया है। मंत्री जी इस बारे में सोचेंगे। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया कि वे देखेंगे। क्या हर आदमी एक ही बात बोलेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए।

(Interruptions) ... *

* Not recorded.

डॉ. बलीराम (लालगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बिल पर बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में रिज़र्वेशन के संबंध में जो 2012 का बिल लाए हैं, विशेषकर पिछड़े समाज के लिए, मैं इस बिल का पुरज़ोर स्वागत करता हूँ। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि जो 2006 में केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत और पिछड़ी जातियों के लिए 27.5 प्रतिशत का आरक्षण आपने किया। लेकिन आज जो स्थिति है, चाहे जिस भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में आप चले जाइए, केन्द्रीय कॉलेज में चले जाइए, यह आरक्षण पूरा नहीं है। दूसरी तरफ, दिल्ली विश्वविद्यालय है और जेएनयू विश्वविद्यालय है। अभी आई.आई.टी.जे.ई.ई. की परीक्षाएँ भी हुई हैं। इसमें जिन लोगों ने क्वालिफाइ किया है, इनमें 2545 छात्र पिछड़े समाज के हैं जिनमें से 1540 बच्चों ने सामान्य कैटागरी की मैरिट में पास किया है। जब सामान्य कैटागरी की मैरिट में इन्होंने पास किया, तो उसको ओबीसी के कोटे से बाहर रखना चाहिए, उसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लोग 1950 पास हुए जिनमें से 122 सामान्य कैटागरी की मैरिट में पास हुए। लेकिन उनको भी अनुसूचित जाति के कोटे में कर दिया गया। अगर इस तरह से करेंगे तो यह न्यायसंगत नहीं है।

<u>14.59 hrs.</u>

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

ऐसे लोगों के साथ यह अन्याय होगा। दूसरी तरफ जो आदिवासी हैं, 645 में से 33 बच्चों ने सामान्य कैटागरी में पास किया है लेकिन उनको भी आदिवासी कैटागरी में रख लिया गया। पिछले वर्ष जो ओबीसी का है, यह लगभग 5400 सीटें सामान्य वर्ग के लोगों से भर ली गईं। यह सरासर गलत है, अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप विधेयक तो ला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम तीन साल के लिए यह कर रहे हैं।

<u>15.00 hrs.</u>

संविधान बना, रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ और हर दस साल बाद आप रिजर्वेशन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आजादी के 62 साल बीतने के बाद भी वह आरक्षण कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ। हम जानना चाहते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में क्या इसी प्रकार का आरक्षण होगा कि उसे पूरा नहीं किया जाएगा और तीन साल में यह कैसे होगा? अभी गणेश सिंह जी बता रहे थे कि दौलत राम कालेज में ओबीसी की 290 सीटों में से 169 सीटें भरी गई हैं। रामलाल आनंद कालेज में 160 में से सिर्फ 42 सीटें भरी गई हैं। वेंकटेश्वर कालेज में 296 सीटों में से 149 भरी गई हैं, हिंदू कालेज में 300 में से 230 सीटें भरी गई हैं, शहीद भगत सिंह कालेज में 295 में से 70 सीटें भरी गई हैं, एआरएसडी कालेज की 300 सीटों में से 181 सीटें भरी गई हैं।

अगर इस तरह से सीटें भरी जाती रहेंगी, तो आप कैसे इन वर्गों को आगे बढ़ा सकेंगे? इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी, एसटी के छात्र के लिए अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो दोबारा उन्हें रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता है। एडमिशन के बाद उसे उसी कालेज में, उसी विषय और उसी कोर्स को चुनना पड़ता है, लेकिन सामान्य केटिगिरी के लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं है। उन्हें छूट है कि वे कालेज भी बदल सकते हैं और अपना सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं। इस तरह से पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज अनुसूचित जाति के लोग हों या पिछड़ी जातियों के लोग हों, किसी राज्य में वे पिछड़ी जाति में हैं और किसी राज्य में पिछड़ी जाति में नहीं हैं या केंद्र में पिछड़ी जाति में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर आ कर दिल्ली में एडमिशन लेना चाहे या नौकरी लेना चाहे, तो उसे कहा जाता है कि अगर वह यहां का डोमिसाइल नहीं है, तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे प्रतिबंध को आपको हटाना चाहिए, तभी इन लोगों के साथ आप न्याय कर पाएंगे। अभी शैलेन्द्र जी ने कहा है कि हमेशा कोर्ट अड़ंगा डालती रहती है। कभी नौकरी में रिजर्वेशन के सवाल पर डालती है तो कभी प्रवेश के सवाल पर डालती है। अगर इसको संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो इस खतरे से बचा जा सकता है और कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। अगर सरकार की मंशा सही है, आपकी मंशा भी सही है तो कानून बनाने का अधिकार इस पार्लियामेंट को है, आपको अधिकार है, तो आप यह कानून बना दें कि भविष्य में कोई इससे छेड़छाड़ न करे। न उनकी नौकरी पर कोई खतरा हो और न प्रवेश में कोई खतरा हो।

दूसरी तरफ गुर्जर समाज और जाट समाज के लोग आरक्षण के लिए आंदोलित हो रहे हैं। ऐसे लोगों को शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। जिससे कि ये लोग भी सुविधाएं पा सकें। क्योंकि ये लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं।

महोदय, आज यह समस्या एक विकट समस्या हो गई है। आज आप जाकर देखिए तो आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों को एडमिशन में बहुत दिक्कत होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछले साल तो उन्होंने 25 प्रतिशत आरक्षण दिया, लेकिन इस साल कह दिया कि हम पांच प्रतिशत ही आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि हम इसलिए आरक्षण कम दे रहे हैं क्योंकि हम मैरिट के लोगों को लेंगे। जब आप मैरिट के लोगों को लेंगे तो आपका वहां आरक्षण प्रभावित होगा तो आप आरक्षण किस बात का कर रहे हैं? वे कह रहे हैं कि आने वाले समय में जिसने कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक यहां पढ़ाई की होगी, उसी को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा और दूसरे को लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम

आपसे अनुरोध करेंगे कि समान शिक्षा की व्यवस्था सारे लोगों के लिए की जाए, एक तरह का कानून बनाया जाए ताकि उसका सभी लोगों को लाभ मिल सके।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012 पर इस सदन में हो रहे चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक बिल पर इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कई बिन्दुओं पर सुझाव दिए हैं। इसलिए मैं पुनः उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन सभापति महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अशिक्षा ही इस देश में अज्ञानता, निर्धनता, और दरिद्रता के साथ-साथ नक्सलवाद और उग्रवाद का भी कारण है क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान आधा पेट खाकर भी इज्ज़त, मान-सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। इज्ज़त, मान-सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है।

महोदय, इस दुनिया में जो ज्ञानहीन है वह ही धनहीन है। जो ज्ञान से हीन है वह ही धन से हीन है। जो धन से हीन है वह ही मन से हीन है और जो मन से हीन है वही इस देश में गुलाम और लाचार है। गुलाम और लाचार लोग अपनी गुलामी को, मजबूरी को, लाचारी को, और अपनी बेबसी को जब दुनिया के सामने रखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं और जब उन्हें गुलामी और लाचारी से मुक्ति नहीं मिलती तब वही व्यक्ति इस समाज के लिए, कानून के लिए, स्वतंत्रता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर हम इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, इस देश में शांति और भाईचारा बनाना चाहते हैं तो हमें सबको समान शिक्षा का अधिकार देना होगा। इस देश में सभी वर्गों के लोगों को शिक्षित करना होगा क्योंकि इस देश की सदियों से जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, वह गैर बराबरी की व्यवस्था है। सदियों से इस व्यवस्था में इस देश का जो बहुसंख्यक समाज रहा है, इसकी शिक्षा पर रोक लगाकर इसे शिक्षा से वंचित किया गया और जो समाज शिक्षा से वंचित हो गया, वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़ गया।

सभापति महोदय, अब प्रश्न यह उठता है कि जो व्यवस्था चली आ रही है, क्या वह व्यवस्था ही इसकी मूल जड़ है? यह व्यवस्था कैसे खत्म होगी? इस व्यवस्था में जो लोग सम्मानित हैं, वे इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। जो लोग इस देश में सदियों से चली आ रही व्यवस्था से सम्मानित हैं, वे लोग इस व्यवस्था को टिकाये रखना चाहते हैं और जो लोग इस व्यवस्था से अपमानित हैं, वे सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे सामाजिक परिवर्तन होगा। इस देश की गजब विडम्बना है कि जब बच्चा मां के पेट से पैदा होता है तो वह बच्चा नहीं पैदा होता है, वह इस देश में जाति पैदा होता है। हम इसको कैसे पाट सकते हैं? संविधान में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो जातियां पिछड़ गई हैं,

उनको बराबरी में लाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, इसलिए हम आपके माध्यम से कपिल सिब्बल साहब से कहना चाहते हैं कि अगर सही मायने में जो यह संशोधन विधेयक आप लाये हैं, अगर सही मायने में अति पिछड़ों को आप 27 परसेंट आरक्षण देना चाहते हैं तो आपको इसमें जो संशोधन विधेयक है, जो मौजूदा कानून है, इस मौजूदा कानून के अनुसार इसमें ओ.बी.सी. वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने के लिए न्यूनतम कटऑफ फीसदी अंक पर उनको दाखिला देना है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनकी कटऑफ लिस्ट 100 परसेंट पर चली गई है, जब उनको 90 परसेंट अंक जब आएंगे, तभी तो उनका दाखिला होगा, इसलिए हम माननी मंत्री कपिल सिब्बल जी से कहना चाहते हैं कि सही मायने में अगर ओ.बी.सी. को आप आरक्षण देना चाहते हैं तो जिस तरह से, जिस नियम प्रक्रिया के तहत शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रवेश दिया जाता है, उसी नियम और प्रक्रिया के तहत आपको ओ.बी.सी. छात्रों को भी प्रवेश दिलाने का आप काम करें, तभी ओ.बी.सी. वर्ग के छात्रों को सही मायने में दाखिला मिल सकता है और उनके साथ न्याय हो सकता है।

मेरा दूसरा पाइंट है कि जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो पूर्वोत्तर राज्यों में हैं, जिसका आप संशोधन विधेयक लाये हैं तो वहां 50 परसेंट आरक्षण पहले से लागू है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसमें आर आरक्षण नहीं दे सकते तो वहां उन ओ.बी.सी. बच्चों के लिए आप कौन सा संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं, उसको भी आपको यहां बताना होगा और...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री महाबली सिंह : अभी तो मैंने शुरू किया है। हमारी पार्टी से एक ही आदमी को बोलना है, एक ही सांसद को बोलना है, इसलिए समय बाकी है।

सभापति महोदय: आपका चार मिनट का टाइम है, आपको वैसे ही ज्यादा समय दे दिया है।

श्री महाबली सिंह : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बिहार है, आज बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में क्रान्ति आई है। शिक्षा के साथ-साथ आज बिहार चहुंमुखी विकास कर रहा है। माननीय मंत्री जी, आप बिहार को आगे बढ़ने में सहयोग दीजिए, बिहार को बांटने का काम आप मत करिये। जब बिहार की केबिनेट ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए मोतिहारी में मोहर लगा दी और जब बिहार की विधान सभा में सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो गया तो बिहार के लोगों की जन भावनाओं की आप कद्र करिये। आप जिद मत करिये कि नहीं, चम्पारण में नहीं बनेगा, विश्वविद्यालय गया में बनेगा। गया में भी बने, लेकिन बिहार की जन भावना वहां है, आप उसको वहां बनाने का काम करिये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि, जो केन्द्रीय विद्यालय आप जो पूरे देश में बना रहे हैं, वे केन्द्रीय

विद्यालय उस जगह बनाने चाहिए, जहां के लोग शिक्षा के अभाव में नक्सल मूवमेंट में जुड़ रहे हैं, उन इलाकों में बनाने चाहिए। केन्द्रीय विद्याल आप शहर में बनाते हैं, जहां शिक्षा पहले से मिल रही है तो इसलिए जितने भी केन्द्रीय विद्यालय बनें, वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बनें। हमने शून्य काल में भी यह प्रश्न उठाया था और नियम 377 के माध्यम से भी हमने यह प्रश्न उठाया था कि बिहार में हमारा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसमें केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। वहां पर केन्द्रीय विद्यालय बनाया जाये।

महोदय, हम अपनी बात समाप्त करेंगे, लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं। हम यह मानते हैं कि सरकार ने हमेशा दलित, पिछड़ों के हित में काम करने के लिए नीतियां बनायी हैं, लेकिन नीतियां बनाने से नहीं होगा। आजादी के बाद 60 सालों में बहुत सारी नीतियां बनीं, बहुत सारी पार्टियां बनीं, पार्टियां बनती रहीं और पार्टियां बिगड़ती रहीं, सरकारें बनती रहीं और सरकारें बिगड़ती रहीं, बजट भी बनते रहे और बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के दलित, पिछड़ों की तकदीर 60 साल में नहीं बदली है। अगर सही मायने में सरकार की नीयत है, इस देश का दलित और पिछड़ा समाज बराबरी पर आये तो इसके लिए नीयत साफ करनी होगी। आज बिहार इसलिए विकास कर रहा है क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नेताजी अच्छे हैं, उनकी नीति भी ठीक है और उनकी नीयत भी ठीक है। इसलिए आज बिहार तरक्की कर रहा है। ...(<u>व्यवधान</u>)

MR. CHAIRMAN : Nothing further will go on record.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: Dr. Ratna De.

* Not recorded.

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Chairman, Sir, I would like to express my thanks for giving me the opportunity to speak on this Bill which seeks to amend the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006.

Sarva Shiksha Abhiyan, Right to Education Act and other schemes speak volumes about the commitment of the Government to education. The amendments brought forth by the hon. Minister are laudable in nature. We are providing reservation for Other Backward Classes in tribal areas and the timeframe for full implementation of the Act is being extended.

Tribals constitute around nine per cent of the country's population and they are still in despicable conditions. In fact, they live in subhuman and pathetic conditions. By providing reservation for OBCs in tribal areas, I am hopeful that those who wanted to pursue higher education would definitely derive benefit out of this Act, and this would no doubt go a long way.

We are churning out lakhs and crores of holders of MBA, Ph.D., MA, M.Phil. etc. degrees year after year. But how many of them are getting suitable jobs? What is preventing them to get a job? Was it a faulty curriculum they are studying? Was the job market not suitable for their degrees and diplomas? Are we interested in creating only bookish brains? It is time to ponder for not only those who study but also those who frame policies at the Government level.

Sir, it was reported in The Hindu newspaper on 1st February, 2010 that not even one Indian university figures in the top 200 universities of the world. This was stated by C.N.R.Rao, a renowned scientist. Our IITs, IIMs or even JNU did not find a place in the best 100 universities in the world. How to change the situation is a very difficult task ahead of us. What we need to focus on is quality and relevance of higher education to bring the much needed social transformation, which would in turn take care of every other ill of the society and hence the country to move ahead and bringing laurels.

In many universities across the country, OBC seats are lying vacant. Particularly this is the state of affairs in metro cities. Sometimes, courts interfere

to fill up the OBC seats. If this is the situation, we can easily visualise as to what would be the situation in the tribal areas. Since we have very few education institutions in tribal areas and the areas nearby, how can we expect tribals to avail the seats provided through this amendment? Our aim should be to bring the tribals into the mainstream and to achieve this, we should give them proper education of good quality and standard education which would go a long way in bringing them up. Improving infrastructure is an arduous task and there cannot be two opinions about it. We have poor infrastructure in Central Educational Institutions in the country. This is a bitter fact. How does the Government improve the infrastructural facilities in the Central Educational Institutions across the country?

Sarva Siksha Abhiyan aims at universalising access to elementary education in accordance with the vision of the Right to Education Act. Without taking care and nurturing or patronizing the elementary education, we cannot give the much needed fillip to higher education. Between 1950 and 2008, the number of universities has increased from 20 to a whopping 431, colleges from 500 to 20,677, teachers from 15,000 to nearly 5.5 lakhs; and the number of schools too has increased exponentially each year. But what about the standard and quality of these institutions of education? It is stated often that the quality of the State, which means the country, depends upon the quality of education. It cannot be farther from the truth. Higher education plays a significant role in creating the masters who would in turn, create an atmosphere which would go a long way in deciding the destiny of the country. We attained independence; we made great strides, in the field of education at primary, secondary and higher levels. But with the growing demands and needs, a lot requires to be done.

Corporate social responsibility, though became famous in recent times, it has been in vogue in 1960s and 1970s. But yet it has not taken roots in the educational fields. Many top profit making establishments have not cared to fulfil their corporate social responsibility. I request the hon. Minister to include the

corporate sector in this. I suggest that more funds should be allocated to the HRD Ministry to fulfil this scheme.

Lastly, my earnest request to the hon. Minister is this. I am a Member of Parliament from Hooghly, West Bengal. Hooghly is the District Headquarters. The total population of Hooghly District is more than 50 lakhs as per the 2001 census. There are many Central and State Government offices in that district. But I am sorry to say that we do not have any Central Educational Institution till now. My request to the hon. Minister is that he may initiate action so that we can have at least one Central Educational Institution in our district.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to participate in the discussion on the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012.

I rise to support this Bill and the amendments brought before this august House by the hon. Minister. He has also explained the amendments here. I welcome the amendments proposed to the Principal Act of 2006, viz. the Central Educational Institutions Act. It aims at increasing the number of seats for SC, ST and OBC students in higher educational institutions. The Principal Act says that out of the annual permitted seats for a branch of study or faculty, 15 per cent seats shall be reserved for SCs, 7.5 per cent seats shall be reserved for STs and 27 per cent seats reserved for OBCs. The two amendments brought in this Bill are – the reservation for OBCs in the tribal areas under the 6th Schedule of the Constitution and secondly, the extension of time frame from three to six years for the full implementation of the Act of 2006.

This Bill seeks to have a proviso that if there is a Central Educational Institution in tribal area under the 6th Schedule of the Constitution, the State seats in those institutions shall have the reservation for SCs, STs and OBCs. The quantum of reservation shall be prescribed by the State Governments.

The Bill also has a proviso for cases where the central educational institutions in tribal areas do not have State seats and the seats reserved for Scheduled Tribes and Scheduled Castes exceed the percentage specified in the Act. In such cases the number of seats reserved for the OBCs would be such that the total reserved seats are 50 per cent of all seats. If the total number of seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes exceed 50 per cent, there shall be no reservation for the OBCs and the total number of seats shall be reduced to 50 per cent in all areas except in the North-East region.

Sir, though this amendment will help in a big way the poor and downtrodden people in getting opportunities for higher education, there is a reasonable apprehension among the OBC students aspiring admission in the

institutions like the National Institute of Design and National Institute of Fashion Technology, etc.

In this connection, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the report of the Standing Committee which is of the view that the Scheduled Castes/Scheduled Tribes reservation should be taken as a compulsory component and the remaining seats shall be reserved for the OBCs. In case where the Scheduled Castes/Scheduled Tribes reservation exceeds 50 per cent limit, the Bill states that no seat shall be reserved for the OBC and the number should be reduced. It also opined that the Government may decide whether to increase the limit or not.

Therefore, I would like to urge upon the Government that by implementing this Bill the OBC students should not be deprived of their right of reservation benefit and their interest should be protected. In any event, 27 per cent reservation provided for the OBC students should not be reduced.

Now, I would like to draw the attention of the House to Section 5 of the amendment Act. It is relating to the substitution part and states as follows: "For the words 'number of seats available' the words 'number of such seats available or actually filled, whichever is less, shall be substituted". I would like to know from the hon. Minister whether it is the number of seats available or actually filled. I think we need a little more clarification on that because it creates an impression that seats which are actually available should be the seats which are actually reserved. They should not be filled up through some other means other than the process of reservation. This needs to be clarified and I hope the hon. Minister will explain as to what it is.

Sir, before I conclude I would like to know from the hon. Minister why even after the lapse of four years of the Act being passed and after two years of the Ministry of HRD issuing direction to all the central educational institutions, this mandatory 27 per cent reservation for OBCs could not be implemented. I hope the hon. Minister will reply to all these questions.

SHRI SAKTI MOHAN MALIK (ARAMBAGH): Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the debate on the Central Educational Institution (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012.

The proposed Bill has already been passed in the Rajya Sabha on 27th April, 2012 with the objective of amending the CEI Act of 2006. The original 2006 Act provides for the reservation in admission of students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs to the extent of 15 per cent, 7.5 per cent and 27 per cent respectively except in the Sixth Schedule area. It also has stipulated three years time for its implementation. It has also allowed the central educational institutions to increase the seats. The central educational institutions were provided central funds amounting to Rs.1,724 crore to expand the infrastructure and provide connected facilities. I would also like to bring to the notice of the Minister that the Standing Committee on Human Resource Development is of the view that the SC and ST reservation should be taken as a compulsory component and the remaining seats shall be reserved for the OBCs.

The CEI Act, 2006 was passed during the UPA – I regime, under pressure from the Left parties. It had provided for 27 per cent reservation for OBCs in admission to Central Educational Institutions along with a mandatory seat-increase of 54 per cent over a maximum period of three years from the academic session commencing from the calendar year 2007. The mandatory 54 per cent seat-increase in the existing CEIs was perceived as one of the important measures to increase the GER in higher education. The UGC report in 2008 on "Higher Education in India: Issues related to Expansion, Inclusiveness, Quality and Finance" shared this view.

The "Gross Enrolment Ratio" in degree and diploma programmes is only 7.0 per cent for SCs and 4.6 per cent for STs, compared to 9.7 per cent for 'all' Category. The gap in GER between SCs and 'all' Category is expected to remain at the present level of 2.7 per cent in the 11th Plan period.

The disparity in GER by gender and socially disadvantaged groups, such as SCs and STs is unacceptable. Even though, there are several educational schemes in favour of these groups, there is still a long way to go to bridge the gap from UGC report. There are some Central institutions, such as IIT located in Tripura Tribal Area Autonomous District Council which is already following the reservation provision for ST, as per ST population ratio of the State of Tripura. In this, the provisions of the Sixth Schedule of the Constitution of India are operative. The passing of new Bill regarding facilities to ST people may not continue in future, although Section 3 of 2006 Act has the provision for reservation provision for ST in Sixth Scheduled areas.

However, the question that needs to be asked in the first place is that why not the mandatory reservation and 54 per cent seat-increase could be implemented, even after three years of the CEI Act being passed.

My second question is that why is it the case that some of the CEIs were finding it difficult to adhere to the time-limit of three years for creation of the requisite physical and academic infrastructure. Now, the Government through this amendment wants to extend the time-limit for further three years. My question is whether the Government can ensure that reservations in all the universities will be implemented within the extended three years.

The Government's logic for the non-implementation of mandatory OBC reservations merely describes the problem instead of addressing it. One of the major drawbacks of the Bill is that in cases where the SC and ST reservation exceeds the 50 per cent limit, the Bill states that no seats shall be reserved for the OBCs and the number should be reduced in the following year. Paying lip service and recruiting a miniscule number would not suffice the cause and objective behind reservation for SCs/STs.

MR. CHAIRMAN : Please end your speech now.

SHRI SAKTI MOHAN MALIK : With these words, I conclude my speech and I again thank you for giving me the opportunity to speak. I oppose some clauses of the Bill.

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Respected Chairman, Sir, the objective of this amendment is to clarify certain ambiguities in Section II, III, IV, V and VI of the existing Act, that is, the Central Educational Institution (Reservation in Admission) Amendment Act, 2006, which provides reservation for SCs, STs and OBCs in Central Educational Institutions.

At the outset, I would like to emphasize that the objective of my Party, the Biju Janata Dal is to provide and promote social justice to SC, ST & OBC, in order to bring them back to social mainstream. Contrary to caste composition of India, the population of SC, ST, OBC in Odisha is very high. In Odisha the population of SCs is 16 per cent, STs nearing 25 per cent and OBC is about 50 per cent. If we add the SEBC population listed by the State Government, it will be more than 95 per cent. So socially Odisha is predominated by Dalits, Tribes, OBCs, SEBCs and minorities.

Sir, it is a matter of regret that the Central Government enacted the concerned reservation law as late as 2006. It should have been enacted long back, just after Independence. For a newly independent nation, education of the backward sections should have been accorded, top most priority. It is because education is the foundation upon which the all round development of an individual or society rests.

Against this backdrop the said Amendment Bill to the previous Act is a welcome step. But there are some aspect of the Bill which is very difficult to understand. For example, Babasaheb Bhim Rao Ambedkar University, Lucknow, has been reserving 50 per cent seats for the SC and ST students. What will be future of this University if the Act is implemented there? Similarly, there are many universities like North Eastern States, Nagaland University, Mizoram University,

Manipur University, Rajiv Gandhi University where Arunachal Pradesh provides nearly 50 per cent reservation to SCs and STs. In view of the 50 per cent ceiling of reservation by the Supreme Court, how 27 per cent reservation for OBC students can be adhered to? So hon. Minister should clarify this point.

Further as per the amendment of Section 6 of the existing Act, the Academic Session commencing from 2008 will be the base year for implementation of the Reservation Act. Now a fresh amendment to Section 5(II) is being brought to replace three years with six years. Already four years have passed. Will the remaining two years be sufficient to implement the law?

As per the annexure attached to the Act at the time of Gazette Notification the list of institutions which will come under the purview of this Act under Section 4 (b) including a comprehensive list of all the universities of every State in India, should be notified along with the Act by the Government for the benefit of the public.

Sir, another point is that the hon. Minister should make a provision in this Act to accommodate more and more students from the native States of the concerned university. At present, the existing central universities or the institutions or deemed universities in Odisha are not implementing the provision of reservation for SCs, STs and OBCs. Even there is no transparency at the time of admission. So in view of this an appropriate mechanism should be created to check these types of anomalies.

In this discussion, I would like to raise another point about the justification of reservation. There are some people who oppose reservation. They think reservation is against the principle of democracy. Unfortunately, they forget that if more than 50 per cent of population remains deprived, how can we progress as a nation? In order to bring them to mainstream, we must have "protective discrimination" in the form of reservation. The other name of reservation in America is "Distributive justice". Reservation is not a matter of charity of the State but it is their birth right because till now they languish in deprivation and the

fruits of freedom have not reached them. Reservation is not the cause but the effect of the Hindu social caste system.

With these words, I conclude and I support the Bill.

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to participate in the debate on the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012, which has already been passed in the Rajya Sabha.

I support the amendments made in the Central Educational Institutions Act, 2006 (Principal Act), mainly because they aim at increasing the number of seats for OBC, SC and ST students in higher educational institutions. However, our party supports and believes in reservation policy for every talented and deserving students, hailing particularly from poor and downtrodden families. Those students deserve to get their best education.

Sir, education is an important for every people in society. It should not be denied to any one on the pretext of his or her economic conditions. I hope, this amendment would pave the way for a lot of students belonging to the downtrodden families getting opportunities for higher education.

Education helps to build a man and consequently helps to build a nation. Today we claim to be the biggest supplier of human resources in the world, but are we concerned about what quality of human capital we are building and for whose needs?

Today every parent tries to send their children to private and convent schools and not to Government schools. Why is it so? They spend thousands of rupees for this purpose but they do not prefer to avail of free education given by the State. The Government schools face many problems like shortage of teachers, insufficient funds to pay salaries to the teachers etc. There is also a shortage of qualified teachers in Government schools. The Government, on an average, spends about 3 per cent of GDP on education, while countries that have developed at a faster pace have spent about 6 per cent of their GDP on education. Right to Education was made compulsory after the intervention by the courts. The

Government should change this situation and improve our educational infrastructure.

I would like to emphasise on good infrastructure, full faculty strength and good quality teachers as they are important for imparting high quality education to our young and ambitious students. The Government should take appropriate steps for providing quality education in different educational streams.

Sir, with these words, I conclude my speech and extend support to this Bill and also would like to thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity for taking part in this discussion. This is an amendment Bill. The Principal Act was passed in the year 2006. The Government's commitment in that Act was to do it in three years. But now the hon. Minister, in his preliminary remarks, said that the period started from 2008 and even after the passage of four years, the Government has not been able to equip the Central educational institutions with infrastructural facilities.

Now, this Bill, through the provisions of Section 5, seeks extension of time for another three years. It clearly mirrors the fact that the Central Government has failed to implement what it had itself committed to the people.

Sir, coming to the issue of reservation, there is no doubt that composition of castes and sub-castes definitely varies from State to State. In a particular region, where there are more number of people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the reservation for them needs to be increased beyond the permissible limits. This is justifiable also.

Section 3, sub-section (b) of this Bill stipulates that if the total number of seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes exceed 50 per cent, then there shall be no reservation for OBCs and the total percentage of seats reserved shall be restricted to 50 per cent in all areas except specified in the North Eastern region. The concern is, as the hon. Member of the BJP, Shri Ganesh Singh, pointed out that if the permitted reservation of 50 per cent goes to students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, then it leads to denial of justice to the OBCs. My humble submission is, under the guise of increasing the quota to SCs and STs, a total blanket ban on admission of OBCs in Central Educational Institutions is neither fair nor logical.

In this context, may I draw the attention of this august House to the Tamil Nadu reservation system where 69 per cent of seats are reserved as against the 50 per cent as per the directive of the Apex Court? When the same situation arose in Tamil Nadu, my revolutionary leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu,

Puratchi Thalaivi revised the reservation policy by increasing the reservation limit to 69 per cent to satisfy all the sectors. That was on proportionate basis. This has also been given legal protection.

While our Party is celebrating one year of achievement of the AIADMK Government headed by Dr. Puratchi Thalaivi, I am proud to say that this system of reservation is being followed even now in all educational institutions in Tamil Nadu and social justice is being maintained through this system. Why not the Centre take a cue from the Tamil Nadu reservation system and adopt it?

What I want to stress is that, without affecting the interests of SCs and STs, wherever reservation to OBCs is at present denied because of the 50 per cent directive of the Apex Court, the Centre may increase the limit beyond 50 per cent to accommodate the OBCs on the lines of the system prevailing in Tamil Nadu. Where there is a will, there is a way. I request the hon. Minister to think over it.

We can satisfy ourselves that gross enrolment in higher educational institutions has risen from 12.5 per cent to 15 per cent compared to the world average of 23.2 per cent. The hon. Minister has a dream and vision of increasing it to 30 per cent by 2020. I am sure he will succeed in his mission. But mere quantitative expansion alone is not sufficient. We must ensure that the increase should be inclusive with deprived sections of the society entering into institutions like IIMs and IITs. These institutions should not be the exclusive privilege of a few in the name of merit.

Backward sections of the society should also enjoy the fruits of development through liberal entry into them. The fact that only 15 per cent of our graduates are suitable for employment is a sorry state of affairs. It reflects the poor quality of education at all levels, from primary to higher levels.

Let me show one or two examples. Only day before yesterday, many Members expressed their worries and concerns regarding the cartoons published in the textbooks. In the CBSE textbooks, a forest is defined as a group of trees and heavy industry is defined as one where heavy type of raw materials are used. In

the CBSE textbooks of Karnataka, it is mentioned even now that Pakistan is a part of India. It went on to state that American Constitution is based on capitalism. The Class III students of Urdu medium in Andhra Pradesh, it is taught that Shri P.V. Narasimha Rao is the Prime Minister of the country. Sorry, it is in Karnataka.. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Let him speak. Please do not interrupt.

Shri Semmalai, please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): I am concluding.

If this is the quality and stuff that we provide to our students, one can imagine what will be the standard of our students. So, quality of education should be ensured at all levels of education. In fact, I wish to say that unless we make concerted efforts to allocate six per cent of the GDP to education, our goal will remain unreachable.

With these words, I conclude.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, केंद्रीय शिक्षा संस्थान संशोधन आरक्षण विधेयक 2012 के विषय में आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। केंद्रीय शिक्षा संस्थान संशोधन बिल जो लाया गया है, उसका उद्देश्य केंद्रीय संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोगों को क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना है, किंतु उत्तर-पूर्वी राज्यों के शिक्षण संस्थानों को छोड़कर इसे लागू करने की बात है। वर्ष 2006 में बने कानून को वर्ष 2007 से तीन साल के भीतर अमल में लाना था, किंतु सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के कारण वर्ष 2008 से लागू हो सका है तथा तीन सालों के अंदर अब तक अमल में आ जाना चाहिए, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि बुनियादी ढांचे के अभाव में हम देश के विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह लागू नहीं कर सके हैं तथा इसे अमल में लाने हेतु तीन साल का समय और बढ़ाना चाहते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि तीन साल में यह आरक्षण पूरी तरह से लागू हो जाएगा या फिर कहेंगे कि हमारा ढांचा अभी तैयार नहीं हुआ है। शिक्षा संस्थानों को वर्ष 2006 से ही संसाधन देते आ रहे हैं और सीटों का इजाफा कर दिया है तथा सामान्य श्रेणी के लोग दोहरा लाभ उठा रहे हैं। देश के अस्सी प्रतिशत लोगों के साथ क्या आप न्याय कर रहे हैं? इसका जीता जागता उदाहरण केंद्र सरकार की नाक के नीचे स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय है, जिसमें निर्धारित ओबीसी की सीटों में से लगभग 7000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। सरकार को चाहिए था कि अंक प्रतिशत घटाकर ओबीसी के छात्रों द्वारा इन 7000 सीटों को भर देना चाहिए था। उस संस्थान को अंक कम करके ओबीसी के छात्रों को आरक्षण का लाभ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस पैमाने को फालो करने का डायरेक्शन दिया तथा बार-बार रिजर्व सीटों को भरने के लिए विज्ञापन द्वारा जागरुकता पैदा करने के लिए कहा है। ओबीसी आरक्षण में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, उन्हें कौन संरक्षण दे रहा है? वर्तमान में डीयू में जिस आरक्षण व्यवस्था को अपनाया जा रहा है, उससे अधिकतर सीटें खाली रह जाती हैं, इस कारण आरक्षण देने का क्या मतलब रह जाता है? ऐसी व्यवस्था देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी देखी जा रही है।

महोदय, पिछले वर्ष आईआईटी, जेई के जो परिणाम आए हैं, उसमें 2545 ओबीसी परीक्षार्थी पास हुए हैं, जिसमें 1540 परीक्षार्थी सामान्य श्रेणी में आए थे, लेकिन इन्हें आरक्षण की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। यदि ऐसा नहीं होता और उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाता तो इतने और परीक्षार्थी ओबीसी आरक्षण का लाभ ले सकते थे। इस तरह से 1950 अनुसूचित जाति के परीक्षार्थी पास हुए, जिनमें से 122 बिना किसी छूट के पास हुए, फिर भी इन्हें आरक्षण की श्रेणी में रखा गया, यदि ऐसा न होता तो अतिरिक्त 122 परीक्षार्थी अनुसूचित जाति छात्र आईआईटी का प्रवेश पा जाते और 645 अनुसूचित जनजाति के

परीक्षार्थियों में से 33 बिना किसी छूट के पास हुए, उन्हें भी आरक्षण की श्रेणी में रख दिया गया। अगर उन्हें आरक्षण की श्रेणी में न रखकर सामान्य में रखा जाता तो इन सीटों को कम नंबर वाले विद्यार्थी फुलफिल करते। इससे उन्हें लाभ पहुंचता और आगे बढ़ने की ताकत मिलती। आपको मालूम है ओबीसी के जाली प्रमाण पत्र पर विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है? सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती है। सरकार कहती है कि विश्वविद्यालयों में सीटें बढ़ा रहे हैं, ओबीसी को फायदा होगा। जो सीटें हैं आप वहां ओबीसी को हक नहीं दिला पा रहे हैं तो बढ़ाने की बात कैसे करते हैं?

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती रमा देवी : महोदय, दस मिनट का समय है।

सभापति महोदय : दस मिनट का समय नहीं है।

श्रीमती रमा देवी : दसवीं, बारहवीं और स्नातक परीक्षाओं में केंद्र और राज्यों में परीक्षा पास करने का न्यूनतम पैमाना क्या रखा गया है? आप मैट्रिक में 33 परसेंट वाले विद्यार्थी को पास कहते हैं तो ओबीसी छात्रों को प्रवेश देने में दस फीसदी छूट का मानक क्या है? क्या यह मानक सामान्य वर्ग के अंतिम छात्र से कट आफ मार्क्स से कम होगा या फिर सामान्य वर्ग के निर्धारित पात्रता अंकां से 10 फीसदी कम होगा? मंत्री महोदय कट आफ मार्क्स को स्पष्ट करें? इस पर लगे बैरियर को हटाएं और 80 प्रतिशत लोगों को न्याय दें तभी इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में संतुलित विकास संभव हो सकेगा। सरकार कालेज बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। सुनने में आया है कि 20 आईआईटी कालेज खोलने का विचार है जहां विश्व स्तर की पढ़ाई होगी। पूरे देश में 5000 मॉडल स्कूल होंगे जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी के प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। मैं मांग करती हूं कि सरकार ऐसे विद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 15, 7.5 और 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करे।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्रीमती रमा देवी : एक मिनट का समय दें। सरकार कालेज बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है इस कारण कट आफ मार्क्स बढ़ रहे हैं। छात्रों की संख्या बढ़ रही है जबकि कालेजों की संख्या उतनी ही है। माननीय मंत्री मानव संसाधन मंत्री के पद पर हैं, हम मांग करते हैं कि ज्यादा कालेज खोलें। हम समझते हैं कि ऐसा हो जाने से विद्यार्थियों को मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। जगह की कमी के कारण लोग एडमिशन के समय

हड़बड़ा जाते हैं कि कैसे एडमिशन होगा। आपको इसके लिए सोचना होगा। हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी बहुत काबिल हैं।

महोदय, सरकार अच्छी नीयत से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करे तो देश की तकदीर बदल सकती है। इसे पास किए हुए दो साल से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक छः साल से 14 साल के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल रहा है और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए अभिभावकों से बड़ी ज्यादा फीस ली जा रही है। आपका कानून कहां है? माननीय मंत्री जानते हैं कि अनिवार्य शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। यह काम कितना सार्थक है, आप देखें। परीक्षा के सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। बच्चों की प्रतिवर्ष योग्यता नहीं आंकी जा रही है। मेरी राय है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में एक समान शिक्षा, एक समान पाठ्यक्रम को ईमानदारी से लागू किया जाए।

सभापति महोदय : आपको दिया गया समय समाप्त हो रहा है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती रमा देवी : मैं मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि राष्ट्रीय सर्वशिक्षा अभियान की कार्यकारी समिति ने 23.07.2007 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में जिला स्तर सर्वशिक्षा अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था जिसमें सभी सांसद, स्थानीय जिला परिषद् और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ उस जिले से राज्य विधान मंडल के सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान हेतु प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत दो गैर सरकारी संगठनों को नामित करती है। बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम सांसद समिति की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन जिला पदाधिकारी बैठक नहीं करते हैं। इस पर मंत्री महोदय ध्यान दें और ऐसा आदेश दें कि वे बैठक करें और अपने विचार दें।

सभापति महोदय : रमा देवी जी आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : श्री बिभू प्रसाद तराई।

* Not recorded.

16.00 hrs

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Sir, according to Rigveda, "education makes a man self-reliant and selfless"; according to Upanishad, "education makes a man free from all bondages". So, to make the man self-reliant, self-less and to free from all bondages, social, economical and political upliftment of disadvantaged and deprived sections is required. To bring them to the mainstream of society, reservation is required for them. The Bill, the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2010 passed by Rajya Sabha aims to amend the principal Act of 2006, meant for CEI.

There are only two key amendments – reservation for the OBCs in CEI, in tribal areas under Sixth Schedule and amendment is required for fixing time-frame for full implementation of the Act, and the same is being extended. The principal Act had provided reservation for SCs, STs, and OBCs – 15 per cent, 7 ½ per cent and 27 per cent respectively. It had been stipulated that this Act will be implemented within three years and the seats will be increased accordingly and according to the necessity. But it was not implemented within the stipulated period although Central assistance of Rs.1,724.89 crore had been sanctioned by the Central Government for the development of infrastructure for teaching and non-teaching staff and other connected facilities. But the Central Government was unable to implement within the period of three years. So, I urge upon the Government - after passing this Bill – to implement it within the stipulated period, which will be extended up to 2014. Will it be implemented or not?

Another important and significant provision is that to allow the States of North-East to continue their present reservation - which is up to 50 per cent for SC and ST - those States have expressed their inability to reduce their reservation percentage. So, another amendment is required for that. Actually, it is a welcome

measure. According to the population of a particular category in the concerned State, reservation percentage should be determined. On the other hand, Government has taken some progressive steps towards the upliftment of the SCs, STs and OBCs. But till date people belonging to SCs and STs – most of them – have not come to the mainstream of the society due to lack of implementation. Due to lack of implementation, these students belonging to the SCs, STs and OBCs are not able to take admission in educational institutions.

Day by day private educational institutions are growing; private engineering colleges, private medical colleges and private diploma institutes are growing. If reservation will not be implemented in those private educational institutions, reservation would have no meaning at all. Qualitative private educational institutions have been established not only by themselves, there is an assistance of the Central Government and concerned State Governments. They are inspiring private companies and private people to establish private educational institutions. So, if reservation is not implemented in private educational institutions for students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, it will not give them full benefits to the deprived classes and the aims and objects of the Constitution to bring the deprived and disadvantaged groups to the mainstream of the society cannot be achieved. So, I urge upon the Government to implement the Reservation Policy in private educational institutions also and also bring the Reservation Bill of 2004 which is pending in cold storage. I request the Government to introduce it in the House immediately.

Then, in the field of promotion, in spite of the 85th Amendment to the Constitution, till today, in Central Government offices and State Government offices, the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not getting promotions. Therefore, the Government should take a lenient attitude and bring appropriate measures for the upliftment of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012.

Sir, when we talk about reservation, it is very important for us to understand that the framers of our Constitution had adopted the concept of reservation that required that those who are in the reserved category, which includes the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, are given reservation to ensure that they come out of the social, economic and educational backwardness.

So, I would like to congratulate and compliment our hon. Prime Minister, UPA Chairperson Shrimati Sonia Gandhi and also our Minister of Human Resource Development Shri Kapil Sibal who has taken keen a interest and the initiative to amend this Act to include the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes under the purview so that they can compete with students belonging to the General Category. This is a stupendous achievement for students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

There are two key amendments in this Bill. One is the reservation for Other Backward Classes in tribal areas under the Sixth Schedule of the Constitution which is being amended. The second amendment is regarding the time frame for the full implementation of the Act which is being extended.

When we talk about the tribal areas, the principal Act provides reservation of seats for students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the ratio being 15 per cent for the Scheduled Castes, 7 ½ per cent for Scheduled Tribes and 27 per cent for Other Backward Classes.

Now, when we talk about this amendment, this Bill seeks to add a proviso that if there are Central Educational Institutions in a tribal area under the Sixth

Schedule of the Constitution, the State seats in those institutions shall have reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and the quantum of reservation shall be prescribed by the State Governments. The State seats refer to seats allocated for eligible students of the State in which a Central Educational Institution is situated.

The Bill has a provision for cases where the Central Educational Institutions in tribal areas do not have State seats and also when the seats reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes exceeds the percentage specified in the Act. In such cases, the number of seats for the Other Backward Classes would be such that the quantum of total reserved seats is 50 per cent of all seats. If the total quantum of seats reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes exceeds 50 per cent, there shall be no reservation for the Other Backward Classes and the total percentage of reserved seats shall be reduced to 50 per cent in all areas except the specified North Eastern States.

Sir, the second amendment, that is being proposed, is also about timeframe. The principal Act requires institutions to increase the total number of seats in such a manner that the number of unreserved seats (General Category) is not reduced due to reservation for OBCs. This was based on the number of seats available for General Category before the Act was passed. The Bill modifies this to the lower of (a) the number of seats available; (b) the number of seats filled.

The principal Act states that in case the Central Government decides that a central educational institution is not able to increase the seats to its annual permitted strength due to financial, physical or academic limitation, it may allow such institutions to increase the seats within three years. The Bill increases the time period to six years.

The principal Act states that reservation of seats shall begin in 2007. The Bill amends this to 2008. Thus, the timeframe has been extended to 2014 from 2010. Therefore, this amendment will help students of SC, ST and OBC, especially, in the tribal areas.

Sir, the Standing Committee had given a report. Now the report had mentioned clearly and categorically that the Bill seeks to add a proviso that any central educational institution in tribal areas, the State seats should have a reservation for SCs, STs and OBCs. The Committee agreed with the insertion of the State seats which could help the local population of those areas.

Now, the Bill states that in case the SC, ST or both SC and ST reservation taken together exceeds their prescribed limit but are less than 50 per cent then the remaining number of seats, to the extent of a total of 50 per cent reservation, shall be reserved for the OBCs. The Committee agrees with this but acknowledges the problems in the reservation for the OBCs in different States. The Committee had also taken a view that the SC and ST reservation should be taken as a compulsory component and the remaining seats shall be reserved for the OBCs. In cases where the SC and ST reservation exceeds the 50 per cent limit, the Bill states that no seats shall be reserved for the OBCs and the number should be reduced in the following year. The Committee had also taken a view that the Department may decide whether to increase the limit for the States which have data available on this.

Therefore, Sir, I once again take this opportunity to compliment the hon. Minister for bringing about this amendment because I, myself, come from a constituency, which is a Scheduled Tribe area and the tribals, the Scheduled Castes and the other backward classes face a lot of problems when it comes to their educational admissions in Central educational institutions. So, it is very important that we bring this Bill, this amendment. It has already been passed by Rajya Sabha and very soon it will be cleared in Lok Sabha also.

But, I would like to make a suggestion to the hon. Minister that there should be something called as an Equal Opportunity Office in every educational institution so that when there is discrimination against these students who are reserved, who are backward, who are downtrodden, that discriminatory attitude of

the administration and the officers who are there is removed through this Equal Opportunity Office.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित एवं सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत का प्रावधान करता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा-4 यह उपबन्ध करती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित संस्था में लागू नहीं होते हैं।

महोदय, इन सब विसंगतियों एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण प्रावधान ठीक से लागू नहीं होते थे, इसलिए मंत्री जी दोबारा संशोधन विधेयक लेकर आये हैं। महोदय, इस विधेयक का मूल उद्देश्य समाज के पिछड़े, शोषित एवं पीड़ित वर्गों को शिक्षा के माध्यम के द्वारा विकास प्रदान करना है, जो एक बहुत अच्छी बात है। मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं।

महोदय, शिक्षा की जो ग्राउंड रिएलिटी है, जो वास्तविकता है, आज वह ठीक नहीं है। ऐसे कई सरकारी शिक्षा संस्थान हैं, जहां शिक्षकों की कमी है, कमरों की कमी है, वहां प्ले ग्राउंड नहीं है, सैनिटेशन की सुविधा नहीं है। कपिल साहब, अगर मैं अपने संसदीय क्षेत्र साबरकांठा की बात करूं तो वहां जो केन्द्रीय विद्यालय है, वहां शिक्षकों की कमी है। इस कारण वहां के विद्यार्थियों को 75 किलोमीटर दूर हर रोज बस द्वारा मेहसाणा ले जाया जाता था और वापस लाया जाता था। वहाँ उनको हर रोज़ बस द्वारा ले जाया जाता था और वापस लाया जाता था। 150 किलोमीटर की दूरी हर रोज़ बच्चे को ट्रैवल करनी पड़ती थी। इसके कारण शिक्षा प्रभावित हुई है। मेरी आपसे विनती है कि जहाँ शिक्षकों की कमी है, उस कमी को दूर किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो क्वालिटी शिक्षा है, वह दी जानी चाहिए। आज भी सरकारी स्कूलों में पाँचवीं कक्षा का बच्चा तीसरी कक्षा की किताब ठीक से नहीं पढ़ सकता। तो फिर कंप्यूटर उपलब्ध कराने से क्या फायदा? दूसरी तरफ जो अमीरों के बच्चे हैं, वे निजी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं और हमारे स्कूल खाली हो रहे हैं। सिर्फ गरीबों के बच्चे मजबूरन पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल का बच्चा आगे जाकर स्पर्द्धा में निजी स्कूल के बच्चे के मुकाबले पीछे रह जाता है। उसे आगे आने का अवसर नहीं मिलता है। समान शिक्षा के अभाव में शहर का बच्चा केजी, नर्सरी और बालमन्दिर के द्वारा आगे बढ़ सकता है जबकि गाँव का बच्चा आँगनवाड़ी के माध्यम से मिड डे मील की खिचड़ी खाता हुआ आगे बढ़ता है जो बाद में मनरेगा के

लिए मज़दूर बनकर रह जाता है। मेरी मांग है कि सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और हरेक स्कूल में नैतिक शिक्षा, मौरल एजुकेशन का प्रावधान करना चाहिए। सभी स्कूलों की अच्छी मॉनीटरिंग होनी चाहिए।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Mr. Chairman, Sir, I welcome the amendments made in the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Act 2006 because the amendment is intended to enhance the number of seats reserved for the SC, ST and OBC students in higher educational institutions. I take this opportunity to congratulate the UPA Government in general and hon. Minister in particular for taking the brave step in socializing higher education in the country.

Social inequality has been the major challenge faced by the Indian society for a long time. In order to dismantling inequality and bringing justice, our Governments since Independence have taken various initiatives. Appointment of the first Backward Classes Commission in 1953 was aimed at to study the backwardness of certain communities in the country. The Commission identified three major reasons for their backwardness. They are, respectively, a degraded social status, lack of education, under-representation in the civil service and secondary and tertiary sectors. Thereafter, various Governments appointed various bodies to study the social backwardness in Indian society, and all such bodies underlined that the socio-economic status of certain communities remain in a pathetic condition. In order to uplift the marginalised communities, all these Committees recommended for a positive discrimination or reservation for opening up opportunities for the vulnerable communities. As we know, education plays a major role in dismantling social inequalities.

I am happy to state that the UPA Government initiated various steps to universalize education in the country. Through the 93rd Constitution Amendment Act 2005, the Government made it mandatory that the SC, ST and OBC students are availed reservation in all educational institutions including the private and unaided intuitions.

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2005 or Right to Education (RTE) Act is to ensure free and compulsory education to each and every child in the country between the age of six and fourteen years. Through this legislation, the Government unequivocally declared that elementary education is a fundamental right to all human beings in the country. Through this legislation, India has become a part of the group of a few countries where Right to Education is a fundamental right.

The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012 is in continuation of the UPA Government to bring social justice in the education sphere. It is because, it seeks to increase the number of seats for SC, ST and OBC students in higher educational institutions. Each and every Central Educational Institution is required to reserve 27 per cent seats for the OBC students, 15 per cent for the SC students and 7.5 per cent for the ST students and also is required to expand their capacity over a maximum of six years from the academic session 2008-09. The amendment Bill also seeks to provide a balance between the State-level policy and the national policy on reservation.

Sir, the Government recently established 12 Central Universities in various States of the country. During its establishment the hon. Minister Shri Kapil Sibalji unequivocally declared that each Central University has jurisdiction across its concerned State. However, many Central Universities located in the remote areas are not accessible to the students in other parts of the concerned State. In such a condition, the benefits of Central University will not incur to the target group. There is a provision to set up Regional Campuses and Constituent Colleges affiliated to the Central Universities.

Therefore, I request the hon. Minister and the Government to initiate positive steps in this regard.

SHRI VIRENDER KASHYAP (SHIMLA): Thank you, Chairman, Sir. I have risen to support this Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012.

As mentioned by hon. HRD Minister Shri Kapil Sibalji, there are certain amendments which have been brought in this Bill. इसमें सैक्शन दो, तीन, चार, पांच और छः में बताया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि कपिल सिब्बल जी एजुकेशन में नये-नये रेवोल्यूशनरी स्टैप्स ला रहे हैं। आपने इस बात का खास ध्यान रखा है कि एमेंडमेंट्स के माध्यम से हमारी डिप्रेस्ड कम्यूनिटीज़- शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों को एडमिशन में लाभ पहुंचे। यह बहुत अच्छी बात है। आज जब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एजुकेशन में सुधार हो और क्रान्तिकारी स्टैप्स लाए जाएं तो इसके लिए हमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर को याद करना है, जिन्होंने कहा था- शिक्षत बनो। किसी भी समाज को ऊपर उठाने का बेस शिक्षा है। He also told that education was first and foremost commandment of Dr. B.R. Ambedkar and he called it as "milk of the lioness". जब तक हम लोगों को एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक हम उनको आगे नहीं ला सकते हैं और उनके बैकवर्डनेस और फारवर्डनेस के क्राइटेरिया को मैय्यर नहीं कर सकते हैं।

There were so many social reformers and Princely States of Kolhapur, Baroda and Mysore, who had realised the need of education and they rendered the need of education and they rendered their contribution in providing educational facilities to the untouchables and other backward classes.

Today, I want to say one thing that in 1944, the then Ministry of Education prepared a Scheme of Post-matric Scholarship for the students belonging to Scheduled Castes and it was extended to Scheduled Tribes in 1948. Though, after independence, specific guidelines to the States to take specific care of the educational and economic conditions of the weaker sections of the society belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were given under Article 46, yet there was no provision to provide reservation in admissions in educational institutions under the Constitution in the beginning.

The Government of Madras made rules for reserving seats for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. However, the

validity of the said rule was challenged in the State of Madras versus Shrimati Champakam Dorairajan, which was declared as unconstitutional by the hon. Supreme Court. To overcome the situation arisen after the Court Judgement, it was the 'First Amendment' in the Constitution in 1951 which was passed by inserting Clause (4) in Article 15. It empowered the State to make special provision for the advancement of socially and educationally backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Today, I want to say one thing here that in 1951, our literacy rate was 18.3 per cent which has come up to 74.4 per cent in 2011. मैं यह कहना चाहता हूं कि साक्षरता दर ऊपर बढ़ी है। यह इसी वज़ह से बढ़ी है कि हमने शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा सुधार लाने का प्रयास किया है। आज अगर हम देखें तो ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशियो 12.5 प्रतिशत गया है जबकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में हम चाहते हैं कि यह 21 प्रतिशत तक चली जाए। इसके लिए आप जो कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। परन्तु, मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा हम देंगे।

सभापति जी, आज हम देख रहे हैं कि जब आरक्षण की बात आती है तो समाज में कुछ लोग इस बात को उठाना शुरू कर देते हैं कि यह गलत है। परन्तु, हमें आज उन चीज़ों को आज मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि जो सैंकड़ों नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक डिप्रेस्ड रहे, आज भी उनके साथ अन्याय होता है। शिक्षा संस्थानों के माध्यम से अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी को ज्यादा सुविधाएं मिलेगी तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ-साथ शिक्षा में भी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे।

महोदय, मैं तीन बातें और कहना चाहता हूं। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप केन्द्रीय विद्यालयों में सांसदों के लिए छः सीटें करने जा रहे हैं। मैं शिमला संसदीय क्षेत्र का हूं। वहां पर चार केन्द्रीय विद्यालय हैं। मुझे उनमें कुल दो सीटें ही दी जाती हैं। हमारे पास 100-150 आवेदन आ जाते हैं और हम कुल दो सीटें ही दे सकते हैं। इस कारण, सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं। अगर इसमें आप कम से कम दो सीट प्रति विद्यालय की बढ़ोतरी करते हैं तो यह ज्यादा बेहतर है।

महोदय, केन्द्रीय विद्यालय में कभी संसद सदस्य को बुलाया नहीं जाता है। अगर उसमें भी आपके निर्देश चले जाएं तो वह ज्यादा अच्छा होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में आपकी तरफ से जो निर्देश है, वह यह है कि वहां का जो डी.एम. है, डी.सी. है, वह बैठक की अध्यक्षता करता है और जो वहां का मेम्बर

ऑफ पार्लियामेंट है, जो अठारह-बीस लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वह वहां पर उनके अन्डर काम करता है। मैं चाहता हूं कि सांसद उसका चेयरमैन होना चाहिए। इसमें आप जरूर सुधार करें कि ऐसा होना चाहिए।

महोदय, आई.आई.टी. और एम्स में जो दलित विद्यार्थी हैं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ वहां पर कुछ बच्चे इतना अन्याय करते हैं कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी है। वहां कई बच्चों ने आत्महत्या की हैं। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस पर भी माननीय मंत्री जी नोटिस लेंगे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): `Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

In this Bill, there is a proposal to withdraw the advantages or right of the tribals given in the Sixth Schedule area. Especially in Tripura, there is one institution, NIT. This institution is situated in the Sixth Schedule area. As per my information, it is the only one institute in the country, where the reservation policy applied is based on the State population percentage. In our State, the percentage of tribal population is 31 per cent; in respect of SC, it is 16 per cent. In this way, we have this reservation policy. But after passing this Bill, I have an apprehension as to whether these facilities will remain there or the tribal people of Tripura will be deprived of these facilities. This is my apprehension. If it is there, then it is all right. If it is not, I have an objection on this.

Sir, here it is proposed to omit Section 4, which is only for the Scheduled Tribes in relation to the Sixth Schedule area. So, I would request the hon. Minister to explain what the exaction position is.

MR. CHAIRMAN: Now, I would request the hon. Minister to give his reply.

SHRI KAPIL SIBAL: *Sabhapati Mahodaye*, first of all, through you, I would like to thank all the distinguished Members of this House who have participated in this debate. I wish to say, at the outset, that education can never be a divisive agenda. Education should not be a divisive agenda because education means empowerment and empowerment of our children results in empowering the nation as the nation moves forward. Therefore, I think, especially in the context of education, there should be no divide between this and that side of the House.

All of us think of our children; all of us want our children to be educated; all of us want our children to be empowered. In fact, I think, the real definition of democracy, to my mind, is not necessarily one vote for each person; it is the ability to give to your children the maximum choices in the classroom. If we are able to give to our children the maximum choices in the classroom, then we will truly be a democratic nation. But the fact of the matter is that we have not been able to do so. It has been for several reasons. There are financial constraints; there are rigid positions within society; and there is opposition in society. Unless there is a consensus within the House, we will not be able to take this agenda forward.

So, my first request to the distinguished Members of this House is that in a debate on education, let us apply our minds together to see how our children can move forward. As far as this Government is concerned, I can assure you that we are committed; we are totally committed to the empowerment, especially of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the other backward communities. There can be no doubt about that.

Just think of it. It is we who brought about the 93rd Constitutional Amendment; it is we who passed it; it is we who brought about the Right to Education Act. Who imagined that under the Right to Education Act 25 per cent seats in every private educational institution will go to the disadvantaged communities and the deprived communities? Did any Member of this House ever imagine that this would happen? It happened because there was a consensus in the House.

Today, despite the fact that certain interests went to the Supreme Court to challenge this particular provision, we succeeded. It is because the Court also realises that unless the entire community is empowered, especially the weaker sections of our society, India will not be able to move forward. Remember, the challenges to India are enormous. If we have 220 million children going to school, it is only 17 million children who reach college. Just think of it, 200 million children do not reach college. How will a country where 200 million of the 220 million children do not reach college, be ever empowered unless we think together, work together instead of blaming each other? If you say that: "You have not done enough.", I can say: "You have not done enough." But that is not the way to move forward.

I can assure you that in every CABE Meeting, every Education Minister is with me. There has never been a dissension. All Resolutions have been unanimous. Why? It is because we take on board the concerns and the aspirations of every segment of society. And, that is what we wish to do in this House.

What are we trying to do through this Bill, Sir? All we are trying to say is this. There are certain areas. Take, for example, an NIT in Tripura or an NIT in any other area. In a NIT, there are All India seats and there are State seats. We have said that in the State's seats, whatever Reservation Policy was being followed for the last many years, should be protected. It may be above 50 per cent, but it should be protected. That is the purpose of this Amendment. And, within the 50 per cent All India seats, the Reservation Policy will apply, which is 15 per cent, 7.5 per cent and 27 per cent. That is the intent of this legislation.

If we have had a University, which is giving 50 per cent reservation of seats to the Scheduled Castes and scheduled tribes, Dr. Babasaheb Ambedkar University, let that be protected. Let not those, who are vested with certain rights through statute or otherwise, be deprived of those rights. That is the heart of this legislation. So, it is consistent with the original intent of the original Act of 2006.

Through you, Sir, I wish to inform the House that we have made great strides; this nation has made great strides. We always long to self-flagellate ourselves and then say that we have done noting; you have done nothing; we have never been able to achieve anything. Let me give you just a few examples to show you as to how great strides this nation has made. I give you some figures.

What is the percentage of Scheduled Castes in Allahabad University? Against the requirement of 15 per cent, it is 18.33 per cent. I am giving you the figure as on 31-3-2011. It is the latest figure. It is 18.33 per cent. What is the representation of Scheduled Tribes? It is 0.62 per cent. What is the representation of OBCs? It is 36.75 per cent. Are we doing injustice to the OBCs? Are we not trying to achieve what we have promised under the Constitution for the people of India? I give you another example. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Let him speak, please.

SHRI KAPIL SIBAL: Let me tell you that General Category is excluded. I am giving you the figures.… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मंत्री जी, वहां के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको बड़ी दिक्कत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम आया, मैं तब यह कह रहा हूं।

सभापति महोदय : मंत्री जी, चेयर को संबोधित करें।

श्री कपिल सिब्बल : यही विवाद मैं नहीं चाहता हूं। आप अगर सब्र से बात मेरी सुनेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। मैं इस समय बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं फैकेल्टी की बात नहीं कर रहा हूं। …(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उनकी बात सुनिए।

श्री कपिल सिब्बल : आज आपने कहा कि यह सरकार और कोई भी सरकार ईमानदारी के साथ आगे नहीं बढ़ती है।

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

श्री कपिल सिब्बल : जहां तक स्टूडेंट कम्युनिटी का सवाल है, बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं और सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। …(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शांत हो जाइए।

श्री कपिल सिब्बल : मैं आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी का आंकड़ा देता हूं। The Scheduled Caste students are 20.12 per cent; Scheduled Tribes are 10.19 per cent; and OBCs are 26.58 per cent. मैं आपको बीएचयू का उदाहरण देता हूं। The Scheduled Caste students are 13.17 per cent; Scheduled Tribes are 4. 15 per cent; and OBCs are 22.84 per cent.

So, by and large, the community is moving forward. By and large, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the OBCs through pro-active actions on part of various Governments have moved forward. We should be encouraged by them. We should, in fact, say that due to the collective efforts of Members of this House that have allowed this state of affairs to happen.

कई लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कही। खासतौर से गणेश जी ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में याचिका डालनी चाहिए थी। असलियत तो यह है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंकड़े निकले और लगा कि किसी ओबीसी को एडमीशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो कट ऑफ प्वाइंट था, वह 99 परसेंट या 98 परसेंट है, तो मैंने ही अपने मंत्रालय को आदेश दिया कि आप जल्दी से याचिका डालिये। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालिए और कहिए कि इस हिसाब से तो किसी ओबीसी को एडमीशन मिलेगा ही नहीं। हमने याचिका डाली और हमने सुप्रीम कोर्ट में यह बहस की जो दस प्रतिशत की बात है, यह जब जनरल कैटेगरी के लोएस्ट मार्क्स आ जाएं, उसके नीचे गिनिए और नीचे चलते जाइए, जब तक 27 प्रतिशत पूरा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी और ऐसा ही हुआ। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : कहने का मतलब यह है कि कोई आरोप लगाता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इससे कोई फायदा नहीं है। ...(व्यवधान) हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। फिर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात की। उनको हमने बुलाया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ओबीसी लड़का या लड़की हो, उसे एडमीशन न मिले। आप के पास वैकेन्सिज हों और उसको वापस की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। कुछ वैकेन्सिज फिर भी रहीं लेकिन उसका रिजन यह नहीं था कि ओबीसी को ऐडमिशन नहीं मिली। कई बार ओबीसी बच्चा चाहता कि मुझे ऐडमिशन इकोनॉमिक्स, ऑनर्स में मिलना चाहिए। यहां मुझे इकोनॉमिक ऑनर्स में ऐडमिशन नहीं मिलेगा तो मैं कहीं और इकोनॉमिक ऑनर्स कर लूंगा। कोई बच्चा चाहता है कि मुझे इस कॉलेज में ऐडमिशन मिलना चाहिए दूसरे कॉलेज में मैं नहीं जाऊंगा। वैकेन्सिज की पोजिशन रही हैं तो इस वजह से

रही हैं। किसी ओबीसी बच्चे या बच्ची को हमने वापस नहीं किया है। कहने का मतलब है कि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो वंचित लोग हैं उनको पूरी तरह से शिक्षा का एक मौका मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let the Minister reply, please.

श्री कपिल सिब्बल : कहने का मतलब है कि चाहे वह दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो ओबीसीज, एसटीज और एससीज हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए और उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए। जहां तक उच्च स्तर की शिक्षा का सवाल उठा है और समान्य शिक्षा की बात कही है और गणेश जी ने यह बात रखी है और कई माननीय सदस्यों ने बात कही। सामान्य शिक्षा कैसे होगा? इस देश में जब 22 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। जब तक वे बारहवीं पास करेंगे और उच्च विश्व विद्यालय में जाएंगे तो हमें कितने विश्वविद्यालय चाहिए। आज के दिन 22 करोड़ बच्चों के लिए 604 यूनिवर्सिटीज है। 1.7 करोड़ बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं उनके लिए 604 यूनिवर्सिटीज हैं और 35 हजार कॉलेजेज हैं। यह संख्या बढ़ कर तीस परसेंट जब हमारा जीईआर हो जाएगा तो हमें लगभग आठ नौ सौ और यूनिवर्सिटीज चाहिए और 40-45 हजार कॉलेजेज चाहिए। ये कहां से आएंगे। कौन सी सरकार दे पाएगी? उसके लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ 11-12 परसेंट चाहिए और लगातार दस साल के लिए चाहिए। ताकी हमारे पास इतना पैसा हो कि हम शिक्षा की संस्थाएं बनाएं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let the Minister reply, please.

श्री कपिल सिब्बल : निश्चित रूप से हमें प्राइवेट सेक्टर का साथ लेना होगा। उनको कहना होगा कि आप हमारे साथ भागीदारी करिए चाहे पीपीपी बोर्ड में और आप शिक्षा में इन्वेस्ट कीजिए। अथवा क्या होगा कि बच्चे बारहवीं तो पास करेंगे लेकिन हमसे सवाल पूछेंगे कि विश्वविद्यालय कहां हैं? कॉलेजेज कहां हैं? उसमें भी सहमति करनी पड़ेगी। कॉलेजेज की कमी तो है लेकिन सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि 800 या 900 यूनिवर्सिटीज हम बना दें। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि 45 हजार कॉलेजेज बना दे जो जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि हमें इकट्ठा हो कर विचार करना पड़ेगा। अपने आने वाले बच्चों के लिए उनके सपनों के लिए हमें इकट्ठा बैठ कर क्या करना है? हम जो हायर एजुकेशन में जो संशोधन लाए हैं वह इसी संदर्भ में लाए हैं। Accreditation Authority बिल कल आने वाला है। वह क्लवालिटी की बात करता है। आज कल प्राइवेट संस्थाएं क्या कर रही हैं? वे दो कमरे में यूनिवर्सिटी चलाती हैं। वहां न कोई अध्यापक है न कोई मेज और कुर्सी है। ...(व्यवधान) नेशनल क्रेडिटैशन ऑथरिटी बिल के द्वारा हम उस पर रोक लगाना चाहते हैं और क्वालिटी कम्पलसरी करना चाहते हैं। अक्रेडिटैशन कम्पलसरी करना चाहते हैं लेकिन जब तक आप का साथ नहीं मिलेगा तब तक कैसे होगा? एजुकेशन

मैल-प्रैक्टिसेज बिल किस के लिए ला रहे हैं? ये जो डिस्क्रिमिनैशन हो रहा है उसमें हमने प्रावधान रखा है कि कोई जात-पात के द्वारा डिस्क्रिमिनैशन करेगा वह एजुकेशन मैल-प्रैक्टिस होगी और अक्रेडिटेशन ऑथरिटी के अंतर्गत ऐसा कोई करेगा तो उसकी क्वालिटी के ऊपर आंच आएगी। ये सब प्रावधान रखने हैं। लेकिन आप का सहयोग चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let the Minister reply.

श्री कपिल सिब्बल : कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि ...(व्यवधान) हम 800 या 900 यूनिवर्सिटिज बना लें। आपका सहयोग चाहिए। जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं खासतौर से शिक्षा के संबंध में आपके सहयोग के साथ वह पारित होंगे तो वह संशोधन जरूर आएगा। मैं समझता हूं कि संशोधन के साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल रहेगा। कुछ लोगों ने यह कहा कि अवेलेबल सीट्स और ऐक्चुअल सीट्स का क्या मतलब है? That is quite clear. Under clause 5, we are trying to say that the general seats available before the implementation of the reservation, those general seats must be kept intact based on either availability of seats or actual seats. So, that applies to General Category. Otherwise, as far as the reasons for delay are concerned, I have already explained earlier the reasons for delay, namely, there are some infrastructure issues. I could give you some figures as to how much money has been asked for. We have released all the moneys which have been asked for by the universities. They have not been able to spend those moneys, but as far as the Government is concerned, we have not held back any money. I can give you those figures, but there is no need to do that.

Mr. Chairman, Sir, I am very grateful to the distinguished Members of this House who have participated in this debate and supported us. I pray and commend this Bill to the distinguished Members of this House. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill to amend the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.47 hrs

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2012

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (DR. C.P. JOSHI): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

सभापति महोदय, हमने राज्य सभा में 15 मई, 2007 को मोटर व्हीकल्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया। राज्य सभा ने उसे स्टैंडिंग कमेटी को रैफर किया। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 28 अप्रैल, 2008 को दी। स्टैंडिंग कमेटी की कुल 29 रिकमैंडेशन्स थीं। उनमें से जो रिकमैंडेशन हमारे मंत्रालय से संबंधित थीं, उन सबको हमने इनकॉरपोरेट किया। There were six recommendations जो हमारे मंत्रालय के अलावा दूसरे मंत्रालयों से संबंधित थीं, उन्हें हम इनकॉरपोरेट नहीं कर पाए। उन मंत्रालयों से हम इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, हम जो बिल लेकर आए हैं, उसमें मोटे तौर पर जो प्रोविजन्स हैं, वे हैं -

1. To enhance penalties, wherever considered necessary, for violation of provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 with a view to ensure road safety and discipline;
2. To provide for civil penalty in addition to the existing criminal liability. The amount realised by way of civil penalty shall be credited to the Solatium Fund which is to be used for the accident victims;
3. To confer more powers to States and Union Territories;
4. To make regional transport authorities more responsive in discharge of their duties and responsibilities;
5. To remove anomalies and rationalise provisions for emerging new needs and requirements;
6. To provide for a rationale and streamlining of provisions dealing with payment of appropriate compensation to road accident victims; and
7. To provide for settling of the claims directly by the insurer with a view to reduce the hardships of the accident victims and accelerate disposal of cases relating to compensation claims.

मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि यह बात सही है कि हमने वर्ष 2007 में इस बिल को मूव किया। इस बिल को मूव करने में स्टैंडिंग कमेटी की रिकमैंडेशन के बाद आज हम इसे वर्ष 2012 में ला रहे हैं। इसमें डिले हुआ, इसे मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। जब वर्ष 2007 में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय सुंदर कमेटी की रिकमैंडेशन पर सेफ्टी के कारण दूसरा बिल मूव किया था। स्टैंडिंग कमेटी ने यह निर्णय किया कि जो बिल रैफर किया गया है, पहले उसे पास करें, उसके बाद दूसरा बिल लेकर आएं। यह जानते हुए कि इस बिल में आपकी आकांक्षाएं और अपेक्षाओं को इनकॉरपोरेट करने का स्थान है, हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अभी केवल मात्र राज्य सभा की स्टैंडिंग कमेटी की रिकमैंडेशन के आधार पर राज्य सभा ने जो पास किया, उसे हम यहां लेकर आए हैं। लेकिन बहुत जल्द ही सुन्दर कमेटी, जो वर्ष 2009 में एप्वाइंट की गयी, उसकी रिकमैंडेशन हमें मिल गयी है। चूंकि यह सब्जैक्ट कंक्रीट लिस्ट में है, इसलिए स्टेट्स की भी हमें इस बारे में राय लेनी है। स्टेट्स की राय आने के बाद हम एक कम्प्रीहैन्सिव बिल लायेंगे। कम्प्रीहैन्सिव बिल में हम वे सब चीजें एड्रैस कर पायेंगे, जिनके संबंध में हमें स्टेक होल्डर्स ने सजेशन्स दिये हैं, चाहे वह अलग-अलग स्टेट्स के मंत्री हों, चाहे मैनुफैक्चरल में एसोसियेशन के लोग हों, दूसरे स्टेक होल्डर्स या एनजीओज हों। उन सबने हमें सजेस्ट किया कि एक कम्प्रीहैन्सिव बिल की आवश्यकता है। मैं भी यह महसूस करता हूं कि एक कम्प्रीहैन्सिव बिल की आवश्यकता है। आज हमारे देश में काफी एक्सीडैंट्स हो रहे हैं। लोगों को इस बारे में चिंता है कि कैसे हम रोड एक्सीडैंट के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से मेजर्स लें, जिससे रोड एक्सीडैंट कम हों। यह आवश्यक है कि जिस तरह से एक्सीडैंट्स की फिगर्स आ रही हैं, उसमें नैशनल हाईवे की रोड एक तरफ है, स्टेट की रोड एक तरफ है और गांव की रोड एक तरफ है। जो फिगर ऐवेलेबल है, वह यह इंडीकेट कर रही है कि गांव की रोड में एक्सीडैंट्स ज्यादा हो रहे हैं, बनिस्पत एनएचएआई की रोड में कम एक्सीडैंट्स हो रहे हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमैंट को, पंचायत में जो पीएमजीएसवाई के तहत रोड बन रही है, उन रोड्स के अंदर हम एलाइनमैंट फिक्स नहीं करते। पीएमजीएसवाई की सड़क पर हम कम्पैनसेशन नहीं देते हैं और जो एग्जिस्टिंग एलाइनमैंट है, उसी पर सड़क बना रहे हैं। जिस तरह से आटोमोबाइल में क्रांति आ रही है, उससे ज्यादा एक्सीडैंट्स हो रहे हैं। इन सब चीजों की चिंता करते हुए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब हम कम्प्रीहैन्सिव बिल लायेंगे, माननीय सदस्य जैसे सजेशन्स देंगे, उनको भी हम इनकारपोरेट करेंगे और सुन्दर कमेटी की रिकमैंडेशन के आधार पर अलग-अलग स्टेट्स जो हमें रिकमैंडेशन दे रही है, उन सबको इनकारपोरेट करके एक कम्प्रीहैन्सिव बिल लायेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

आज हम जो बिल लेकर आये हैं, यह बिल्कुल कनफाइन्ड है। राज्य सभा की जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें हमने बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसकी जो रिकमैंडेशन्स है, उनको इनकारपोरेट करके हम यह बिल लेकर आये हैं।

सभापति महोदय, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को कंसीडर किया जाये।

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

> "That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे मोटर व्हीकल अमेंडमैंट बिल, 2012 पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी के राज्य राजस्थान से ही आता हूं। मंत्री जी अभी बता रहे थे कि इस बिल को लाने में हमें पांच साल लगे। वर्ष 2007 में बिल आना चाहिए था और आते-आते भी पांच साल लग गये और वर्ष 2012 में हम यह बिल ला रहे हैं, फिर भी यह बिल कम्प्रीहैन्सिव नहीं है। यह मंत्री जी अभी स्वीकार कर रहे थे। मैं अभी बैठा हुआ सुन्दर कमेटी की रिपोर्ट ही पढ़ रहा था। सुन्दर कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मंत्री जी खुद ही ऐक्सैप्ट कर रहे हैं कि उस कमेटी की बहुत सी ऐसी रिकमैंडेशन्स हैं, जो इस बिल में नहीं हैं। अब इस बिल में जो आया है, उस संबंध में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल के माध्यम से इन्होंने पैनल्टीज बढ़ायी हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक रुल्स का वायलेशन करेगा, जिसमें ड्राइवर भी हो सकता है, मोटर मालिक भी हो सकता है, जो माल बेच रहा है, कंसाइनर भी हो सकता है। कोई भी रुल्स का वायलेशन करेगा, तो इसमें इन्होंने पैनल्टीज बढ़ायी हैं। दूसरा, स्टेट गवर्नमैंट को इन्होंने रेगुलेशन बनाने के लिए इम्पावर किया है कि कांट्रेक्ट कैरियर के बारे में बता दीजिए। इन्होंने टैस्टिंग स्टेशन बनाने की बात कही है। एक इन्होंने आटोमोबाइल एसोसियेशन्स को लाइसेंस देने के लिए ऑथोराइज किया है, जैसे आरटीओज जिलों में लाइसेंस देते हैं, वैसे ही इन्होंने आटोमोबाइल एसोसियेशन को भी ऑथोराइज किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि रोड पर मोटर गाड़ी यानी वाहन होता है, एक उसको चलाने वाला ड्राइवर होता है। उसके साथ तीन-चार आदमी होते हैं, जिसमें खलासी या टेक्नीकल, नॉन टेक्नीकल, स्किल्ड और अनस्किल्ड कुछ आदमी कह सकते हैं। फिर जब एक्सीडैंट होता है, तो पैसेंजर के सम्पर्क में वह वाहन आता है। माननीय मंत्री जी ने एक्सीडैंट के कारणों का जवाब देते हुए बताया था कि प्रतिदिन मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या, उनकी बढ़ती स्पीड, अकुशल वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करते रहना, शराब पीकर वाहन चलाना, यातायात मार्ग-निर्देशों की कमी, गलत तरीके से ओवरटेकिंग किये जाने के कारण, पैदल यात्रियों की गलतियों के कारण, वाहन चालक की लापरवाही आदि ऐसे कुछ प्रमुख कारण मेरे ही एक क्वेश्चन के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कही है। ये सारी चीजें इसमें एड्रेस नहीं की गयी हैं। इसका मतलब है कि मंत्रालय को पता है कि इसमें ये कमियां हैं जिनके कारण एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2007 में डेथ का आंकड़ा 1,14,444 था, वह वर्ष 2009 में बढ़कर 1,25,660 हो गया। यह 2009 का आंकड़ा है, हम 2012 में बैठे हैं। इसलिए आप जवाब देते समय यह जरूर बताइए कि 2012 में यह आंकड़ा कहां तक गया और इसमें मास कैजुअल्टी के कितने केसेज हुए? मैं प्रतिदिन देखता हूं कि

मास कैजुअल्टी के बहुत से केसेज होते हैं, 10 आदमी मर गए, 15 मर गए, यह आम बात हो गयी है। रोड पर वाहन के सम्पर्क में आते हैं ड्राइवर, पैसेंजर और उनके साथ ही कुछ जानवर जैसे नीलगाय, ऊंट, हिरण आदि। सुंदर कमेटी की रिपोर्ट की बात मंत्री जी ने की। मोर्थ की रिपोर्ट भी इन्होंने ही बनाई थी और इन्हीं के विभाग की थी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज। इन्होंने खुद माना है कि शराब पीकर वाहन चलाने से भी एक्सीडेंट होता है। यह जो बिल लाए हैं, उसमें इसकी मात्रा दी गयी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें कहा गया है कि 60 से 120 मिलीग्राम पिएंगे, वह कितने पैग का होता है, मुझे पता नहीं है। मेरे ख्याल से किसी आदमी को एक पैग में ही नशा आ जाता है और किसी को चार पैग पीने पर भी नशा नहीं आता है।...(व्यवधान) मैं शराब पीता नहीं हूं और सतपाल जी महराज बैठे हैं, ये भी शायद शराब नहीं पीते हैं, लेकिन यह मात्रा कहां से आई?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं पीते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मुझे सीखना नहीं है। मुझे इसका अनुभव नहीं है कि एक पैग पीने से नशा आता है या चार पैग पीने से आता है। इन्होंने इसमें 60 से 120 मिलीग्राम मात्रा लिखी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई शराब पिया हुआ है, तो उसने शराब पी हुई है, इसमें मात्रा की बात कहां से आती है। अगर उसने एक पैग पिया है, तो भी दण्डित होगा और अगर चार पैग पिया है, तो भी दण्डित होगा।...(व्यवधान) इसमें से मात्रा वाली बात हटा दीजिए। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाता है, तो दण्डित किया जाएगा, यह बात इसमें क्लियर कीजिए। यह बात टेस्ट में आ जाएगी कि उसने शराब पी है, लेकिन अब वह बच जाएगा। अगर उसे 60 मिलीग्राम से कम पी होगी, तो आपके इस एक्ट में वह बच जाएगा। एक्सीडेंट भी कर लेगा और बच भी जाएगा।...(व्यवधान) वह खुद ही कह देगा कि मैंने थोड़ी सी पी है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : समाप्त कीजिए। आपको बोलते हुए सात मिनट हो गए हैं, और भी वक्ता बोलने वाले हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : इंडियन फाउण्डेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कॉमन कैरियर एकाउण्टेबल फॉर ओवरलोडिंग के बारे में चर्चा की। इन्होंने उन सिफारिशों को भी इसमें पूरी तरह से लागू नहीं किया है। ओवरलोडिंग को जज करने के बारे में आप नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड में भी गए। मेरा एक सुझाव है कि क्या हम इसमें इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते। हमारे यहां टोल टैक्स है, यदि एक पब्लिक कैरियर, जो अगर बीकानेर से दिल्ली तक आएगा, उसको दस टोल टैक्स के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। हमें भी गुजरना पड़ता है, आम आदमी को भी गुजरना पड़ता है। क्या हम इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक जगह उसकी रसीद कट जाए दस आदमियों की दिल्ली तक ठेका टोल टैक्स का हो, तो वे उस रसीद का पैसा आपस में बांट लें। ऐसी व्यवस्था हम इनफार्मेशन

टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्यों नहीं कर सकते हैं? विदेशों में ऐसा है। हम विदेशों से देखकर कुछ सीखने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? हम वहां से भी कुछ सीख सकते है।

17.00 hrs.

मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हम सिंगापुर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि टोल टैक्स पर ही वजन हो जाता है, हमारे यहां लोड के लिए ट्रक को कांटे पर ले जाना होता है। अगर हम भी टोल टैक्स पर वजन तौलने की मशीन लगा दें तो उससे यह होगा कि वजन भी वहीं हो जाएगा और टोल टैक्स भी एक ही जगह रसीद काटकर बाकी जगह उसे डिस्ट्रिब्यूट करने का सिस्टम लागू हो जाए, तो इससे ट्रकों के आने-जाने के समय में और डीजल में भी काफी बचत होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, उसको भी शायद मंत्री जी ने ध्यान में नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने दलबीर सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा के मामले में कहा कि तीन चीजों पर ध्यान रखिए। पहली चीज इंफोर्समेंट है, लोग ड्राइव करते हुए मोबाइल का यूज़ करते हैं, बात करते हैं, शराब पीकर वाहन चलाते हैं। ये कहते हैं कि राज्य सरकार इंफोर्स करेगी। कैसे इंफोर्समेंट होगा, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसलिए पहले तो इंफोर्समेंट करें। दूसरी चीज है गुड इंजीनियरिंग करें। ड्राइवरों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। आज आईआईटी और पोलोटेक्निक में ड्राइवर ट्रेनिंग में ट्रेड नहीं है। वहां पर ट्रेड घोषित करें और तीसरी ड्राइवर्स को एजुकेशन दीजिए, जनता को जागरूक करें। इसलिए ये जो तीन चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं इन्हें भी आप साथ ले सकते हैं।

वाहन खराब होने पर रोड पर खड़ा रहता है। सामान्यतः जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड पर ट्रैक्टर चलता है, जुगाड़ चलता है, उनकी बैक लाइट नहीं होती है। यह इंफोर्समेंट मंत्रालय कम से कम हाइवे पर तो कर सकता है। यह राज्य सरकार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये चीजें सबसे बड़ा कारण एक्सीडेंट का बनती हैं। इसमें चाहें तो आप एनजीओज़ का भी साथ ले सकते हैं।

आपने ड्राइवर्स के लिए आठवीं पास की शर्त रख दी। ड्राइवर तो टेक्नीकल है, उसके लिए आठवीं पास क्यों किया। टैक्सी चलाने वाले के लिए भी आठवी पास जरूरी कर दिया, जबकि इसमें तो पांचवी पास भी कर सकते थे। इस संशोधन में तो सुंदर कमेटी कहीं आड़े नहीं आ रही थी?

मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं। सांसदों के लिए लाल बत्ती का मुद्दा है। यह मुद्दा कमेटी में भी गया, उसने एप्रूव करके इनके मंत्रालय को भेज दिया। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि संसद की कमेटी ने जब एप्रूव करके इनके यहां भेज दिया तो फिर ये किस चीज की जांच कर रहे हैं। इसे तो आप लागू कर सकते हैं। इसे लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर आपको लगता है कि दिल्ली में लागू नहीं कर सकते तो दिल्ली के वीआईपी एरिया छोड़ दें।...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): हालांकि समय लगाया, लेकिन मंत्री जी मान गए हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको जब मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहें। अभी आप बैठ जाएं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : जिले में एडीएम भी लाल बत्ती लगा कर घूम रहा है और भी छोटे-मोटे अधिकारी लगाकर घूम रहे हैं और हम सांसद जो 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर वह लाल बत्ती लगाकर घूमेगा तो इन्हें क्यों आपत्ति हो रही है, यह मेरी समझ में नहीं आता। हमें संसद में आना पड़ता है और अगर टोल टैक्स आए तो हमें बिना लाल बत्ती के लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कमेटी ने भी रिकमंड कर दिया है इसलिए आप भी इसे मंजूरी दें।

17.04 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

आपने बाइक की बात कही है और 50 सीसी की कंडिशन लगाई है। इसके अलावा 16 साल की उम्र होनी चाहिए और पैरेंट की अनुमति की कंडिशन भी है। मेरा यह कहना है कि इसमें 50 सीसी बाइक की कंडिशन हटा देनी चाहिए, क्योंकि आजकल के लड़के 50 सीसी वाली बाइक न के बराबर ही खरीदते हैं। अपनी कोचिंग के लिए या कालेज में जाने के लिए सब बच्चे 50 सीसी के ऊपर वाली बाइक ही खरीदते हैं इसलिए इस कंडिशन को संशोधन लाकर हटा देना चाहिए। इसके अलावा पेरेंट की कंडिशन को आप रखना चाहें तो रख सकते हैं और हटा भी सकते हैं। वर्तमान में आपने लाइट मोटर व्हीकल चलाने के लिए 18 साल की उम्र पर लाइसेंस देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आप 20 साल में लाइसेंस देते हैं। एक शर्त आपने लगा रखी है कि लाइट मोटर व्हीकल 18 साल में लेने के बाद, एक साल बाद वह ट्रांसपोर्ट व्हीकल की एप्लीकेशन दे सकता है लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपने 20 साल का समय कर रखा है, उसे तो 19 साल कर दीजिए। इन छोटी-छोटी खामियों को दूर करके आप मोटर व्हीकल एक्ट को सही कर सकते हैं।

अभी मोटर व्हीकल एक्ट के जो मामले होते हैं जैसे एक्सीडेंट होते हैं जिनमें 5 या 10 आदमी मर गये या मास कैजुएलिटी हो गयी। अस्पताल में डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर कोई बीपीएल है, तो उसे कुछ पैसा मिल जाता है, अगर एपीएल फैमिली का आदमी मर गया, उसमें कोई परिवार का छोटा बच्चा जिंदा रह गया, विधवा रह गयी, तो वह परिवार का पालन कैसे करेंगे? इस तरह के मास-कैजुएलिटी

के केस में एपीएल और बीपीएल का फर्क नहीं होना चाहिए। जब उसके परिवार में कोई बचा ही नहीं है तो वह तो बीपीएल से भी ज्यादा खराब हालत में हो गया।

बीपीएल के लिए आपने बीमा कवर दिया है लेकिन यह बीमा कवर भी ठीक नहीं दिया है। उसमें आपने ड्राइवर को प्रूफ-शर्त के साथ दे दिया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और हमारे दूसरे साथी भी इस तरह के बीमा कवर का विरोध करेंगे।

आप एक ट्रिब्यूनल का मामला लाए हैं लेकिन वर्तमान में जो मोटर एक्ट फॉर्मूला है जो जजों के पास चल रहा है, उसमें पूछते हैं कि उसकी उम्र क्या है, कितना कमाता था, जिंदा रहता तो कितना कमाता, उसकी लाइबिलिटी कितनी है? इस फॉर्मूले के आधार पर ही जज केस तय करते हैं। मेरा यह मानना है कि जो ट्रिब्यूनल आपका आ रहा है उसमें ये फॉर्मूले रहेंगे, इसलिए इसे थोड़ा तर्कसंगत बनाइये। उसे जो कम्प्नसेशन मिलना चाहिए वह 6 महीने में मिलना चाहिए, लेकिन आपने इसमें 2 साल का प्रावधान रखा है। यह दो साल का प्रावधान ठीक नहीं है। उसे 6 महीने में ही कम्प्नसेशन मिलना चाहिये, तभी उसे इसका लाभ होगा।

हिट एंड रन के बारे में भी आपने इसमें प्रावधान किया है। अगर अज्ञात वाहन किसी को चोट पहुंचा गया और उसमें आदमी मर गये तो आप नये संशोधन में कह रहे हैं कि डेथ पर 50 हजार और घायल होने पर 25 हजार देंगे। एक आदमी वैसे मर गया, उसे आप 1 लाख देंगे, अज्ञात वाहन से मर गया, उसे आप 50 हजार देंगे, यह क्या तरीका है? इंसान तो वह भी है जो अज्ञात वाहन से मरा है। इस तरह की कुछ विसंगतियां हैं जिनको आप ठीक कीजिए। आपके संशोधन का हम समर्थन और स्वागत करते हैं, साथ ही हम माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि कंप्रीहैंसिव बिल बहुत जल्दी लेकर आएं, हम उसका भी स्वागत करेंगे तथा व्हीकल पर रेड-लाइट वाला इश्यू जो हमारा पेंडिंग है, उसका भी आप शीघ्र निर्णय करेंगे।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to support the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2012 as has been piloted by our hon. Minister Shri Joshi ji. He has also promised to bring a comprehensive legislation in view of the magnitude and importance of this Motor Vehicles Act.

In the wake of liberalization, privatization and globalization, it appears that we are being overwhelmed by motorization because the number of vehicles has been increasing by leaps and bounds in pursuance of the growth of our economy. In the year 1951, the total number of vehicles in our country was 1.5 millions. In the year 2010, it had gone up to 102 million. I do not know what the actual figure is right now. But it has been observed that the registration has increased to the tune of ten to twelve per cent year. So, naturally we are witnessing a phenomenal growth in the transport sector. The Government has been investing huge sums of money in infrastructure sector which includes aviation, water ways. Railways, shipping and road transport. Road transport is an essential ingredient of infrastructure and it further propels economic growth, socioeconomic development, and cultural prosperity.

The fact that every year we are losing nearly 1,50,000 of our citizens to road accidents in the country, is really shocking. The number of road fatalities has already assumed an alarming proportion much to the consternation of all of us. So, we need to put a check on the ever-increasing number of road fatalities in our country.

If you calculate the social cost of road fatalities, you may safely conclude that annually we are losing about 20 billion rupees because of road fatalities. The World Health Organisation has stated that 50 per cent of malnourished children of our country will be saved from their plight, if we are able to restrain the road fatalities cascading into a severe financial loss. I think the Government would take special care to restrain the road fatalities in our country.

The first Indian Motor Vehicles Act was passed in the year 1914 with only 18 sections. In the year 1939, the Motor Vehicles Act was enacted with the

recommendations of the Indian Railways Enquiry Committee headed by Wadge Wood. Now we learn that the Sundar Committee has made further recommendations which the Ministry has got and we are waiting for the implementation of the salient features of the recommendations.

There are a number of salient features which are included in this Bill. First of all, I must appreciate that in this amendment more power has been delegated to the State Government. The hon. Minister has rightly pointed out that road transport is a subject in the Concurrent List. So, the Union Government, State Governments, Districts, Panchayats, all have to be involved in maintaining the road sector in our country.

We have been observing that on a number of occasions the judiciary has been directing or instructing the Government so as to reduce pollution, so as to reduce road fatalities. I think we should take serious note of it. In view of the rapid growth of our economy, the number of vehicles will be growing which would cause congestion and pollution. Out of the total vehicles in our country, one-third has already surpassed ten years of age, and one-fifth has already surpassed 15 years of age. That means, they lead to higher emission, lower fuel efficiency and insufficient safety parameters. So, the Government should take concrete measure to determine the age of the vehicles. The performance of the vehicle depends largely on the age of the vehicles.

In the Automotive Mission Plan 2006-2016, the industry has demanded retirement of old vehicles of more than 15 years, along with a scarp policy. I would like to be enlightened by the hon. Minister as to the present thinking of this Government, of the plan and policy cited.

Most of the nagging problem in this area is the third party insurance and compensation to the victims of road accidents. It is reported that around 1.4 million cases, relating to motor accident claims have piled up in the Motor Accident Claim Tribunals and Courts. Right now, I do not know the exact number. Instances have also come to notice where more than one claim has been filed

under different Sections of the Act. Here, the Government has provided a very salient measure which state that under Section 163 (c) where a person is entitled to claim compensation under Section 163 (a) and Section 163 (b), shall claim relief under only one of the said Sections, and the option once exercised shall be final. Earlier, under the structured compensation formula, there were two options – no-fault principle or fault-principle; it was causing delay in payment of compensation to the victims and adversely affecting the insurance companies who were therefore reluctant to provide such insurance policies.

A number of provisions have been included for rationalization relating to payment of interest, filing of combined claims in case of multiple dependents, simplification and revision of structured compensation formula and the most important area is Solatium Scheme. It is a very innovative idea; this scheme has been constituted through this enactment, whereby the Solatium Fund shall be utilized for paying compensation in accordance with the provisions of this Act, and compensation in respect of the dead or of grievous hurt to person resulting from hit and run motor accidents.

There was a serious confusion insofar the hit and run motor accidents were concerned. Now it has become simplified. The Insurance Regulatory and Development Authority or any other agency specified by the Central Government shall manage the Solatium Fund. The insurance companies shall make such contribution to the Fund as the Central Government may, from time to time, by order, specify.

> "…Subject to the provision of this Act and the Scheme there shall be paid as compensation out of the solatium fund. In respect of the death of any person resulting from a hit and run motor accident, a fixed sum of Rs.1 lakh; in respect of grievous hurt to any person resulting from a hit and run motor accident a fixed sum of Rs.50,000…"

Sir, here I would like to say that in view of the inflation that we are experiencing in our economy as also in view of the rise in the cost of living in our country we should take a re-look into the amount of compensation and I would propose to increase it in tune with the present market position.

According to the Sundar Committee Report, it has been prescribed that the Government should establish a mechanism to update the staff of the driver training schools, add infrastructure and make rules for the periodic and surprise audit of the schools, both by the national level and the State level auditors. When the Government is delegating powers to the State Governments, the States also are outsourcing the private organisations for getting test certificates. We are nowadays witnessing mushrooming of the private organisations in our country. We should take a serious view as to whether these institutions are well-equipped and have adequate infrastructure for discharging this kind of responsibility.

Sundar Committee has also recommended for setting up of an independent Regulatory Authority at the national level to promote the orderly growth of public transport, rationalisation of the tax structure and to evolve consensus among States for fixing a floor rate of tax.

Last but not the least, each one of us experiences the fatigue. Fatigue is evident everywhere; for mechanical instrument it is called the mechanical fatigue and for human being it is called human fatigue. A driver also undergoes some sort of human fatigue while driving the vehicle. We should think and ascertain as to how many hours a driver can drive a vehicle. I would propose that not more than 12 hours a driver should be allowed to drive a vehicle because fatigue of a driver is also one of the major causes of the road fatalities in our country. With these words, I support the Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी जब माननीय मंत्री जी ने इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया तो मैं सुन रहा था, उन्होंने अपने आपमें कहा कि अभी एक तरीके से यह जो विधेयक संशोधन के रूप में वह लाये हैं, उसमें कुछ कमियां और खामियां हैं। जैसे इसी सदन में अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने इस बात की चर्चा की कि सुंदर समिति की रिपोर्ट भी अभी नहीं आ पाई है और मंत्री जी अभी उसे देख रहे थे। मेंरे ख्याल से सुंदर समिति की रिपोर्ट पर अगर गहन चर्चा हो जाती, उसका अध्ययन कर लेते और उसके बाद यह बिल आता तो बहुत अच्छा होता।

दूसरी बात यह है कि अब चूंकि आपकी मजबूरी है, यह राज्य सभा से पास होकर आया है तो लोक सभा में पास करना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी इसमें फिर से संशोधन लेकर आओगे, क्योंकि आप 1988 के संशोधन करने वाले विधेयक को लेकर आए हैं। सभापति महोदय, आज अगर आंकड़े देखे जाएं तो प्रति वर्ष करीब 70 हजार लोग मरते हैं, जिनमें ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, जिनके पास कोई सवारी नहीं होती है। जो हल्की-फुल्की सवारियों से या हल्के-फुल्के वाहनों से चलते हैं। भारी ट्रकों या हैवी व्हिकल्स से टक्कर लगती है तो उसमें बहुत कमज़ोर वर्ग के गरीब लोग मरते हैं। अभी मेरे क्षेत्र में ऐसा हुआ। पांच लोग भट्टे से काम कर के आ रहे थे। सभी की उम्र 20 से 19, 20 और 21 साल के बीच की थी। पांच लड़के भट्टे से काम कर के आ रहे थे, सड़क के किनारे जा रहे थे। पता नहीं कैसे बवंडर आया। एक स्विफ्ट गाड़ी थी, छोटी कार आ रही थी, उसने उन्हें टक्कर मारी। वे बिल्कुल कहां उछल गए, कहां गिरे कुछ पता नहीं। चार तो दर पर मर गए और एक घायल हो गया। चारों के घर में जा कर देखा, जीते जी छप्पर यानि फूंस की झोपड़ी उनके पास थी। मेरे पास जो भी था मैंने दो-दो हजार रूपये उनकी मिट्टी करने के लिए दिए। ये स्थिति है और आंकड़े बताते हैं कि कितने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने अभी इसी एक्ट में बताया है। ज्यादातर देखा गया है कि कुछ जगह, जो घर का मुखिया है, कमाने वाला वही डेथ कर जाता है। ऐसी स्थिति में तो उस परिवार पर तो एक बहुत बड़ा वज्रपात हो जाता है। उसका जीवन नहीं चल पाता है। वह बच्चों की पढ़ाई-लिखाई खाना-पीना और अपना जीवन-यापन कैसे कर सके। इसमें आपको प्रावधान लाना चाहिए। आपने मृत्यु पर यह कहा कि हमने सहायता के तौर पर दी जाने वाली धनराशि को चार गुना बढ़ा दिया है। 24 हजार से आपने एक लाख कर दिया। इस एक्ट में आपने ज्यादातर दुघर्टनाओं के बारे में क्लेरिफाई किया है कि मोबाइल से बात करते वक्त दुर्घटनाएं होती हैं। जो हैलमेट नहीं लगाते हैं, उन्हें हैड इंज्यूरी हो जाती है। ज्यादा स्पीड और रेड-लाइट जंप करने पर, रेड लाइट को क्रास करने पर आपने तमाम जुर्माने लगाए हैं।

अभी अर्जुन मेघवाल जी कह रहे थे कि सौ एमएल रक्त में अगर 30 एमजी अल्कोहल आता है, अब इसको नापने की क्या बात है। 30 से 60 एमजी वालों पर दो हजार और 30 एमएल है। शराब तो शराब होती है। अगर एक बूंद भी पी है, कुछ भी पी है। कोई आदमी एक कुल्कहड़ नहीं पीता है, वह पीता है तो अपनी भरपूर डोज़ लेता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गाड़ियों में काला शीशा लगाने वालों पर चालान होगा। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले मंत्री लोग जो गाड़ियों पर काला शीशा लगा कर चलते हैं, उनके काले शीशे उतारें। जो अधिकारी नीली बत्ती लगा कर चलते हैं, उनके काले शीशे पहले उतरने चाहिए, तब लोगों के काले शीशे आप उतारिए। यह पक्षपात नहीं चलेगा कि कुछ लोगों को छूट है और कुछ लोगों को नहीं है। दूसरी, बात यह है कि आज थर्ड पार्टी बीमा, जो दावे होते हैं एक्सीडेंट के बाद, 14 लाख ऐसे मामले पेण्डिंग पड़े हुए हैं, जिनका अभी तक निबटारा नहीं हो पाया है। इस सदन में प्रमुखता से एक बात उठी है कि मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी भी मान गए। एक माननीय मंत्री जी चिदम्बरम साहब नहीं मान रहे हैं। काउंसलर और स्टेट के एमएलए लोग लाल बत्ती लगा कर चलते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसकी बहुत बड़ी कंस्टीट्यूएंसी होती है, उन्हें दो-दो, तीन-तीन, चार-चार जिलों में जाना पड़ता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कम से कम लाल बत्ती लगाने या सॉयरन बजाने की अनुमति मिलनी चाहिए। कोई शौकिया नहीं कि हर समय वह पौं-पौं-पौं कर के सॉयरन बजाए या हर समय लाल बत्ती जलाए। विशेष परिस्थितियों में आप उसे अलाउ करें।

हाईवे की स्थिति यह है कि आपने फ्रीक्वीएंसी तय की है कि इतनी स्पीड की गाड़ी जाएगी और इतनी देर में पहुंचेगी। आज हाइवे की स्थिति यह है कि सुरक्षा और मानक के अनुसार आप इसे देखें, हाइवे पर, उन जगहों में जबरदस्त एन्क्रोचमेंट है, जहां आपकी सड़कें फोर लाइन की हैं। आपने मोबाइल मेडिकल वैन की व्यवस्था की है। मैं चाहूंगा उसमें ब्लड ग्रुप की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इमिजिएट एक्सीडेंट होता है तो रक्त का इतना ज्यादा स्त्राव होता है कि आदमी मर जाता है। आप मेडिकल मोबाइल वैन में ब्लड ग्रुप भी रखिए कि जरूरतमंद को तत्काल ब्लड चढ़ना शुरू हो जाए। उसे फर्स्ट-एड मिले। ये सब व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी। बहुत जगह आपने अभी तक टोल-टैक्स चालू नहीं किया है। टोल-टैक्स चालू होने से यह होता है कि आदमी रूकता है। उसकी स्पीड कम होती है। जहां-जहां भी इस प्रकार के हाइवे हैं। वहां आप टोल-टैक्स की व्यवस्था तत्काल काराएं।

मैं मुख्य बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि दावे के अनुसार कम्पेन्सेशन मिलेगा, अगर एक लाख या उससे ज्यादा इनकम वाला है तो आपने फिक्स कर दिया है कि केवल दस लाख कम्पेन्सेशन मिलेगा, यह एक तरीके से गलत है। इसमें नहीं करना चाहिए, इसमें तो यह है कि कई तरीके के आदमी होते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि घर का मुखिया मर जाता है, कमाने वाला मेन व्यक्ति मर

जाता है, यही पैसा अगर उनके बच्चों को मिल जाये तो मेरे ख्याल से उनका जीवन-यापन हो सकता है। मैं ज्यादा कुछ न कहकर बस इतना कहना चाहूंगा कि जब दुर्घटना होती है तो वह अमीरी-गरीबी देखकर नहीं होती है। किसी भी समय अचानक दुर्घटना होती है। ज्यादातर बेचारे वे लोग जो हल्के-फुल्के वाहन से चलने वाले लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं, गरीब आदमी ही मरता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जो सुन्दर कमेटी की रिपोर्ट आयी है, उसका गहन अध्ययन कर लीजिये, अगर उसके बाद यह पास हो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत जल्दी ही आपको फिर से संशोधन लाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करना चाहूंगा, लेकिन मैंने जो सुझाव दिये हैं, जो मैंने विचार रखे हैं, उन पर जरूर अमल कीजियेगा।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012 पर अपनी बातें कहने का अवसर दिया। सबसे पहली बात यह है कि मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012 और जैसा मंत्री जी ने कहा कि इसका मेन मतलब सेफ्टी से है और अगर एक्सीडेंट है तो उसका कंपन्सैशन। सुन्दर कमेटी ने करीब 25 रिकमंडेशंस दी हैं, जो छपी हैं, क्योंकि समय बहुत तेज चल रहा है, आप घंटी बजा देंगे, इसलिए मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन अगर इस बिल को देखा जाये तो यह सुन्दर कमेटी की रिकमंडेशंस के बिल्कुल विपरीत है। मैं इसे बताना चाहता हूं। जैसे हिट एंड रन में अगर कोई गाड़ी भिड़ जाती है तो उसे पहले 50,000 रूपया कंपन्सैशन इंश्योरेंस कंपनी देती थी। अब आपने उसे एक लाख कर दिया है। एक मनुष्य, एक आदमी की कीमत अगर आप एक लाख रूपया असेस कर रहे हैं, तो आदमी की जिंदगी के साथ इससे गंभीर मजाक कोई नहीं हो सकता है। कंपन्सैशन मिल रहा है, वह वाहन इंश्योर है और अगर यह बात हो जाये तो आर्टिकल 21 ऑफ दि कांस्टीच्यूशन में अगर देखा जाये, तो उसमें लिखा है कि यह आपका ऑब्लिगेशन है, protection of life and liberty of the citizen is a fundamental right. उसकी कीमत एक लाख रूपया, यह तो बिल्कुल गलत है। कोई हार्ट सर्जर है, हिट एंड रन एंड ही हैज नॉट बीन सीन। आजकल देख लीजिये बीएमडब्ल्यू से कितने लोग मर रहे हैं तो उसका कंपन्सैशन एक लाख है। यह तो अल्ट्रा वायरस है, कांस्टीच्यूशन के खिलाफ है और अगर यह स्पीड से बन रहा है तो मोटर व्हिकल एक्ट में लिखा हुआ है कि आप स्पीड के खिलाफ न चलिये। इसे और सोच लीजिये। कौन सा इसमें प्रेशर है कि इसे कल पास ही करना है। इसे ठीक से एग्ज़ामिन कर लीजिये। इस पर डिस्कशन कर लीजिये। सुन्दर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लीजिये।

हम आपके साथ एक बात और करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें है, which is a glaring writing on the wall. हम मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहते हैं, पेज 3 पर 9(a) इन्होंने अब ड्राइविंग लाइसेंस का पॉवर ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस को दे दिया है। ये रजिस्टर्ड बॉडीज हैं, एक हजार, पन्द्रह सौ रूपया देकर आपने ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन करा लिया, तीन साल बाद वह बॉडी खत्म हो गयी और वे दनादन-दनादन लाइसेंस बना रहे हैं, यह क्या है? सबसे बड़ी इनीशियल गलती लाइसेंसिंग में हो रही है। यह मोटर व्हिकल एक्ट है, यह समवर्ती सूची में है, स्टेट को पॉवर है, सेंट्रल को पॉवर है, समवर्ती सूची में आप देखें तो लिस्ट नम्बर-32 में मोटर व्हिकल एक्ट गवर्न होता है। आपने क्या लिख दिया-

> "Provided a licensing authority may exempt from test of driving if he has permission from the Automobile Association."

मतलब ऑटोमोबाइल एसोसियेशन वीज़ा और पासपोर्ट दे देगा अगर वह कह देता है तो आपको लाइसैंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मंत्री जी इस पर गौर कर लें। यह पेज 3 में लिखा हुआ है।

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (DR. C.P. JOSHI): This facility is for commoners and it is not for commercial vehicles.

श्री विजय बहादुर सिंह : आप इसको ज़रा गौर से पढ़िये। ...(व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह राजनीति नहीं है, यह कानून है। इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। मैं फिर से बता देता हूँ।

It says in Section 4,

> "Provided that the licensing authority may exempt the applicant from the test to drive a motor (not being a transport vehicle) if the applicant possesses a driving test certificate issued by an institution or automobile association recognized in this behalf by the State Government."

Who is the automobile authority?

It says in the second proviso to the sub-section (3), after the words, "issued by any institution", the words "or automobile association" shall be inserted.

सात आदमी रजिस्ट्रेशन करा लें, ऑटोमोबाइल एसोसियेशन बना लें और कहें कि हम दो हज़ार रुपये लेंगे, पाँच हज़ार रुपये लेंगे, आपको लाइसैंस का सर्टिफिकेट देंगे और उसको एक्ज़ैम्प्ट करा लेंगे। License would be auctioned and anybody can go and purchase a license. लाइसैन्स स्टेज पर आप यूरोप चले जाइए। मैंने खुद वहाँ टैस्ट दिया और दो बार फेल हो गया और चालीस साल से गाड़ी चला रहा था। वहाँ इतना सख्त नियम है। वहाँ ढाल पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और अगर आप हैन्ड ब्रेक न लगाएँ और गाड़ी स्टार्ट करें और गाड़ी छः इंच पीछे हो जाए तो फेल कर देते हैं। आप जब लाइसैन्स देने में इतना लिबरल हो रहे हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट में कोई गवर्नमैंट की बॉडी हो जो पब्लिक को आन्सरेबल हो। दूसरी बात आप देखिये जो बिल्कुल वेग है जिसको हमारे माननीय मेघवाल साहब भी कह रहे थे।

In Section 21 it says;

> "Where the authority authorized to check the driving license of any driver, is satisfied after breath analyzer test or any other test as may be prescribed by the State Government that the driver is under the influence of alcohol, may suspend the driving license on the spot for a period not exceeding three months."

आज यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एल्कोहल का टैस्ट बिल्कुल कैमिकल एनालिसेज़ है। इंस्ट्रूमैन्ट आ गए हैं, लेकिन आपने उसको वेग कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर विदेशों में जाइए तो अगर ड्रिंकिंग पार्टी है तो एक व्यक्ति कहता है कि हम नहीं पी रहे हैं, क्योंकि वह कहता है कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। अगर चार आदमी होंगे तो तीन शराबी होंगे और एक नहीं पियेगा क्योंकि लौटकर सबको गाड़ी में लेकर जाना है। आप इसमें एक किस्म से ड्रंकन ड्राइविंग का लाइसैन्स दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह बिल बहुत जल्दी में या हड़बड़ी में पाँच-दस घंटे में बन गया है।

DR. C.P. JOSHI: I do not want to disturb the hon. Member. But this entire exercise was done by the Standing Committee of Parliament… (*Interruptions*)

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : Sir, I will come to the point. Parliament is supreme and not the Standing Committee… (*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): मंत्रालय हर रिपोर्ट को थोड़ी मानता है। …(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह: अगर पार्लियामैंट्री कमेटी की बात हो रही है तो चूँकि मंत्री जी ने माना है, मंत्री जी बहुत राजनैतिक आदमी हैं और हम इनकी कद्र करते हैं तो आप बताएँ कि प्रिविलेज कमेटी और पूरा हाउस कह रहा है कि सांसदों को लाल बत्ती दे दीजिए, लेकिन नहीं देते हैं। आपको मालूम नहीं, मेरी कांस्टीट्यूएंसी 160 किलोमीटर की है। अगर आप खजुराहो से चलें और कानपुर तक आएँ तो हर 50 मील पर 500 ट्रक्स की लाइन लगी है। आप लाइन में खड़े रहिये। अगर लाल बत्ती रहेगी तो कम से कम आप समय से डैस्टिनेशन पर तो पहुँच सकते हैं। अगर लाल बत्ती रहेगी तो आपको प्रोटैक्शन तो मिल रहा है। आप टोल बूथ पर चले जाइए, आप लाख आइडैन्टिफिकेशन सर्टिफिकेट दिखाइए, वे ऐसे फेंक देते हैं। मेरा खुद उन्होंने ऐसे फेंका। पार्लियामैंट से जो इतना बड़ा बिल्ला मिला हुआ है, वे कहते हैं कि ये क्या है, ऐसा तो सब लोगों के पास होता है। लगता है कि मंत्री जी ने वह यातना नहीं झेली। फिर इसमें कौन है?

अभी-अभी लोक सभा की 60वीं वर्षगाँठ मनाई गई। माननीय स्पीकर महोदय ने कहा कि पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में Parliament and Members of Parliament are supreme. इनका जयगान किया एक हाथ, और दूसरे हाथ आपको 500 एमपीज़ को लाल बत्ती देने में कौन सी दिक्कत है, कौन सी आफ़त हो रही है? …(व्यवधान) वह बात नहीं है। हम दूसरी बात बताना चाहते हैं। इसमें स्टेटस सिम्बल की बात नहीं है। …(व्यवधान) मैं बताना चाहता हूँ कि यह क्या है। इस लाल बत्ती से मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट का राइट ऑफ फ्री मूवमैन्ट एनश्योर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन नहीं होती है तो आदमी 400 मील बाय रोड यहाँ पार्लियामैंट अटैन्ड करने आते हैं। मैं अपने साथ कान्स्टीट्यूशन की किताब लाया हूं। यह सबजैक्ट कान्करैन्ट लिस्ट में है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को जब हम लोगों ने एप्रोच किया तो उन्होंने हर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, राज्य सभा, लोक सभा, कटिंग एक्रॉस दी पार्टी लाइन, सभी को रेड लाइट दे दी। अब वहां से लाल बत्ती में आते हैं, लेकिन नोएडा पहुंचते ही पेचकस निकाल कर लाल बत्ती निकाल कर झोले में रखें, क्योंकि दिल्ली में दिक्कत है। जब वापस जाएं तो एक मिस्त्री लेकर उसे फिर उसे फिट करवाएं। यह क्या मज़ाक हो रहा है?…(व्यवधान) अगर आप माफ करें। यह बहुत सीरियस बात है। एक अंग्रेज जज कोलकाता में थे। He was very fond of puppies. वह उससे बात कर रहे थे। एक हिन्दुस्तानी बैरिस्टर चैटर्जी उनसे आर्गुमेंट कर रहे थे, तो वे चुप हो गए। तो उन्होंने कहा- "No, no, you continue." तब बैरिस्टर चैटर्जी ने कहा "I thought that your Lordship was under consultation." इसलिए चुप हो गया। मैंने इसलिए अपने को ब्रेक लगाया, क्योंकि आप बात कर रहे थे।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस मोटर व्हीकल एक्ट में एक बहुत सीरियस गड़बड़ी है। एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है और एक कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में The first party always, under law, is the insurance company. सैकेंड पार्टी वह है जो इंश्योरेंस करवाता है, जैसे कि मोटर व्हीकल का मालिक और थर्ड पार्टी वह है, जिसे चोट लगती है। इस पर बहुत मुकदमे चल रहे हैं। मान लीजिए कि गाड़ी पलट गई और उससे किसी थर्ड पार्टी की डेथ हो गई और उसने मुकदमा कर दिया, तो इंश्योरेंस कम्पनी कहती है कि आप थर्ड पार्टी नहीं हैं। आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए। The first party is the insurance company. The second party is the person who pays the insurance amount and the third party is the one who is injured. Why are you denying the benefit of insurance although the insurance company gets the third

party insurance money? Then why are you denying it? आप पेज 16 पर नीचे से छठी लाइन देंखे।

> "The amount of compensation payable for Permanent Total Disablement as defined in Schedule I of the Workmen's Compensation Act, 1923 shall be determined by application of appropriate multiplier to proved income subject to maximum of Rs. 10 lakhs."

अगर कोई हार्ट सर्जन है, जो एक लाख रुपए रोज का आपरेशन करता है, आपने 10 लाख की लिमिट कर दी। यह क्या मजाक है। यह सुंदर कमेटी में तो नहीं लिखा! फिर आप देखें ग्रिवियस इंजरी में 50 हजार और नॉन ग्रिवियस इंजरी में 20 हजार। अगर किसी महिला का नाक दुर्घटना में टेढ़ा हो जाए, तो उसकी तो सारी जिंदगी शादी नहीं होगी। अगर शादी होगी तो तलाक हो सकता है और आप मुआवजा केवल 20 हजार दे रहे हैं। यह क्या मजाक है? Leave it to the court. It depends on what it says. बीएसपी जब पावर में थी, तो यह डिले हो रहा था। एक ट्रक चला और टोल टैक्स पर खड़ा हुआ। जैसा कि मेघवाल साहब बता रहे थे कि वहां से आने में दस जगह रुकता है। अगर दस-दस मिनट रुका तो तीन घंटे की देर हो गई। पूरा टोल टैक्स एबोलिश कर दिया ताकि स्पीड दी जा सके। मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। हमारी प्रिविलेज कमेटी आयी। इसके चेयरमैन चाको साहब थे। दस संसद सदस्य लोकसभा और राज्य सभा के थे। प्रिविलेज कमेटी ने रिक्मेंड किया। In Sri Lanka, वहां के सांसद का प्रिसीडेंस 14 है। उनकी डेमोक्रेसी हमारी तरह परिपक्व नहीं हुई है। हमारे यहां वॉरंट ऑफ प्रिसीडेंस में 22 पर था।

प्रिविलेज कमेटी कहती है। I quote:

> "The Committee recommends that Members of Parliament should be placed at serial no. 17 instead of 21 in the Warrant of Precedence. Further, Chairperson of a Parliamentary Committee should also be placed at serial no. 7 in the Warrant of Precedence before the Members of Parliament."

Then the Committee also speaks of the inclusion of Speaker. आप भी गोवा विधान सभा के स्पीकर रहे हैं। मान लीजिए कल आप संसद सदस्य न रहें हालांकि मैं चाहता हूं कि आप परमानेंट रहें।

सभापति महोदय, आप भी उस प्रिविलेज कमेटी में सिग्नेटरी हैं।

In paragraph 44, it says:

> "The Committee recommends that the Ministry of Surface Transport, Government of India, should issue notification under the provisions of the Central Motor Vehicles Act permitting the use of red light/beacon light for the Members of Parliament. "

इसमें कौन-सी बड़ी आफत है और किस कारण दिक्कत हो रही है? हमें बताया गया, मैंने मंत्री जी से बात की, लेकिन आज वे सदन में उपस्थित नहीं हैं, नहीं तो हम उनसे वार्तालाप करते।

MR. CHAIRMAN : Now, please wind up. All our colleagues have said the same thing.

… (*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह : हमारे पास दौ सौ संसद सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और हम प्रधानमंत्री के पास इसे ले कर जाएंगे। यह कहा जाता है कि अगर हम लाल बत्ती दिल्ली में लगाएंगे, तो इससे लॉ एंड आर्डर में बड़ी दिक्कत होगी। क्या संसद सदस्य से लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी? हम यहां आते हैं, हमारे पास बैग है और इसे कोई सर्च नहीं कर रहा है। I may carry anything. I may carry one or two mobile phones or anything else और हमें लाल बत्ती लगाने में इतनी बड़ी समस्या आ रही है। यह तो कोलोनियल इंस्टिक्ट जो ब्रिटिश इंडिया वाले छोड़ गए थे, उसकी बदबू, उसकी स्मैल अभी भी चल रही है। इससे कैसे काम चलेगा?

मैं अन्त में कुछ कहना चाहता हूं। मैं आधे सेकण्ड में कन्क्लूड कर रहा हूं। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him now.

… (*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं तो इसमें जोशी जी की तारीफ करता हूं। लेकिन, आप संसद की साठवीं वर्षगांठ न मनाएं, कंडोलेंस बनाएं क्योंकि मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करने में अगर आपको अप्रत्यक्ष रूप से कोई संतुष्टि मिलती है तो You are doing very well.

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मोटर वेहिकल एक्ट एक बड़ा टेक्नीकल सब्जेक्ट है। इसको हड़बड़ी में न पास करें। इसके लिए आप जल्दी न करिए। हमने सुन्दर कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी है। हमने कमेटी के चौदह-पन्द्रह पेज को रिकमंडेशन किया है। यह दस-पन्द्रह साल पुरानी है। It is a complete science. It is a very technical issue. मैं कहना चाहता हूं कि मोटर वेहिकल्स एक्ट के सेक्शन 60 के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। अगर इसमें सेक्शन 108 के अंतर्गत एक्स नियम का एक नोटिफिकेशन हो जाए, Onwards all the Members of

Parliament, belonging to both the Lok Sabha and the Rajya Sabha, henceforth will have the red beacon light, what is wrong about that? अगर आप चेयर के तौर पर डायरेक्शन दे देते हैं तो उसमें बात तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा। अगर यह सरकार सिर्फ़ प्रेशर से ही काम करती है तो हम लोग प्रेशर भी बनाएंगे। लेकिन, हम नहीं चाहते हैं कि इस छोटे-से इश्यू में प्रेशर बनाया जाए।

अन्त में, मैं आपके इस बिल का उन संशोधनों के साथ सपोर्ट करता हूं कि इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को क्लैरीफाई कर दिया जाए। इसकी लिमिट दस लाख रुपए न की जाए। Leave it to the court. इसमें अगर किसी की नाक तिरछी हो जाए तो उसे दस हजार रुपए मिलेंगे, This is not fair. यह बिल्कुल अमानवीय है। Under article 21 of the Constitution, it is your obligation and it is our fundamental right to settle the matter.

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): सभापति महोदय, मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन हेतु जो बिल लोक सभा में पेश किया गया है, जो राज्य सभा से पास होकर आया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

इसमें जैसा कि पूर्व वक्ता लोग बता रहे थे कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। सुन्दर कमेटी जो बनी थी, उसकी भी रिकमेण्डेशंस आई थीं, उसमें बहुत सारी छूट गई हैं। मंत्री जी बता रहे थे कि हम कॉम्प्रीहेंसिव बिल लेकर आएंगे, उस समय में बहुत सारी बातें इसमें इन्क्लूड होंगी। उस समय में अगर यह बिल आता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यह मजबूरी है तो इसमें कोई बात नहीं है। 142 वर्ष पुराना जो यह बिल है, यह 1965 में बना था, उसी को फिर से पुनर्संशोधन करते हुए 1994, 2000 और 2001 में संशोधित किया गया है। इस बार भी संशोधन होने के लिए यह बिल राज्य सभा से पारित होकर 2012 में आया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

इसमें बहुत सारी बातें हैं, जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, हम देखते हैं कि बराबर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र सुपौल में गये थे। वहां एक 4 लेन महासेतु का उद्घाटन था। वहां रोड अच्छी बनी है, लेकिन उसके चलते बहुत सारी परेशानियां लोगों को होती हैं। जैसा कि लोग बता रहे थे कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं, वे रोड अच्छी होने की वजह से नहीं होते हैं, लोगों में अवेयरनैस नहीं है, लोगों की सोचने की ऐसी शक्ति नहीं है, लोग मद्यपान कर गाड़ी चलाते हैं, मद्यपान करके चलाते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए चलाते हैं। हमने देखा है कि छोटे-छोटे बच्चे, जो 12-14 साल के बच्चे होते हैं, वे गांवों में ट्रैक्टर चलाते हैं, छोटी-छोटी गाड़ियां, जो मोटर व्हिकल्स होती हैं, वे चलाते हैं और ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं। यह सब जो बच्चे गाड़ियां चलाते हैं, इस पर पाबन्दी लगनी चाहिए।

सैण्टर और स्टेट की जहां तक बात है, सैण्टर और स्टेट अगर कानून बनाते हैं तो एन्फोर्समेंट उसमें नहीं होता है। वह बात अगर आती है तो उसमें लगे कि कानून का पालन हो रहा है। क्योंकि, उसमें जान तो हमारे सिटीज़न की जाती है। एक्सीडेंट अगर होता है तो हमारे नागरिक का यहां पर होता है। मैं चाहूंगा कि इसमें जैसा कि लोग बता रहे थे कि शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं, इसमें मात्रा पर लगाया गया है कि जो 30 एम.एल. पिएंगे, जो 60 एम.एल. पिएंगे, जो उससे ज्यादा पिएंगे, उसमें अलग-अलग प्रावधान किया गया है, लेकिन यह बात गलत है। शराब पीना शराब पीना है, अगर शराब पी है तो उस पर जुर्माना एक तरह का होना चाहिए। जुर्माना और अधिनियम हमेशा बनते रहते हैं। पहले भी अधिनियम बना है, पहले भी जुर्माने होते रहे हैं। मैंने दिल्ली में देखा है और बहुत सारी जगह देखा है कि कुछ दिनों के लिए अभियान चलाया जाता है, फिर वह अभियान बन्द कर दिया जाता है। ट्रैफिक का जहां तक नियम है, हमारे यहां जनसंख्या भी बढ़ी है, उसके हिसाब से ऑटोमोबाइल्स भी बढ़ी हैं, बहुत सारी यहां पर गाड़ियां भी आई

हैं। ट्रैफिक जो हमारे यहां पर है, बहुत लचर-पचर हो गया है। ट्रैफिक में बहुत सारी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानियां आती हैं। नियम का पालन नहीं करने पर मात्र सौ रुपये की जगह दो हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने से ही यह काम नहीं होगा।

दुर्घटना बीमे में लाखों की संख्या में मामले अभी तक लम्बित हैं। जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, हमारे यहां बहुत सारे लोग उससे वंचित हैं। हमारे गांव में महीने भर पहले, जो रोड गई है, वहां पर एक महिला अपने खेत में काम करके नाश्ता कर रही थी, उसके बगल की रोड पर एक मोटर वाहन जा रहा था, वहां पर ड्राइवर ने जाकर उस महिला का एक्सीडेंट कर दिया। वह अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रही थी। बाद में पता चला कि ड्राइवर दो-तीन रात से सोया नहीं था, वही गाड़ी चला रहा था, वह एक्सीडेंट कर गया। उसकी जो पतोहू वहां पर थी, वह भी उसमें घायल हो गई। बाद में ड्राइवर भाग गया। पता चला कि वह नशे में था या दो रात से सोया नहीं था तो इस सब में कानून हम लोगों को संशोधित करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे ड्राइवर हैं, वे मोबाइल पर बात नहीं करें। अगर हम लोग यहां भी जाते हैं तो देखते हैं कि मोबाइल से ड्राइवर बात कर रहा है, उस समय हमें डर लगा रहता है कि क्या होगा, इसलिए मोबाइल से बात नहीं हो, इस पर सख्त कानून बने और उस पर अमल हो और काम अच्छे से हो।

जो हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट में लाइसेंस बनाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि लाइसेंस में बहुत घपलेबाजी होती है। बायां-दायां करके लाइसेंस बना दिया जाता है। जब उसका परीक्षण होता है तो परीक्षण में हम लोग देखते हैं कि ठीक से परीक्षण नहीं होकर किसी को भी लाइसेंस दे दिया जाता है। इस पर हम लोगों को ठोस कदम उठाना चाहिए। सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को जो मुआवजा दिया जाता है, वह पहले 25 हजार रुपये था, अभी एक लाख रुपये किया गया है, जैसा वीर बहादुर सिंह जी कह रहे थे, उससे कुछ नहीं होगा।

रैड लाइट की बात, लाल बत्ती की बात सभी लोगों ने बताई है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। हम लोग देखते हैं कि क्षेत्र में एस.पी., डी.एस.पी. सब, जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब लाल बत्ती लगाते हैं, लेकिन एम.पी. जो 17 लाख, 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको वह नहीं मिल पाती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि उसको भी यह अधिकार मिले।

एक बात और कि हमारे क्षेत्र में या और सब जगह हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है, उसको लगाकर तीन पहिया जिस तरह से ऑटो चलता है, उस तरह से लोग चलाते हैं। उसका न रजिस्ट्रेशन होता है, न ही उसमें चेसिस नंबर होता है। अगर उसकी कहीं दुर्घटना हो जाएगी तो जो नागरिक उस दुर्घटना में मरेंगे, उनका मुआवजा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मोटर व्हिकल नियम में आता

ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसको भी इंक्ल्यूड किया जाए। इस पर बैन लगाया जाए या इसे जारी रखते हैं, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

महोदय, डबल डेकर स्लीपर बस धड़ल्ले से चल रही है, जबकि मोटरयान अधिनियम में इस तरह का कोई जिक्र ही नहीं है। इससे देश का प्रतिवर्ष करोड़ों रूपए वाणिज्य का नुकसान होता है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एवं उत्तराखंड में ये बसें धड़ल्ले से चलती हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन जो भी खामियां इसमें गिनायी हैं और जो भी इसमें खामियां हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि इसमें 6 प्रावधान इंक्ल्यूड किए गए हैं, उसके अलावा और भी जितने हैं, उनको इंक्ल्यूजन करके कांप्रिहैंसिव बिल लाया जाए। मैं इसका समर्थन करता हूं,

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Sir, I thank you for allowing me to speak on the Motors Vehicles (Amendment) Bill which is aimed at amending the Motor Vehicles Act, 1988 by way of enhancing penalties for offences and also provides different penalties for first and subsequent violations. While welcoming such an attempt by the Government, at the same time, it should not be too much in terms of penalties. Here, I would like to say that penalties should not be used as a weapon to bring about a change; it should be to exercise restraint on the road users to ensure that they follow the rules strictly to ensure not only their own safety but also that of others.

There should be the right monitoring mechanism to ensure that these strict rules should not lead to corrupt enforcing authorities. I hope, the hon. Minister would think over and respond to the same mirroring the viewpoint of his Ministry and Government. The Bill also gives enhanced powers to the State Governments. I welcome them wholeheartedly.

I would not hesitate to state that the punishment should not harsh to the extent of suspending the driver's license if one fails a breath analyzer test. Another pertinent aspect of the Bill as the Bill fails to specify as to which process it would adopt which helps the driver to defend himself. I would request the hon. Minister to clarify on this important aspect of the Bill as there is confusion.

Likewise, computing of compensation is not specified. This is in regard to the courts having the power to estimate and award compensation for motor accident cases which establishes the fault of the driver. I would request the hon. Minister to come out with some very clear guidelines for the courts to be followed. Otherwise, it would lead to courts computing the way they like.

Another important aspect of the Bill which I fully endorse is that the Bill seeks to make the consignor liable for over-loading of goods. I think, it is the right step as ultimately it is the consignor who sends the consignment and not the driver or the owner of the vehicle.

Standing Committee has recommended many good points. I feel that they are genuine and hence, it needs to be accepted.

The Ministry has set up the Sundar Committee, which has examined the whole gamut of issues concerning motor vehicles and has submitted its Report. Many recommendations have been made by the Committee. Would the hon. Ministry throw some light on the recommendations of the Committee, which have been accepted by his Ministry?

I read in the newspapers of late that ladies too have to wear helmet. There is a school of thought that insists that helmets should not be made compulsory for women. It seems there is some confusion on this aspect. There is also a talk of inferior quality or bad helmets.

On the other hand, there is a report in *the Hindustan Times,* New Delhi edition, dated 1st March, 2012 that gave the data that 101 women died without helmet last year. This is really a disturbing news. Under these conflicting viewpoints, would the hon. Minister state as to what is the position of the Ministry on these queries of mine?

Lastly, I would request the hon. Minister to ensure that compensation in the case of persons who get killed or sustain injuries in hit and run motor accidents should reach fast; there should not be any delay in reaching of compensation to relatives of those killed or those who get severely injured.

In fine, we appreciate the efforts being made to amend the Motors Vehicles Act and I support this Bill.

18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, it is 6 o'clock and we have still 12 more Members who want to speak on this Bill. I want to take the sense of the House. Should we take up 'Zero Hour' now or continue with this Bill?

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, please take up 'Zero Hour' now.

MR. CHAIRMAN: All right. The discussion on the Bill will continue next time. We take up 'Zero Hour' now.

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : सर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं, आज क्वैश्चन अवर में भी इस पर चर्चा हुई, इस देश के न्यूक्लियर प्लांट के सेफ्टी सिक्यूरिटी के बारे में, प्रधानमंत्री जी ने सवाल के उत्तर में कहा है कि इससे देश को कोई खतरा पैदा नहीं होगा लेकिन यह जवाब कोई वैज्ञानिक चिंतन, लॉजिक या डाटा के ऊपर आधारित नहीं है।

दुनिया के जो उन्नत देश हैं जैसे जापान जिसका तकनीक हम से बहुत ऊंचा है। जर्मनी स्वीटजरलैंड जैसे देशों में न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रयोग बंद कर दिया गया है और जर्मन ने कहा है कि वर्ष 2022 के बाद इससे कोई न्यूक्लियर पावर जेनरैशन नहीं करेंगे।

सर, पिछले बीस सालों से रूस और अमेरिका ने भी कोई नया रिएक्टर नहीं बनाया है। भूकंप और सुनामी के कारण खतरा जरूर पैदा हो सकता है जो फुकूसिमा में दिखा है। कुडानकुलम में वर्ष 2006 में भी भूकंप हुआ था और वर्ष 2011 में भी भूकंप आया था। वर्ष 2004 के सुनामी में पूरे कुडानकुलम के प्लांट में पानी आ गया था।

सर, हमारे प्रधानमंत्री दफ्तर से भी कहा गया है कि टेररिस्ट के कारण इसमें बहुत खतरा है। मेडिकल डाक्टर होने के नाते मैं भी जानता हूं कि इससे जो कुलेन्ट वाट र जो पानी फेका जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट सागर में जाता है, रेडिऐक्टिवीटी के कारण पानी, हवा, मछली और जितने हमारे क्राप्स है उन पर खतरा पैदा हो जाता है।

महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ उधर के वैज्ञानिक लोग जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं जो साधारण मच्छीमार हैं और जनसाधारण ने इसका विरोध किया था और कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार और तमिलनाडु की सरकार ने कहा था कि ये लोग ऐन्टी नेशनल हैं, देशद्रोही हैं। यह बिल्कुल गलत है। सरकार के चिंतन का कोई साइंटिफिक कारण दिखा कर विरोध करेगा तो इसको देशद्रोह नहीं कहा जाता है। यह किसके फायदे के लिए हो रहा है? हमारे देश के फायदे के लिए या हमारे जो कारपोरेट सेक्टर्स या दलाल लोग बाहर से जो रिएक्टर ले आता है उनके लाभ के लिए यह हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको बंद करना चाहिए। हमारे देश का जो फ्यूल रिजर्व, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंशनल एनर्जी है उनसे हमें पावर जेनरेशन करना चाहिए। हमारे देश का जनसाधारण जो उस क्षेत्र में जीवन निर्वाह कर रहा है इसलिए कुडानकुलम में नया थ्री और फोर परमाणु रिएक्टर नहीं बनाना चाहिए। इसको बंद करना चाहिए। हमारे देश के फ्यूचर के लिए होरीपुर में जो न्यूक्लीयर पावर प्लांट बनने वाला था वेस्ट बंगाल में सुश्री ममत बनर्जी की सरकार ने उसे बंद कर दिया गया है।

सर, केरल में कांग्रेस प्रचालित गवर्नमेंट है, उधर भी फैसला लिया गया कि उधर कोई न्यूक्लीअर पावर प्लांट नहीं बैंठेंगे। हमारी सरकार को भी ऐसा फैसला लेना चाहिए। हमारे देश में न्यूक्लीअर पावर प्लांट से खतरा पैदा हो सकता है इससे जनसाधारण की रक्षा करनी चाहिए।

सर, आपके माध्यम से सरकार से मेरी यही विनती है।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय आपको धन्यवाद कि आपने मुझे एक लोकहित के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे बिहार और झारखंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। यह अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है इसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है। मैं बताना चाहता हूं कि यह परियोजना वर्ष 1975 में शुरू हुई। इसकी प्रारंभिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपये थी। अभी स्थिति यह है कि लगभग 750 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो चुके हैं। प्रति वर्ष 12 करोड़ रुपये स्थापना व्यय पर खर्च हो रहे हैं। लेकिन अभी तक यह परियोजना अधूरी है। इस परियोजना से बिहार और झारखंड के तीन जिले, झारखंड का पलामू जिला, बिहार का मेरे संसदीय क्षेत्र का औरंगाबाद और गया जिला, दो राज्यों के तीन जिलों को मिलाकर एक लाख 24 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इससे 25 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। स्थिति यह है कि इस परियोजना का जो आरसीसी वर्क है, जो पक्का काम है, वह लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन उसमें लोहे के जो स्लुइस गेट लगाने हैं, जिससे बांध में पानी जमा हो सके, उस पर भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2007 में पाबंदी लगा दी। भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि बेतला नेशनल पार्क और टाइगर प्रोजैक्ट पर पानी के जमा होने से दुष्प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह परियोजना काफी लाभप्रद और महत्वपूर्ण है। इससे लगभग सवा लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी है। इसके मुख्य नहर का 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसकी शाखा नहरें लगभग 50 प्रतिशत खुद चुकी हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसका बैराज लगभग 98 प्रतिशत बनकर तैयार है। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि डैम में लोहे के फाटक के अभाव में पानी जमा नहीं हो रहा और यह नहर एकदम बरसाती नहर के रूप में है।

<u>18.07 hrs.</u>

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair)*

जब कोयल नदी के कैचमैंट एरिया में बारिश होती है तो बैराज के माध्यम से उस पानी को नहर में मोड़ दिया जाता है। …(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा।…(व्यवधान) मैं बताना चाहता था कि इसके लिए 7 से 8 हजार हैक्टेयर जमीन किसानों से ले ली गई।

उनकी जमीनें खोद दी गईं, नहरों का निर्माण कर दिया गया, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूरा सौ प्रतिशत इलाका उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : What is your demand?

श्री सुशील कुमार सिंह : भारत सरकार एक तरफ कहती है कि हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाना चाहते हैं। जब अनाज उत्पादित नहीं होगा तो यहां के नागरिकों को अनाज कहां से देंगे। क्या आयात करेंगे, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं? अगर यह परियोजना पूरी हो जाए तो इससे भूजल स्तर ऊपर उठेगा और पूरे इलाके में पेयजल की सुविधा बहाल हो सकती है।...(व्यवधान)

मेरी अंतिम बात सुन ली जाए।...(व्यवधान) इस परियोजना को पूरा होने में लगभग एक हजार करोड़ रुपये लगने हैं। एक हजार करोड़ रुपये लगाकर एक वर्ष में एक हजार करोड़ रुपये की खरीफ की फसल, धान और लगभग 500 करोड़ रुपये का गेहूं उत्पादित होगा। कोई ऐसी परियोजना नहीं है जिसमें इतने लोगों को रोजगार दिया जाए। उग्रवाद की समस्या का समाधान हो सके और एक साल में डेढ़ गुना मुनाफा रिकरिंग में हो। प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपये का अनाज उत्पादित होगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Mr. Chairman, Sir. Sir, I would like to draw the attention of the Government to the ongoing strikes of the pilots in Air India. A number of domestic as well as international flights are cancelled. It is reported that about 65 international flights, to and fro, and also a large number of domestic flights are cancelled. This creates hardships and difficulties to the passengers to a large extent. This again leads to a huge loss to the civil aviation sector.

It is evident that we have discussed the serious problems of the civil aviation sector especially the Air India which accumulates a loss of Rs. 45,000 crore. The decision taken by the Government for the merger of Air India and Indian Airlines has not yet materialized. As a result, the employees of both the airlines, either Air India or Indian Airlines, are making really the just demands. It is not the new issues or the new demands that they are raising.

---

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN : Already, yesterday, we discussed it; the Minister replied to it.

SHRI P. KARUNAKARAN: That was with regard to the civil aviation. I am speaking about the strikes. The new Minister has come. I know that there is a court verdict that the strike is illegal. But whether it is legal or illegal, the outcome of this strike is that there is hardship caused to the people and also the loss accumulated to the civil aviation. At the same time, it benefits the private airlines. So the Government has to take a better decision because Air India is a public sector undertaking; the Government is supreme there. So there should be a better trade union relation with them. I urge upon the Government to take necessary steps to settle the issues.

MR. CHAIRMAN: Shri P.K. Biju is permitted to associate himself with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

श्री नीरज शेखर (बलिया): सभापति महोदय, हमारे देश में स्वच्छ पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है। आज यूपी और बिहार के एक बड़े क्षेत्र में पानी आर्सेनिक होता जा रहा है। मैं इस सदन में कई बार यह बात उठा चुका हूं, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रही है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार के कई क्षेत्रों में लोगों को आर्सेनिक पानी, यानी जहरीला पानी पीना पड़ रहा है। अफसोस की बात है कि आजादी के 65 साल बाद भी हम कई बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि स्पेस में पहुंच गये और यह-यह काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम अपने लोगों को स्वच्छ पीने का पानी तक नहीं दे पाये।

मेरे लोक सभा क्षेत्र बलिया में बैरिया एक विधान सभा क्षेत्र आता है, जिसमें इसकी काफी गंभीर समस्या हो गयी है। वहां के लोगों को इसके कारण कई बीमारियां हो गयी हैं, जैसे उनके लीवर और किडनी डैमेज हो रही हैं। इसकी वजह से बच्चों की स्किन में कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। आर्सेनिक पानी, जो बहुत गंभीर समस्या है, उस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि न्यूयार्क टाइम्स में, अमेरिका में बलिया की समस्या के बारे में छापा जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इसके लिए कोई कठोर कदम नहीं उठा रही। कई जगह आर्सेनिक पानी है, फ्लोराइड और पारा बढ़ गया है। यह समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में हो रही है। लेकिन अफसोस यही है कि आज वहां के लोगों को वही पानी पीना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि यह गंभीर समस्या है। हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अपने लोगों को स्वच्छ पानी दे सकें। आर्सेनिक पानी की वजह से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, वह मैं बताना चाहता हूं। आर्सेनिक पानी की समस्या इतनी गंभीर हो गयी है कि उससे जो उपज हो रही है, उसमें भी आर्सेनिक की मात्रा पायी जा रही है। जो अनाज पैदा हो रहा है, धान पैदा हो रहा है, उसमें भी आर्सेनिक पाया जा रहा है। मै कहना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर समस्या है इसलिए इस बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि वह उत्तर प्रदेश और बिहार की समस्या, विशेषकर मेरे लोकसभा क्षेत्र की इस समस्या को गंभीरता पूर्वक देखे।

SHRI PULIN BIHARI BASKE (JHARGRAM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to raise an important matter. The tribals are the most weaker section of the society. Historically and traditionally, they are residing in the forest areas, fringe areas and hilly areas in different parts of the country. In the name of development, forest land is being handed over to the corporates by the Government. A large number of tribal families are being alienated from their land without giving any compensation. I am giving you a figure that is from January 2008 to August, 2011 – 1,82,389 hectares of forest land was diverted by the Ministry for projects in different States like Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Odisha, Jharkhand, Karnataka, etc. The *adivasi* people are fighting and resisting against the forcible land grab. They are very poor and helpless. Neither the State Government nor the Central Government address this issue. The national wealth of our country is being looted by allowing illegal mining and export of iron ore. Tribal people are deprived and the Maoists are taking advantage of it.

So, I urge upon the Indian Government to take appropriate step to solve the problem and proper compensation should also be given.

MR. CHAIRMAN: Shri P.K. Biju is allowed to associate with the matter raised by Shri Pulin Bihari Baske.

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Chairman, Sir, the second phase of Kerala State Transport Project has needed financial assistance from the Government of India. The major road works in Kerala has the sanction of Rs. 700 crore from the World Bank. This is a very small amount. The Government of Kerala sought Rs. 1400 from the World Bank for the construction of the State Highways. The proposals are pending before the Ministry of Finance. The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, has to take urgent steps to sanction the estimated amount.

The second phase of KSTP roads are as follows: Chengannur to Muvattupuzha in MC Road for 88 kilometres, Kasaragod *to* Kanhangad for 28 kilometres, Pilathara to Pappinissery for 25 kilometres, Thalassery to Valavupara for 53 kilometres, Perumpilavu to Perinthalmanna for 41 kilometres. These are major roads which are to be taken up by the Kerala Government. The Government of Kerala has already crossed the loan limit of the World Bank.

Therefore, I request the Government of India to intervene in this matter and take urgent step to get the World Bank assistance for the construction of roads.

MR. CHAIRMAN: Shri P. Karunakaran is allowed to associate with the matter raised by Shri Kodikkunnil Suresh.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Chairman, Sir, for allowing me to raise an important issue pertaining to my Constituency.

The matter, which I am going to raise is concerned with two Ministries namely the Ministry of Steel and the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. The Salem Steel Plant in Tamil Nadu, started in early ’70s, is now producing stainless steel sheets of high quality.

At present the produced steel sheets, in raw form, are being transported to other States like West Bengal for converting into value-added finished products like dinner sets, household utensils, etc.

These finished products are being marketed throughout the country including Salem District. It is unfortunate that Salem District does not have small

or micro industries of worth mentioning. In Salem, where the Plant is situated, no ancillary unit, utilising the raw material, is set up till date.

If cluster of ancillary units are started in Salem District, this will give a boost to the economy of the region. Besides, it will also provide employment to the local people. Skilled men are available in plenty for these jobs. The people of Salem and other neighbouring districts will be benefited much. Hence, I would request the Centre to kindly arrange to take efforts for the setting up of micro-ancillary units in Salem District at the maximum level for the utilisation of stainless steel sheets produced by the Salem Steel Plant. I hope the Centre will act on this matter.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to the kind attention of the Government that hundreds of HIV/AIDS patients, including children, receiving anti-HIV medicine from the Government outlets found themselves in a precarious position after the outlets went out of stock for the first and second line drugs increasing the risks for HIV positives. This is because of poor and inefficient planning. The medicines that came first were not distributed first as well as there was a poor supply chain. This matter was brought to the notice of the Parliamentary Standing Committee on Health by the networks of people living with HIV/AIDS, which praised the network's role as a monitor of the HIV programme and came down heavily on the National AIDS Control Organization.

Sir, there are 14.86 lakh people living with HIV/AIDS registered in anti-retroviral treatment centres across the country out of 24 lakh HIV/AIDS affected people. In Tamil Nadu alone, more than 1.96 lakh people were affected with HIV/AIDS. The more expensive second line drugs are being given only meagre percentage of AIDS patients numbering 4,208. The NACO should not see only the criterion of cost. Failure to procure the third line drugs will have the future public health complications as people living with HIV could develop a very serious resistance to HIV, which could prove costly. The NACO should simplify

the economic and bureaucratic barriers mentioned in the eligibility criterion for enrolling in the Government programme to receive the first and second line drugs free. Failure to get the costly treatment free of cost as well as for simplification of the procedure which eventually will lead to expansion of the free HIV treatment programme, the patient groups have also approached the Supreme Court for redressal of their genuine health problem.

Therefore, I would request the concerned hon. Minister to direct the NACO to keep sufficient quantity of the first and second line medicines and also to take steps for the improvement of Antiretroviral Therapy Centres of Excellence to provide treatment for all HIV/AIDS patients across the country.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर तीन जिलों का क्षेत्र है। उसमें पांच शहर है, जहां स्लम आबादी की संख्या बढ़ती जा रही है। छोटे शहरों एवम् 20,000 की आबादी से ज्यादा कस्बों में शहरी सौंदर्यीकरण एवम् शहरी लोगों के लिए सुविधा देने के संबंध में कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। परंतु, मेरे संसदीय क्षेत्र में इन योजनाओं के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। पता नहीं मेरे क्षेत्र में क्यों नहीं इन्हें लागू किया जा रहा है। सरकार एक ओर देश से स्लम मुक्त करने की फौरी बात करती है, वहीं दूसरी ओर मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर, बेलसंड, बैरगनिया, ढाका एवम् पकड़ीदयाल शहर में स्लम मुक्त करने का कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर केन्द्र सरकार ने कोई कार्य किया है तो मुझे बताया जाए।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के उपरोक्त पांच शहरों में केंद्र सरकार की शहरी विकास योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं एक गम्भीर मामले के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान 13 मई, 2012 को नेशनल टेलेंट सर्च की मुम्बई और पुणे में परीक्षा में हुए हंगामें की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह परीक्षा एनसीइआरटी द्वारा देश भर से प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने हेतु आयोजित की जाती है। इन परीक्षा केन्द्रों में हंगामे की मुख्य वजह यह थी कि प्रश्न पत्र परीक्षा देने वाले छात्रों को निर्धारित समय से दस मिनट देरी से उपलब्ध कराए गए। परीक्षा का समय साढ़े आठ बजे से दस बजे तक का था। छात्रों को प्रश्न पत्र साढ़े आठ बजे के बजाए आठ बजकर चालीस मिनट पर उपलब्ध कराए गए और दस बजे के निर्धारित समय से दस मिनट पहले ही वार्निंग बैल बजाकर उनकी उत्तरपुस्तिकाएं छीन ली गईं। छात्रों ने परीक्षा संचालकों से जब इस बारे में शिकायत की और वहां उपस्थित 39 पेरेंट्स ने भी लिखित में हस्ताक्षरों के साथ शिकायत दर्ज कराई और एनसीइआरटी को दी। लेकिन

परीक्षा संचालकों ने और एनसीइआरटी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इस तरह से उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना और उन्हें डिमोरेलाइज करना ठीक नहीं है। मेरी विनती है आपके माध्यम से मंत्री जी से कि उक्त परीक्षा केन्द्रों की परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए और पुनः परीक्षा ली जाए।

SHRI SHIVARAMA GOUDA (KOPPAL): Mr. Chairman, Sir, I am very much thankful to you for allowing me to raise a very important matter of my region.

The Hyderabad-Karnataka region is the most backward region in the field of education, employment opportunities, development, etc. This region consists of five districts of Karnataka, namely, Gulbarga, Bidar, Raichur, Yadagiri and Koppal. Even after 64 years of Independence, the people of this part of Karntaka are leading a very deplorable life. There is no basic infrastructure for education and health facilities. Regional imbalance has been assuming a greater proportion over the years.

Sir, the Hyderabad-Karnataka region was a part of the former State of Hyderabad, which was ruled by Nizam before Independence. On 1st November, 1956, as a result of the State Reorganization Act, the State of Hyderabad was trifurcated.

MR. CHAIRMAN : Mr. Gouda, please come to the point. Do not give history.

SHRI SHIVARAMA GOUDA:Sir, in order to protect the interests of the people of Telangana region of Andhra Pradesh with regard to public employment on the basis of residence, a Constitution Amendment was brought to insert a new Article 371 D. Similarly, in March, 2010, the Government of Karnataka had passed a unanimous Resolution in the both the House of Karnataka Legislature and it was sent to the Government of India.

Hence, I would request the hon. Minister of Home Affairs to bring immediately the necessary amendments to Article 371 of the Constitution of India on par with Article 371 D, which governs special provision of the State. It is in the interest of the people of this region for securing justice. Special status may be given for Karnataka.

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, the Food Safety and Standards Act legislated in this House and notified on 5.8.2011 is being misused and that is what I would like to bring to the notice of this august House, and through you, to the Government. It is stated that this is to ensure safety both of food and food materials and to maintain quality and standards. In the name of ensuring standards, there is an attempt to see that small traders are wiped out once and for all. A Committee with 50 members has been constituted as regards to the standards to be determined for ensuring quality and they also claim that is in he interest of farmers. Of these 50 members, only 2 are somewhat connected with food processing, that is, one is from grapes estate and another from prawn cultivation sector. So, the remaining 48 members are from the corporate world. I wonder how they can ensure quality and standards when it comes to food when they are not directly connected with this at all. With these people I do not know how they can help the farmers. The labourers are also made to go in for medical check up and tests under this Act. This comes in the way of labourer's interest. We have very many small shops and traders and most of them are run by people who are not at all rich. In a country where there are lakhs of people living below the poverty line, this kind of food standards must not come in the way of small traders to earn their livelihood. The food materials used by the poor people are subjected to this rigid Act thereby affecting the people who cannot afford. Only small traders are handling this. In our country, we do not have enough testing laboratories and in Tamil Nadu we have only 7 laboratories. When we do not have adequate facilities to go in for testing and ensuring standards, the officials take an upper hand and this even leads to corruption. As of now, there is bribe in obtaining licences. Hence, I urge upon the Government to have a re-look and review this Act and prevent officials from getting an upper hand resorting to corrupt practices. It would be better this law is withdrawn.

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to raise an urgent matter of public importance.

It was announced that 20 new universities exclusively for women will be formed by the University Grants Commission in the 12th Five Year Plan. I welcome the announcement made by the UPA Government. Consequently, this will give an opportunity to the women to participate in the higher education in the country.

In this connection, I would like to mention that Andhra University, Visakhapatnam had set up a Postgraduate Centre at Vizianagaram, Andhra Pradesh in 2004 with three courses, namely, Master of Computer Applications, Master of Business Administration and MA (Education) on a land of 100 acres, with a constructed space of 20,000 square feet with sufficient infrastructure like buildings, library, etc. However due to paucity of funds, non-induction of well qualified teaching faculty, etc. this Postgraduate Centre has been kept in a semi-finished condition. The Andhra University is not able to develop it further.

The UGC has said that certain sections of the country's population are still not open to the idea of sending girls to co-educational institutions, which is depriving the girls of the benefits of higher education for their empowerment. As far as Vizianagaram district is concerned, the district survey report says that non-literates, of more than 15 years, comes to 7,39,532. In this, female non-literate share is 4,14,059. In this connection, the Central Government has classified Vizianagaram district as one of the 'Low Female Literacy' districts in the country.

In view of this scenario, through you, Mr. Chairman, Sir, I urge upon the hon. Minister of Human Resource Development to convert the P.G. Centre into a Women University, as has been done in the case of P.G. Centre of Andhra University at Srikakulam, by naming it as Dr. B.R. Ambedkar University during the Eleventh Five Year Plan.

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): महोदय, मैं यह ज़ीरो ऑवर भी वही है और आप भी वही है, मैं एक बात बार-बार पार्लियामेंट के प्रोसीजर के माध्यम से सदन में उठा रही हूं जो कि कनैक्टिविटी की है। सूरत में रेल या फ्लाइट की कनैक्टिविटी के सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। आज दो मंत्री और प्रोटेम स्पीकर यहां बैठे हुए हैं। सभी लोग सूरत से ट्रैवलिंग करते हैं। कल नियम 193 के तहत एयर इंडिया पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज तक पायलट्स की हड़ताल खत्म नहीं हुई। रीशेड्यूलिंग की जो बात हुई है, जो प्रोफिटेबल रूट्स हैं, चूंकि सूरत एशिया का फोर्थ नंबर का फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटी है। लेकिन इसको कनैक्टिविटी के नाम पर कुछ नहीं मिला है। प्राइवेट एयरलाइन को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब रीशेड्यूलिंग की गई है जो कि सूरत के साथ अन्याय है। सूरत एक मिनी भारत है, इसलिए सूरत को अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए हमें एयर इंडिया से कनैक्टिविटी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री राजेन्द्र अग्रवाल अपने आपको श्रीमती जरदोश द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, करीब दो माह पहले सोमालिया में अपहर्ताओं ने एक भारतीय जहाज का अपहरण कर लिया था। प्रतिष्ठित समाचार पत्र हिन्दुस्तान के मेरठ संस्करण में दिनांक 11 मई 2012 को छपे समाचार के अनुसार यह जहाज मुंबई की रॉयल लेडी कंपनी का है। इस जहाज को मिस्र से दक्षिण अफ्रीका जाना था। पहले तो मिस्र में मौसम की खराबी और सामान लोडिंग में देरी के कारण यह जहाज कई दिनों तक मिस्र में रुका रहा, फिर 2-3 मार्च को यह जहाज मिस्र से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुआ। रास्ते में इसका सोमालिया में अपहरण कर लिया गया। इस जहाज में कुल 40 लोग सवार थे। जिसमें 17 भारतीय हैं। इनमें एक मेरठ का सौरभ पुत्र रामदास भी है। अपहर्ताओं द्वारा जहाज को छोड़ने के लिए भारी फिरौती की मांग की जा रही है।

महोदय, ऐसी घटनाएं आए दिन सुनने में आती हैं1 मुझे मिली सूचनाओं के अनुसार सोमालिया में अपहरण किए हुए 17 जहाज हैं, जिनमें 350 से अधिक लोग फंसे हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार की वारदातों को रोकने के लिए सरकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक रणनीति बनाए तथा विशेष रूप से भारतीय जहाज को मुक्त किए जाने के लिए तुरन्त प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए जहाज को अपहर्ताओं के चंगुल से छड़ाए, ताकि सौरभ सहित सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश आ सकें।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ओल्ड एज पेंशन का मुद्दा उठाना चाहता हूं। सात मई 12 मई 2012 तक पेंशन परिषद का धरना दिल्ली में हुआ। कर्नाटक से हड़ताल चली।

वे कहना चाहते हैं कि ओल्ड एज पेंशन में एपीएल और बीपीएल का भेद समाप्त हो। जो आदमी ओल्ड है और कोई कमाने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे साथ नहीं रहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की संख्या करीब दस करोड़ है। मेरा कहना है कि भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं। वृद्धावस्था पेंशन देंगे, लेकिन उसमें " किंतु " लगा देते हैं। विधवा पेंशन देंगे लेकिन उसमें " किंतु " लगा देंगे कि उसका बच्चा जीवित नहीं होना चाहिए। एक तो वह विधवा हो गई और कहते हैं कि उसका बच्चा भी नहीं होना चाहिए। अगर उसका बच्चा कमाता है, तो वह उसे खाने के लिए नहीं देता है।" किंतु " और " परन्तु " योजना से हटाने चाहिए और जो बूढ़े लोग हैं, जिनके लिए कमाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए और विधवाओं के लिए " किंतु " और " परन्तु " शब्द हटने चाहिए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं अपने आपको श्री मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 17th May, 2012 at 11 a.m.

18.33 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 17, 2012 / Vaisakha 27, 1934 (Saka).